कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 52 अंक : 3 जनवरी 2006 मूल्य : 7 रुपये

भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण का दौर

औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती

रबी की नई फसल: मिल्क थिस्टल

देश का पहला ऊर्जा सुरक्षा ग्राम

ठेकेदारी खेती की भारतीय कृषि में भूमिका

ग्रामीण उत्थान में मीडिया का योगदान

विकास के कर्णधार: युवा

ई-प्रशासन से भ्रष्टाचार पर लगाम

विश्व व्यापार संगठन की हांगकांग मंत्रिस्तरीय वार्ता में विशेष उत्पाद, विशेष सुरक्षा भारत की एक बड़ी उपलब्धि

विश्व व्यापार संगठन की हांगकांग मंत्रिस्तरीय वार्ता में विश्व उत्पाद तथा विशेष सुरक्षा प्रणाली पर सहमति कायम करवाना भारत की एक बड़ी उपलब्धि रहा। इससे देश के किसानों के हितों की पूरी तरह सुरक्षा की जा सकेगी। भारत और विकासशील देशों ने व्यापार वार्ता में कड़ी मेहनत की थी। लोकसभा में अपने वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ ने कहा कि विकासशील देश खाद्य सुरक्षा, जीवनयापन सुरक्षा और ग्रामीण विकास के मानकों पर आधारित संकेतकों के जरिए विशेष उत्पादों के रूप में पर्याप्त संख्या में शुल्क श्रृंखलाएं निर्धारित कर सकेंगे। आयात बढ़ने या अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट से अपने किसानों को सुरक्षित रखने के लिए विकसित देश आयात मात्रा और मूल्य संचालन के साथ विशेष सुरक्षा प्रणाली का रास्ता अपना सकेंगे।

श्री कमलनाथ ने कहा कि हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणा में भारत की प्रमुख चिंताओं और हितों को भलीभांति समझा गया है और आने वाले महीनों में बातचीत के लिए भावी कार्यों के वास्ते पर्याप्त गुंजाइश रखी गई है। घोषणा में सकारात्मक विकास की विषय–वस्तु को शामिल किया गया है। अगले स्तर की वार्ताओं में इसको पूरी तरह से साकार करना होगा।

श्री कमलनाथ ने कहा कि आने वाले महीनों में रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना है इसलिए इस पर गहराई से वार्ता होगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार प्रत्येक क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ निकट संपर्क बनाए रखेगी ताकि बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकें, किसानों और उद्योगों के हितों को पूरी तरह संरक्षित किया जा सके और राष्ट्रीय हितों का संवर्धन किया जा सके।

घोषणा में कहा गया है कि वार्ता 2006 तक निष्कर्ष पर पहुंच जानी चाहिए। वार्ता में विशेष क्षेत्रों के लिए समय–सीमा और लक्ष्य निर्धारित किए गए। अन्य मुद्दों के साथ कृषि और नामा के बारे में हमने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि 30 अप्रैल, 2006 तक रूपरेखा तैयार कर ली जाए और 31 जुलाई, 2006 तक व्यापक मसौदा पेश कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि विकसित देश कपास पर निर्यात सब्सिडी को 2006 तक पूरी तरह समाप्त कर देंगे।

भारत ने वार्ता में केवल अपनी ही आवाज नहीं उठाई, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से स्थापित परम्परा के अनुसार अति अल्प विकसित देशों की चिंताओं को भी समर्थन दिया। अति अल्प विकसित देशों के समूह और अफ्रीका समूह के साथ निकट सहयोग के जरिए अति अल्प विकसित देशों के लिए एक विशेष पैकेज भी तैयार करवाया।

एनसीडीईएक्स में कृषि उत्पादों के लिए व्यापार प्लेटफार्म

नेशनल कमोडिटीज एंड डेरीवेटिव एक्सचेंज आफ इंडिया (एनसीडीईएक्स) देशभर में 540 केन्द्रों में फैले अपने 8000 टर्मिनलों के माध्यम से व्यापार सुविधा मुहैया कराता है। ग्राहक जिसमें किसान भी शामिल हैं, नेशनल कमोडिटीज एंड डेरीवेटिव एक्सचेंज आफ इंडिया के सदस्यों के मार्फत इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इनमें से कुछ टर्मिनल पंजाब के अबोहर और फाजिल्का, हरियाणा के बहादुरगढ़, सिरसा और फतेहाबाद, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, शामली और बांदा, राजस्थान के टोंक, नेवाई, चुरु और पीलीबंगा, मध्य प्रदेश के मुरैना, मंदसौर और पाली, बिहार के गया, कर्नाटक के देवंगीर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेनाली, केरल के त्रिसूर, उत्तरांचल के रुद्रपुर और हल्द्वानी, गुजरात के दहोद तथा महाराष्ट्र के अकोला और सांगली जैसे छोटे शहरों में अवस्थित हैं। नेशनल कमोडिटीज एंड डेरीवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया अपनी सुविधाओं से लाभ उठाने हेतु किसानों और विभिन्न पणधारियों में जागरूकता भी पैदा कर रहा है।

ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के मापदंड

संसद ने सितम्बर, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) को मंजूरी दी थी। अधिनियम की धारा (3) के अनुसार अधिनियम के लागू होने की तारीख से 5 वर्षों के भीतर समूचे देश को कवर किया जाएगा। इसके कार्यान्वयन के पहले चरण में, इसे योजना आयोग द्वारा अभियान 200 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। पहले चरण में एनआरईजीए को काम के बदल अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) के अंतर्गत इस समय शामिल जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। एनएफएफडब्ल्यूपी तथा आरएसवीवाई की संयुक्त सूची में 195 जिले हैं। इसके अलावा, कतिपय विशिष्ट पृष्ठभूमियों में कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए 5 जिलों को लर्निंग इम्पैक्ट जिलों के रूप में अभिज्ञात किया गया है। पांच लर्निंग इम्पैक्ट जिलों में असम में गोलपाड़ा और बोंगाइगांव, बिहार में किशनगंज, कर्नाटक में रायचूर तथा महाराष्ट्र में अमरावती होंगे।

राज्य रोजगार गारंटी परिषदें तथा पंचायती राज संस्थाएं निगरानी में प्रमुख भूमिका निभाएंगी तथा अधिनियम के अंतर्गत अभिप्रेत लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। अधिनियम के व्यापक प्रचार–प्रसार पर बल दिया गया है ताकि लोगों को अधिनियम के अंतर्गत लाभ मिल सके।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 52 ● अंक : 3 ● पृष्ठ : 48

पौष–माघ 1927

जनवरी 2006

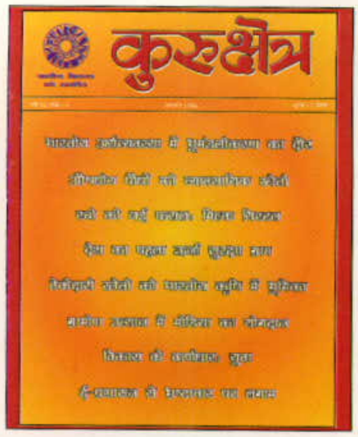

संपादक
स्नेह राय

सहायक संपादक
कमला वर्मा

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655 / 661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014
तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन. सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

आवरण
राहुल शर्मा

सज्जा
रजनी दवे

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

■ भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण का दौर और ग्रामीण विकास	दशमन्त दास पटेल	4
■ भारतीय अर्थव्यवस्था : मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास	इन्द्रदेव सिंह	7
■ ग्रामीण विकास की समस्याएं एवं उनका समाधान	वीणा कुमारी एवं आर.के.पी. सिंह	11
■ ग्रामीण विकास और वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्थाएं	यू. सी. गुप्ता	16
■ ठेकेदारी खेती की भारतीय कृषि में भूमिका	सुनील फौगाट	18
■ भारतीय कृषि की वर्तमान अवस्था पुनर्संरचना का नया विकल्प	राजीव कुमार सिन्हा एवं शिखा दास	21
■ कम पानी में काजू की फसल	सांवलराम नामा	23
■ आर्गेनिक खेती	सारिका एवं कामिनी जैन	24
■ औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती	प्रकाश गोविंद	27
■ हरियाणा में औषधीय पौधें का कृषिकरण तथा वानिकी विकास	गुंजन शर्मा एवं कविता चौहान	29
■ रबी की नई फसलः मिल्क थिस्टल		32
■ देश का पहला ऊर्जा सुरक्षा ग्राम	नन्दिता मिश्र	35
■ सेतुसमुद्रम परियोजना	वेद प्रकाश अरोड़ा	37
■ ग्रामीण उत्थान में मीडिया का योगदान	सुभाष सेतिया	38
■ ग्रामीण समाज और संचार माध्यम	ध्रुव भूषण सिंह	40
■ विकास के कर्णधार : युवा	सौरभ पाण्डेय	43
■ ई–प्रशासन से भ्रष्टाचार पर लगाम	राकेश शर्मा	45
■ सफरनामा बधाई पत्रों का	कैलाश जैन	47
■ नारियल पर बिखरा सौंदर्य	रवि भारती	48

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत-सम्मत

'कुरुक्षेत्र' का नवंबर 2005 का संग्रहणीय अंक पढ़ा। बच्चों के संरक्षण हेतु किए गए कानूनी प्रयासों की जानकारी हुई। भारत का संविधान तो बच्चों को राष्ट्र की अमूल्य धरोहर मानते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए व्यवस्था करता ही है, कई अन्य कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। इन तमाम कानूनी प्रावधानों के मूल में निहित भावना यही है कि बच्चों को ऐसी सुविधाएं और अवसर प्रदान किए जायें जिससे उनकी स्वतंत्रता, गरिमा या उनके सम्मान का किसी भी प्रकार से शोषण न हो सके। किशोर न्याय अधिनियम बनाकर भारत ने प्रगति की एक सीढ़ी तो पार की है लेकिन अभी हमें विकास के कई सोपानों को पार करना है। बिना बच्चों का विकास किए कोई राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। भविष्य में उन्हीं के कंधों पर देश का, देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व रहना है।

एम वी फाउण्डेशन की इसलिए प्रशंसा की जा सकती है कि उसके प्रयासों से चार हजार बच्चे बालश्रम से मुक्त हुए। बालश्रम का किसी भी समय समाज में प्रत्येक रूप में निषेध किया जाना ही अपेक्षित है। बालश्रम के दुष्चक्र से मुक्त हुए बच्चों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। अधिकांश बाल मजदूरों को अभी हमें मुक्त करवाना है जिसके बिना हम इक्कीसवीं सदी की महाशक्ति नहीं बन सकते। विश्व के इस विशालतम लोकतंत्र को यदि सराहनीय भूमिका निभानी है तो हमें और अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। इससे संबंधित लेख 'दुनिया बदलेंगे बाल मजदूर' पसंद आया।

बाल वेश्यावृति न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए एक प्रमुख समस्या बनी हुई है जिसका निदान करना अति आवश्यक है। शिक्षा तो इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगी ही; सरकार, प्रशासन और आम जनता को भी और अधिक जागरूक और अधिक सजग होने की जरूरत है। विकास का पथ दुर्गम और बीहड़ अवश्य है किंतु भारत जैसे राष्ट्र के लिए इस पथ पर चलकर मंजिल पाना कोई बहुत मुश्किल नहीं।

प्रांजल धर, भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली

मैं कुरूक्षेत्र का नियमित पाठक हूं। नवंबर 2005 का अंक पढ़ा। सचमुच ही राष्ट्र निर्माण की अमूल्य धरोहर मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं। हमारे देश में बाल–मजदूर दिनों–दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये राष्ट्र के विकास में बाधक हैं। बाल वेश्यावृति, सड़क और मंदिर में भीख मांगते बच्चे, पटरी पर गुजारते जिंदगी, कारखानों में काम करते ये बालक धीरे–धीरे अंधेरे में समाये जा रहे हैं। स्कूल जाने की उम्र से ही ये बाल–श्रम में धकेल दिये जाते हैं। यदि ऐसे ही चलता रहा तो क्या कलाम साहब का 'विजन 2020' पूरा हो सकता है ? सरकार और समाज दोनों को मिलकर इस कर्तव्य का पालन करना होगा। हर हाल में बाल–श्रम को दूर करना होगा।

पंचायती राज के बारे में पढ़ा। सचमुच राष्ट्र निर्माण में इसकी भागीदारी अनिवार्य है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में ग्रामीण समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भ्रूण हत्या–पर लेख एक चेतावनी जैसा है। भ्रूण हत्या किसी भी राष्ट्र के लिए अभिशाप है। वह दिन दूर नहीं लोग बहन, मां, पत्नी के लिए तड़पेंगे। नेपोलियन ने कहा था – "मुझे एक योग्य माता दो, मैं तुमको एक योग्य राष्ट्र दूंगा।" अतः सरकार को इस पर कानून बनाकर इस लिंग–भेद अनुपात को रोकना होगा। ताकि हमारा देश मातृविहीन न हो पाये।

जितेंद्र कुमार पांडेय, वाराणसी–5

कुरुक्षेत्र का नवम्बर अंक 2005 पढ़ा। कादम्बरीजी का 'बच्चे भी चाहें एक भरापूरा दैनिक अखबार' लेख सराहनीय रहा। उमेश चन्द्र अग्रवाल का 'किशोर न्याय अधिनियम–2000 बच्चों के संरक्षण हेतु कानूनी प्रयास' से किशोरों के प्रति न्याय व्यवस्था की समुचित जानकारी हुई। 'भ्रूण–हत्या–एक सामाजिक अभिशाप' पढ़कर कन्या–भ्रूण हत्या के कारण घटता जा रहा लड़के–लड़कियों का अनुपात चिन्ता का विषय है। यदि इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाये जायेगें तो वे दिन दूर नहीं जब लड़कियों के लिये मार–काट मचेगी। एक अनार सौ बीमार की कहावत चरितार्थ होगी। मनीषाजी का लेख–लिंग निर्धारणः गुम होती कन्याएं भी अच्छा लगा। 'पंचायती राज में ग्राम सभा की भूमिका' महिन्द्र सिंह और आत्माराम जगाड़िया के लेख से ग्राम पंचायत सम्बन्धी जानकारियां प्राप्त हुयीं।

'ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम' ग्रामीण गारन्टी योजना के अन्तर्गत काम के बदले अनाज' से ग्रामीण विकास असम्भव है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बन्द पड़ी मिलों को चालू करायें ताकि लाखों मजदूर वर्ग को रोजी–रोटी की समस्या का निराकरण हो। हमारा देश कृषि–प्रधान देश है। अस्सी प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं जिससे उनका आर्थिक पक्ष कमजोर रहता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए उद्योग कारखाने आवश्यक हैं तभी ग्रामीण विकास सम्भव है। मात्र सौ दिन के काम के अनाज पाने से ग्रामीण बेरोजगारों की समस्या का निदान नहीं हो सकता।

लक्ष्यलीन सुमन, गाजीपुर (उ.प्र.)

शुद्धि पत्र

कुरुक्षेत्र नवम्बर 2005 के अंक के पृष्ठ संख्या 19 के दूसरे पैरा की प्रथम पंक्ति में वर्ष 1973 के स्थान पर कृपया 1993 पढ़ें। मुद्रण दोष के लिए खेद है। (पंचायती राज अधिनियम–73वां संविधान संशोधन–20 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था।)

संपादकीय

नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं

नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएंनववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं
नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं

नववर्ष 2006 की शुभकामनाएं

भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण का दौर और ग्रामीण विकास

दशमन्त दास पटेल

करीब एक दशक बीत गया, जब आर्थिक उदारीकरण, निजीकरणऔर भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा। गति उत्तरोत्तर बढ़ती गई और विकास का प्रायः कोई राष्ट्र चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी, विकसित हो या विकासशील, धनी हो या निर्धन, इससे अछूता नही रहा। भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में उदारीकरण, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, आर्थिक सुधार एवं भूमंडलीकरण के नाम पर एक नयी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। जिसके गर्भ में छिपी है– आर्थिक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की लहर। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के विषय के बाद आज इस नयी व्यवस्था की ही दुहाई दी जा रही है। केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के भी तार जुड़ गये। इस बाजार आधारित उपभोक्तावादी आर्थिक नीति के साथ भारत जैसे विकासशील राष्ट्र की समस्याएं जटिल हैं साधन सीमित हैं, लेकिन साध्य बदलते जा रहे हैं। नीति की शुरूआत करते समय दुहाई दी गई थी, सर्वांगीण आर्थिक विकास की, गुणात्मक परिवर्तन की, प्रतियोगिता एवं कुशलता में वृद्धि की, लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि की। कल्पना की गई थी, विश्वव्यापी बाजार और तीव्र निर्यात संवर्द्धन की, जहां विकासशील राष्ट्र भी उन्मुक्त भाव से बाजार व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं लेकिन उपलब्धि निराशाजनक रही है। न केवल विकसित और विकासशील देशों का अंतर बढ़ता जा रहा है बल्कि देश के अंदर भी अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती जा रही है और शहरी तथा देहाती क्षेत्रों की दूरी व्यापक होती जा रही है फिर भी मनोवृत्ति ऐसी लग रही है कि चाहे सरकार हो या विपक्षी दल सरकारी संगठन हो या गैर–सरकारी सभी ने या तो मुखर होकर या मौन स्वीकृति से इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया है। नवीं पंचवर्षीय योजना के पृष्ठों पर अंकित किया गया कि भूमंडलीकरण एक वास्तविकता है जिसे न तो नकारा जा सकता है और इससे न अलग रहा जा सकता है।

आर्थिक सुधारों के दूसरे दौर में भी हम प्रवेश कर गये हैं, लेकिन हमारे नियोजनकर्ता इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं कि गरीब, बेरोजगारी, साधन विहीनता, आर्थिक असमानता, व्यापक निरक्षरता, कुपोषण एवं स्वास्थ्यहीनता तथा अन्य सामाजिक–आर्थिक समस्याओं के निराकरण में कौन सा मौलिक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके हैं? आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिये कितने संसाधनों को एकत्रित कर पाये हैं? ये प्रश्न प्रायः अनुत्तरित रह जाते हैं।

भूमंडलीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में परिवर्तन तेजी से हो रहा है जल्दी–जल्दी नये प्रचार माध्यम, नई तकनीक सामने आ रहीं हैं जिनके चलते उत्पादन, प्रचार, श्रम–पद्धति एवं अनेक तरीके पुराने पड़ते जा रहे हैं। पूंजी भी पहले की अपेक्षा ज्यादा गति से दुनिया में दौड़ लगा रही है। भूमंडलीकरण के पक्षधरों ने तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते आयाम तथा उनके द्वारा सृजित व्यापक आय वृद्धि एवं तकनीकी स्थानांतरण के माध्यम से अतितीव्र विकास की परिकल्पना व्यक्त की है। उनकी मान्यता है कि भूमंडलीकरण के फलस्वरूप तृतीयक क्षेत्र का तीव्र विस्तार मौद्रिक आय तथा विभिन्न वस्तुओं के लिए प्रभावपूर्ण मांग का विकास करेगा जिससे सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रोजगार का अवसर भी तेजी से बढेंगे जो आगे आय, मांग और उत्पादन में वृद्धि लायेंगे। न केवल देश बल्कि विदेशों में भी व्यापक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। क्योंकि सेवा क्षेत्र का भी तेजी से विस्तार हो रहा है।

पुनः उनकी यह भी मान्यता है कि भूमंडलीकरण से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा से बाजार में उपलब्ध वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे उपभोक्ता वर्ग लाभान्वित होगा और वास्तविक आय में भी वृद्धि होगी, बचत बढ़ेगी, जिसका उपयोग दूसरे उत्पादन एवं मांग संबंधी क्रियाओं में होगा और लोगों के जीवन–यापन के स्तर में भी सुधार आयेगा। प्रभावपूर्ण मांग की वृद्धि उत्तरोत्तर आर्थिक समृद्धि की ओर ले जायेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

लेकिन प्रश्न है भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उपर्युक्त निष्कर्षों पर पहुंचने के पूर्व इस वास्तविकता पर ध्यान देना होगा कि कहां तक हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था उपर्युक्त गुणों को आत्मसात कर सकेगी। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और सहायक धंधों पर आधारित है, जनाधिक्य से बोझिल है, गरीबी और विभिन्न रूपों में व्याप्त बेरोजगारी से त्रस्त है। अशिक्षा, कुपोषण, रूग्णता, ऋणग्रस्तता एवं

निम्न उत्पादकता के साथ–साथ संसाधनों के अभाव एवं बाजार की अनभिज्ञता एवं सीमितता उसकी खास विशेषताएं हैं। उनके उत्पादों के मूल्य कम और लागत अधिक हैं। निर्यातोन्मुखी विश्व बाजार में उनकी गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता भी अपेक्षाकृत क्षीण है। सूचना तंत्र के विकास एवं विस्तार के साथ उत्पादक क्रियाओं की जानकारी, प्रविधि का ज्ञान, बाजार की अद्यतन स्थिति आदि का प्रचार एवं प्रसार अवश्य हो रहा है लेकिन इसका समुचित लाभ उठा पाने में हमारा संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र अभी काफी पीछे है। साथ ही कुछ वर्ग विशेष जानकारी के बावजूद संसाधनों की कमी एवं अद्यः संरचनात्मक सुविधाओं तथा बाजार–समर्थन के आभाव में इसका लाभ उठाने में काफी हद तक वंचित रह जाते हैं।

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में बाजार आधारित निर्यातोन्मुखी उत्पादों पर जोर दिया जा रहा है कृषि में भी संरचनात्मक परिवर्तन की नीति अपनायी जा रही है। उत्पादन लागत के साथ–साथ प्रसंस्करण, संरक्षण, पैंकिंग आदि की भूमिका बढ़ती जा रही है। लेकिन यह बाजार आधारित व्यवस्था खाद्य असुरक्षा, बाजार के उतार–चढ़ाव, आर्थिक मंदी, विदेशों पर निर्भरता आदि की समस्या को भी जन्म दे रही है। कृषि उत्पादों का निर्यात 1996–97 में 6828 मिलियन डालर के बराबर था जो 1999–2000 में घटकर 5475 मिलियन डालर हो गया (आर्थिक सर्वेक्षण, 2000–01) हमारे कृषि उत्पादों के निर्यात की वृद्धि दर अवश्य ऊंची रही है जो 1980–81 से 1991–92 के बीच 3. 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर 1992–93 से 1999–2000 के बीच औसत 8.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हो गयी। लेकिन देश के कुल निर्यात में कृषि उत्पादों का हिस्सा जहां 1980 के दशक में 24. 2 प्रतिशत था घटते क्रम से 1996–97 में 20.4, 1998–99 में 18.01 प्रतिशत और 1999–2000 में 14.6 प्रतिशत रह गया। बासमती चावल का निर्यात भी 1998–99 में 49.64 लाख टन से घटकर 1999–2000 में 18.23 लाख टन हो गया। पुनः निर्यातोन्मुखी विकास प्रक्रिया के क्रम में नीति पर अत्यधिक जोर देने के चक्कर में नुकसान यह हो रहा है कि अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के बजाए अमीर देशों अमीर उपभोक्ताओं की विलासपूर्ण जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। निर्यात के लिये बासमती चावल, अंगूर और फूलों की खेती, कॉफी, कोको और झींगा मछली के उत्पादन, विकास और अनुसंधान पर तो पूरा ध्यान दे रहे हैं लेकिन देश की विशाल, बहुसंख्यक आबादी की भोजन और पोषण संबंधी जरूरतों की उपेक्षा करते जा रहे हैं।

कृषि के विकास और खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा की बातें तो जरूर की जा रही हैं लेकिन जिस तरह से विश्व व्यापार संगठनों की शर्तों के तहत आयात के मात्रात्मक नियंत्रण को समाप्त किया गया है जिसमें 147 किस्म के कृषि उत्पाद भी शामिल हैं और आयात की काफी हद तक खुली छूट दे डाली है उससे विदेशी बाजार तो दूर, स्वदेशी बाजार भी सिमट जायेगा। उदाहरण के तौर पर तिलहन उत्पादन को ले सकते हैं। नब्बे के दशक के प्रारंभ में इसके क्षेत्र में हम करीब–करीब आत्म–निर्भर हो गए थे। लेकिन दशक के अंतिम वर्षों में आयात की खुली छूट देने से अमेरीका के सोया तेल और मलेशिया के पाम आयल की बाढ़ आ गई और हमारी आत्म–निर्भरता 55 प्रतिशत रह गई। भारत के किसानों के सोयाबीन, सरसों, मूंगफली और नारियल के दाम गिरते जा रहें है और तिलहन फसलों का रकबा और उत्पादन घटता जा रहा है, फिर खाद्य सुरक्षा और आत्म–निर्भरता की बातें कैसे की जा सकती हैं? आयात पर नियंत्रण समाप्त करने के लिये हम विश्व संगठन के साथ वचनबद्ध हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं।

व्यापार संबंधित बौद्धिक परिसंपदा अधिकार एक अलग समस्या है। आयात संबंधी और पेटेन्ट आधारित प्रावधान अगर व्यापक हो जाते हैं तो भारत की खेती में बीज आपूर्ति पर विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व होते देर नही लगेगी और बीज पर नियंत्रण का मतलब है खेती पर नियंत्रण। किसान इन कंपनियों के बंधुआ हो जायेंगे और इस विशाल देश की खाद्य पूर्ति इन कंपनियों के भरोसे हो जायेगी।

भूमंडलीकरण की यह प्रक्रिया सभी प्रकार की सब्सिडी को घटाने एवं कुछ ही वर्षों में पूर्णतः समाप्त करने की भी व्यवस्था करती है जो निस्संदेह भारतीय कृषि और किसानों के लिये घातक है। विकसित राष्ट्र अपने कृषि उत्पादन और निर्यात पर विभिन्न तरह से 35 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रहे हैं। और विकासशील देशों पर इसे समाप्त करने के लिए पूरा दबाव दे रहे हैं। विश्व बाजार में हमारा हिस्सा केवल 0.7 प्रतिशत है। अतः विश्व बाजार की शर्तें निर्धारित करने में भी हमारी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। सब्सिडी में कटौती के फलस्वरूप कृषि अदाताओं के मूल्य में वृद्धि होगी जिसके बुरे परिणाम छोटे और सीमांत किसानों को भुगतने पड़ेगें। पंजाब के छोटे किसान कृषि की अलाभकारी स्थिति के फलस्वरूप अपनी जमीन बड़े एवं साधन संपन्न किसानों को ठेके पर देते जा रहे हैं, भूमिहीनता बढ़ती जा रही है और बड़े किसानों की सम्पन्नता बढ़ती जा रही है। यह स्थिति धीरे–धीरे सारे देश की हो जाएगी।

जहां तक ग्रामीण उद्योग धंधों का सवाल है उनमें रोजगार देने, उत्पादन बढ़ाने और निर्यात–संवर्द्धन की संभावनाए हैं। लेकिन वर्तमान में उनकी स्पर्धात्मक क्षमता क्षीण है। खुले आयात की नीति उन पर बुरा प्रभाव डालेगी। उनके निर्यात संवर्द्धन को भी तरह–तरह से बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके बढ़ते बाजार को देखते हुए विकसित राष्ट्र डब्ल्यू.टी.ओ. सामाजिक प्रावधानों को लागू कराने के लिये बेचैन है जिससे इस क्षेत्र का भी बाजार सिमटेगा, उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और रोजगार के अवसर घटेंगे। श्रम–मानकों में सुधार हो इसका कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन हमें इन्हें भारत के आर्थिक–सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा।

ग्रामीण इलाकों की भीषण समस्या है–गरीबी, जिसका अनुपात 1993–94 में 37.27 प्रतिशत से बढ़कर 1997–98 में 38.46 प्रतिशत हो गया। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया इसे और बढ़ावा देगी। प्रश्न है इसका निवारण कैसे हो? इतिहास साक्षी है कि जापान, ताईवान और दक्षिण कोरिया जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य आधार प्रारंभिक चरण में कृषि क्षेत्र से प्राप्त 7 से 8 प्रतिशत तक की विकास दर रही है इसके बाद ही ये देश औद्योगिक और निर्यात क्षेत्र में आगे आये लेकिन हमारा विकास दर्शन इसके विपरीत रहा। इसे न तो पंडित नेहरू की ट्रिकिल डाउन की आवधारणा और न श्रीमती गांधी का 20 सूत्री और गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम गरीबी को दूर कर सका। कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी और आधारभूत ढांचे के अभाव में कृषि क्षेत्र में वांछित विकास नहीं हो सका, हरित क्रांति व्यापक नहीं हो पाई और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सका। नब्बे के दशक में चले उदारीकरण और निजीकरण के दौर ने गरीबी की समस्या को विकट बना दिया है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही आबादी का प्रतिशत बढ़ा है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह घटकर 29 प्रतिशत हो गया है। इसका मुख्य कारण आर्थिक सुधारों के दौर में औद्योगिक सेवा क्षेत्र का विस्तार होना है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में हमें रोजगारविहीन विकास का मुंह देखना पड़ा है। विकास की दर 5 से 6 प्रतिशत तक बढ़ी लेकिन देश में रोजगार के अवसरों में यह वृद्धि मात्र 1 से 2 प्रतिशत के बीच रही है। विकास की प्रक्रिया पूंजी प्रधान होती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में तो रोजगार के अवसरों में कमी आयी है। यंत्रीकरण के साथ श्रमिकों के न केवल रोजगार के अवसर घटे हैं बल्कि उनकी मोलतोल की क्षमता और वास्तविक मजदूरी में भी कमी आयी है। साथ ही पिछले दशक से हम अनुभव कर रहे हैं कि रोजगार के अवसर का आकस्मिकीरण होता जा रहा है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर आकस्मिक श्रमिकों का अनुपात 1972–73 में 23 प्रतिशत था जो 1993–94 में 32 प्रतिशत हो गया। अर्थात् रोजगार और आय की प्राप्ति आकस्मिक ढंग से हो रही है, उपभोग एक अनवरत प्रक्रिया है। उत्पादन प्रक्रिया के पूंजी प्रधान होने और रोजगार के अवसरों के सिमटने के साथ ही यह कल्पना की गई है कि सेवा क्षेत्र के विस्तार के साथ उसकी न केवल भरपाई होगी बल्कि अधिक रोजगार के अवसर मिलेगें। लेकिन यह सेवा क्षेत्र भी काफी हद तक असंगठित, असंरक्षित एवं तकनीकी उन्मुखी होते जा रहे हैं। जहां थोड़े से प्रबुद्ध वर्ग के लिये ही रोजगार संवर्द्धन की संभावना है और वह भी आकस्मिकता की समस्या से अलग नहीं है। पुनः रोजगार के क्षेत्र में न केवल आकस्मिकता की वृद्धि हो रही है बल्कि वास्तविक मजदूरी में वृद्धि की दर में भी ह्रास हुआ है। वास्तविक मजदूरी में वृद्धि की दर 1980 के दशक में 4.48 प्रतिशत थी जो 1990–97 की अवधि में 2.48 प्रतिशत ही रही। तृतीयक क्षेत्र में वास्तविक मजूदरी की वृद्धि दर 1987–88 में जहां 5.76 प्रतिशत थी वहीं 1993–94 में केवल 0.97 प्रतिशत ही रही। कृषि मजदूरों की स्थिति तो और दयनीय रही।

जहां तक कृषि में लगे स्वरोजगार प्राप्त कृषक वर्ग का प्रश्न है, कृषि का विस्तार अवश्य हो रहा है लेकिन एकल फसल कृषि के बदले बहु–फसल खेती में जमीन की उत्पादकता को बरकरार रखने के लिये भूशक्ति के क्षरण को रोकने, समुचित जल प्रबंधन, रसायनिक एवं जैविक उर्वरकों के भरपूर प्रयोग एवं अन्य अदाताओं की आपूर्ति करने में किसानों को काफी खर्च करना पड़ रहा है जिससे उनकी वास्तविक आय में हो गयी है उत्पादन लागत में भी वृद्धि होती जा रही है। बाजार की अनिश्चितता एवं अस्थिरता का भी उन पर बुरा असर पड़ता है।

अगर आय प्रदायक समुचित रोजगार के अवसरों में आवश्यकतानुसार वृद्धि नहीं होगी तो गरीबी का भी निवारण नहीं हो पायेगा। बढ़ती मंहगाई के कारण प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े थोड़ा ऊपर भले ही खिसक जायें लेकिन योजनाबद्ध आर्थिक सुधारों एवं प्रयासों के बावजूद गरीबी घटने के बजाए बढ़ती ही जा रही है। 1993–94 में 35 प्रतिशत और शताब्दी के अंत में लगभग 37 प्रतिशत हो गयी। नब्बे के दशक में कृषि विकास की दर तो ऊंची रही, किंतु गरीबी की दर कम नहीं हुई, क्योंकि इस अवधि में कृषि विकास श्रम–प्रधान नहीं रहा। फलतः श्रमिकों की मांग में वृद्धि नहीं हुई। कृषि क्षेत्र में वास्तविक आय के क्षरणशील आधार के फलस्वरूप गैर–कृषि रोजगार में भी खास वृद्धि नहीं हो पायी। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर सुदूर इलाकों में श्रमिकों का स्थानांतरण अवश्य हो रहा है लेकिन सीमित स्तर पर और वह भी दूसरी जगहों पर रोजगार की आकस्मिकता, अपेक्षाकृत निम्न मजदूरी और निर्वाह खर्च में वृद्धि के फलस्वरूप उनकी वास्तविक आय में कोई अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हो पायी है।

फिर भी अगर वर्तमान में जारी उदारीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ही हमारी नियति है तो हमें ग्रामीण विकास के लिये इस क्षेत्र में विनियोग को बढ़ाना होगा, आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण करना होगा, उनके बाजार विस्तार में सहायता और संरक्षण की नीति अपनानी होगी तथा रोजगारोन्मुखी आय–प्रदायी क्षेत्रों को विकसित करना होगा। भूमि सुधार और विकास कार्यक्रमों में प्रगति के साथ–साथ लघु तथा सीमांत किसानों एवं साधन विहीन लोगों के लिए विशेष कार्यक्रमों की गति तीव्र करनी होगी। विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के साथ–साथ अपनी प्राथमिकताओं और विकास की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखना होगा। पुनः विश्व मंच पर अत्यधिक वांछित राष्ट्र का दर्जा पाने और अपनी हित रक्षा के लिये सतत जागरूक और संघर्षशील रहना होगा, तभी वर्तमान सुधारों और परिवर्तनों का लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। ❑

(लेखक नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध हैं)

भारतीय अर्थव्यवस्था : मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास

इन्द्रदेव सिंह

किसी देश के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उत्थान में उस देश में उपलब्ध मानव संसाधन अथवा आर्थिक रूप से क्रियाशील तथा उसका गुणात्मक स्वरूप देश के विकास की दिशा, मात्रा एवं विकास का पथ निर्धारित करती है।

उत्पत्ति के साधनों में श्रम का अधिक महत्व है और आर्थिक विकास में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। मानव पूंजी में निवेश की विचारधारा हाल ही में विकसित हुई है आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में भौतिक पूंजी के संचय को महत्व देना व्यावहारिक माना गया है। मानवीय श्रम का अर्थव्यवस्था में दोहरा पहलू है अर्थात् वह उत्पादन का साधन एवं साध्य या उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों ही है। आर्थिक विकास एवं मानवीय साधन एक दूसरे के पूरक हैं। आर्थिक विकास में एक ओर मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है तथा दूसरी ओर आर्थिक विकास स्वयं मानवीय साधनों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। विश्व के विकसित राष्ट्रों ने कुशल मानव श्रम द्वारा आर्थिक विकास की गति बढ़ाई है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि देश के आर्थिक विकास में मानवीय साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है और प्रत्येक राष्ट्र इस साधन में वृद्धि करने का प्रयास करता है, "यदि कोई राष्ट्र मानवीय साधनों का विकास करने में असमर्थ है तो वह दूसरे क्षेत्रों में भी अधिक विकास नहीं कर सकता चाहे राजनीतिक और सामाजिक ढांचा हो या राष्ट्रीय एकता या आर्थिक कल्याण का उच्च स्तर ही क्यों न हो"।

जनसंख्या एवं आर्थिक विकास में परस्पर सम्बन्ध है क्योंकि जनसंख्या का आर्थिक विकास पर प्रभाव एवं आर्थिक विकास का जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है।

- आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव
- जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव

आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव

आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव ज्ञात करने के लिए जनसंख्या के संक्रमण सिद्धान्त का सहारा लिया जाता है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादक डब्ल्यू एम. थामस फैक नोटेस्टीन, सी. वी. ब्लेकर हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था को जनसंख्या वृद्धि की चार आवश्यकताओं से असर पड़ता है। जनसंख्या के संक्रमण की स्थिति का अध्ययन भारत में विगत 100 वर्षों के जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों की उपलब्धता के आधार पर किया जा सकता है। निम्न तालिका में 1891 से 2001 तक भारत की जन्म एवं मृत्यु दरों तथा जनसंख्या वृद्धि दर को प्रदर्शित किया गया है जिससे भारत में हुए जनसंख्या परिवर्तन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो।

भारत में जन्म एवं मृत्यु दर

वर्ष	जन्म दर (प्रति हजार)	मृत्यु दर (प्रति हजार)	वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1891–1900	48	48	–
1901–1910	49.2	42.6	+0.56
1911–1920	48.1	48.6	–0.01
1921–1930	46.4	36.3	+1.01
1931–1940	45.2	31.4	+1.33
1941–1950	39.9	27.4	+1.25
1951–1960	41.7	22.8	+1.89
1961–1970	41.2	19.00	+2.22
1971–1980	37.2	15.0	+2.21
1981–1990	32.5	11.4	+2.11
1991–2000	27.0	10.0	+1.93
2001–	25.8	8.5	1.73

जनसंख्या वृद्धि के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों को जनसंख्या संक्रमण सिद्धान्त की चारों अवस्थाओं में रखकर देखा जा सकता है। जो इस प्रकार हैं–

प्रथम अवस्था

इस अवस्था में देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ तथा अर्द्ध विकसित होता है। यह स्थिरता की अवस्था है, जिसमें जन्म और मृत्यु दोनों की दरें अधिक होती हैं, कृषि प्रधान अविकसित सफाई व्यवस्था, घटिया भोजन और प्रभावशाली डाक्टरी सहायता के अभाव में मृत्यु दर ऊँची होती है। इस अवस्था में व्यापक निरक्षरता, छोटी आयु में विवाह, परिवार नियोजन के तरीकों के विषय में अज्ञानता आदि के कारण जन्म दर ऊंची नहीं होती है। अतः ऐसे समाज में जनसंख्या वृद्धि की दर वास्तव में अधिक ऊंची होती है, क्योंकि उच्च जन्म व उच्च मृत्यु दर एक दूसरे को सन्तुलित कर देते हैं। उसके बावजूद भी जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि होती है। भारत में 1920 तक इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। सन् 1900 में देश में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही लगभग बराबर 48 प्रति हजार थी। 1901 से 1910 तक भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर क्रमशः 49.2 तथा 42.6 प्रति हजार थी तथा जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 0.56 थी। 1910 से 1920 तक जन्म दर तथा मृत्यु दर क्रमशः 48.1 तथा 48.6 प्रति हजार और इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर ऋणात्मक हो गयी। 1901 से

1920 तक की अवधि में जनसंख्या 23.84 करोड़ से बढ़कर 25.13 करोड़ हो गयी। इस तरह 20 वर्षों के दौरान देश की जनसंख्या में मात्र 1.29 करोड़ की वृद्धि हुई। स्पष्टतया इस अवधि में जनसंख्या लगभग स्थिर बनी रही इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी का कारण ऊंची मृत्यु दर रही। इस अवधि में देश को अकाल महामारी की भयानक समस्या का सामना करना पड़ा जिससे पूरे देश में लाखों लोग अकाल मृत्यु का शिकार बन गये।

द्वितीय अवस्था

इस अवस्था में मृत्यु दर में तीव्र कमी हो जाती है जबकि जन्म दर ऊंची बनी रहती है। इस अवस्था को 'जनसंख्या विस्फोट' की अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था कृषि अर्थव्यवस्था की है। इस अवस्था में आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। जनसंख्या की सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं में सामान्य सुधार हो जाता है। जैसे–जैसे पिछड़े देश आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होते हैं त्यों–त्यों वहां के लोगों को अधिक सुख–सुविधाएं, परिवार नियोजन आदि सुविधाएं मुहैया हो जाती हैं। फलस्वरूप मृत्युदर में कमी आ जाती है, जबकि जन्म दर में इस अनुपात में कमी नहीं आती है। इस तरह जन्म दर और मृत्युदर के बीच अन्तर बढ़ जाता है। यदि जनसंख्या की वृद्धि पर नियन्त्रण न हो तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा होती है। निःसन्देह आर्थिक विकास की दृष्टि से यह अवस्था बहुत गम्भीर व चिन्ताजनक होती है। यदि भारत के जननांकिकीय आंकड़ों का विश्लेषण किया जाय तो स्पष्ट होता है कि सन् 1921 से 1971 तक भारत जननांकिकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में था। सन् 1920 से 1930 तक भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर क्रमशः 46. 4 व 36.3 प्रति हजार रही और जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.01 रही। 1931 से 1940 के दौरान वार्षिक वृद्धि दर 1.33 प्रतिशत तथा 1941 से 1950 के दौरान 1.25 प्रतिशत रही। वर्ष 1951 से 1960 के दशक में जन्म दर तथा मृत्यु दर क्रमशः 41.7 तथा 22.8 प्रति हजार तथा वार्षिक वृद्धि दर 1.89 प्रतिशत रही। 1961 से 1970 के दशक में मृत्यु दर में और अधिक कमी आ गयी परन्तु इस अवस्था में जन्म दर लगभग पुरानी अवस्था में बनी रही। परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि की दर बढ़कर 2.22 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गयी। इस तरह भारत जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुंच गया।

तृतीय अवस्था

इस अवस्था में मृत्यु दर में और कमी आ जाती है, साथ ही साथ जन्म दर में भी कमी आ जाती है। इससे जनसंख्या तो बढ़ती है, लेकिन जनसंख्या के ढांचे में परिवर्तन आ जाता है। जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से औद्योगिक केन्द्रों की ओर जाती है। स्त्रियां घर से बाहर निकलकर आर्थिक कार्यों में हाथ बँटाती हैं। इन सबके परिणास्वरूप बड़े परिवारों की तुलना में छोटे परिवार सुविधाजनक प्रतीत होने लगते हैं। आर्थिक प्रगति का क्रम परम्परागत विश्वासों और रीतिरिवाजों को कमजोर कर देता है। अब परिवार नियोजन कार्यक्रमों तथा गर्भ निरोधक साधनों में विश्वास बढ़ता है तथा उनके औचित्य को स्वीकार कर लिया ज़ाता है। इस प्रकार जन्म दर भी कम हो जाती है। मृत्यु दर पहले से ही कम हो चुकी होती है। यदि जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों को देखा जाय तो पता चलता है कि 1970 से 1990 तक की अवधि में भारत जननांकिकीय संक्रमण की इस तृतीय अवस्था में था। सन् 1970 में जन्म तथा मृत्यु दर क्रमशः 41.2 तथा 19.0 प्रति हजार थी जो 1980 में घटकर क्रमशः 37. 2 तथा 15 प्रति हजार तथा पुनः 1990 में घटकर 32.5 तथा 11.4 प्रति हजार रह गयी। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1970 से 1990 तक जनसंख्या वृद्धि दर ऊँची बन रही।

चतुर्थ अवस्था

इस अवस्था में आर्थिक विकास उच्च कोटि का होता है, लोगों के रहन–सहन का स्तर काफी ऊंचा होता है। सन्तानोत्पत्ति के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगता है। जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। शिक्षा का और अधिक विस्तार होता है। जन्म दर को नियन्त्रित करने हेतु बड़े पैमाने पर कृत्रिम साधनों का प्रयोग होने लगता है और जन्म दर में कमी हो जाती है, इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों स्थायी हो जाती हैं और इसलिए जनसंख्या विकास भी एक बहुत नीची दर पर स्थित हो जाता है। आज यूरोप जैसे विकसित देशों में यह स्थिति देखने को मिलती है। अनुमान है कि भारत जननांकिकीय संक्रमण की चतुर्थ अवस्था में आगामी तीस दशकों अर्थात 1991–2020 के उपरान्त प्रवेश कर सकेगा तथा यहां मृत्यु दर में कमी के साथ ही साथ जन्म दर में भी कमी आ जायेगी। इस समय जनसंख्या वृद्धि दर एक प्रतिशत के नीचे रहने की सम्भावना है। अतः इस तरह भारत में जनसंख्या वृद्धि के सन्दर्भ में स्थिरता प्राप्त करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगने की सम्भावना है।

जनसंख्या अवस्था में परिवर्तन में कितना समय लगता है। यह सही कहना कठिन है क्योंकि यह मृत्यु और जन्म स्तर परिवर्तनी के स्वरूप और गति, जनता और सरकार के दृष्टिकोण इत्यादि बातों पर निर्भर करेगा। उन पश्चिमी देशों में जहां आर्थिक विकास क्रम धीमा रहा है, यह समय 25 से 30 वर्ष तक पाया गया, जबकि जापान ने नये अनुभव के अनुसार 10 वर्ष में ही अपनी जनसंख्या वृद्धि की दर घटाकर आधी कर डाली। फ्रांस जनसंख्या विकास की चतुर्थ अवस्था में है। इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, जर्मनी आदि विकसित देश जनसंख्या विकास की तृतीय अवस्था में हैं तथा एशिया, अफ्रीका व लेटिन अमेरिका के अधिकांश देश द्वितीय अवस्था में हैं। भारत 1921 के पूर्व प्रथम अवस्था में था उसके बाद मृत्यु दर में तो लगातार ह्रास हो रहा है, लेकिन जन्म दर में अभी भी उल्लेखनीय कमी नहीं आयी है। अतः वर्तमान में भारत संक्रमण की द्वितीय अवस्था से गुजर रहा है।

जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव

भारत के सभी विचारक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री व राजनीतिज्ञ यह मानते हैं कि "तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है।" कुछ लोग बढ़ती हुई जनसंख्या को 'अभिशाप' मानते हैं। अर्द्ध विकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर निम्न प्रभाव पड़ता है।

पूंजी निर्माण की धीमी गति

बढ़ती हुई जनसंख्या बचतों को प्रभावित करती है। इससे बचत की दर कम हो जाती है। जिसके फलस्वरूप पूंजी निर्माण की गति

भी धीमी रहती है। भारत में जनसंख्या 1981 से 1991 तक 2.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी है। लेकिन 1991 से 2000 के दौरान 1.93 प्रतिशत की दर से बढ़ी । इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पूंजी निर्माण की गति और तेज होनी चाहिए। 2001–2002 में शुद्ध पूंजी निर्माण की दर 24.1 प्रतिशत रही है वर्तमान में यह और कम हो गयी है। यदि जनसंख्या इतनी तेज गति से न बढ़ी होती तो पूंजी निर्माण की दर भी अधिक होती। इस प्रवृति को अर्थशास्त्रियों ने गरीबी के दुष्चक्र की संज्ञा दी है। इसको निम्न चित्र द्वारा दर्शाया गया है।

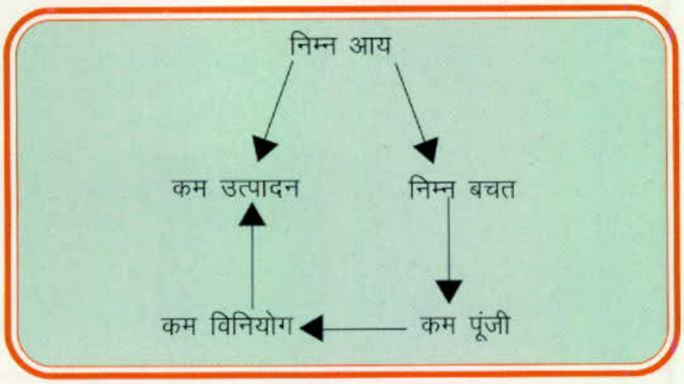

चित्र से स्पष्ट है कि निम्न आय के कारण बचत की क्षमता कम होगी फलस्वरूप बचत की मात्रा की कमी के कारण पूंजी–निर्माण तथा विनियोजन की मात्रा में कमी होगी जिसके फलस्वरूप उत्पादकता की कमी तथा वास्तविक आय में कमी दृष्टिगोचर होगी अतः अल्प उत्पादन अंततः आर्थिक पिछड़ेपन का द्योतक है।

जनसंख्या व खाद्यान्न की पूर्ति

जनसंख्या का खाद्यान्न की पूर्ति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है क्योंकि इससे जीवन–स्तर पर प्रभाव पड़ता है। देश के आर्थिक विकास के साथ–साथ रहन–सहन के स्तर में भी वृद्धि होती है। अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। खाद्यान्न का अभाव पाया जाता है जिससे जनता को भरपेट भोजन स्वादिष्ट व पौष्टिक पदार्थ प्राप्त न होने के कारण उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। जिसके फलस्वरूप आय घट जाती है। जीवन स्तर में ह्रास हो जाता है कुल उत्पादन घट जाता है। मांग में कमी हो जाती है और इस प्रकार यह चक्र चलता ही रहता है, जोकि देश के आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहा है।

भूमि पर बढ़ता भार

बढ़ती हुई जनसंख्या का कृषि के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। एक ओर कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो दूसरी ओर भूमि के उप–विभाजन व अपखण्डन से नयी–नयी समस्याएं पैदा होती हैं और इस प्रकार यह स्थिति देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाती है।

मूल्य स्तर में वृद्धि

जनसंख्या वृद्धि से वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, लेकिन उत्पादन क्षमता उतनी नहीं बढ़ती है। जिसका परिणाम यह होता है कि वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है। यह मूल्य वृद्धि देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव डालती है तथा विकास व्ययों में वृद्धि करती है।

जनसंख्या का सामाजिक प्रभाव

तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या सामाजिक संरचना में बड़े विनियोगों की आवश्यकता बना देती है तथा साधनों को प्रत्यक्ष, उत्पादन सम्पत्तियों से हटा देती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक स्कूल, अस्पताल, डाकघर व परिवहन के साधनों में वृद्धि करनी पड़ती है। शहरों में जनसंख्या का जमघट हो जाता है जहां आवास की समस्या, सफाई व स्वस्थ वातावरण आदि की समस्याएं सामने आती हैं। जिनको सुलझाने में सरकार को अपनी आय का काफी भाग व्यय करना पड़ता है फिर भी भौतिक सम्पत्ति में कोई वृद्धि नहीं होती है।

बेरोजगारी की समस्या

जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी पैदा हो जाती है। जिसको हल करने के लिए सरकार को अपने बहुमूल्य साधनों को लगाना पड़ता है जो अन्त में देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। भारत की यही स्थिति है।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि यदि बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित न किया गया तो देश के सामान्य जीवन स्तर में किसी भी प्रकार के स्पष्ट सुधार सम्भव नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर जुलियन हैक्सले ने कहा था कि "जनसंख्या के संबंध में भारत की बड़ी संकटपूर्ण स्थिति है यदि भारत जनसंख्या की समस्या के समाधान में विफल रहा तो इससे एक बहुत बड़ी राजनीतिक एवं सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी और यदि वह सफल होगा तो न केवल उसे एशिया का नेतृत्व ही प्राप्त होगा बल्कि वह सम्पूर्ण संसार की आशा का केन्द्र बन जायेगा।"

भारत में तीव्र गति से बढ़ने वाली जनसंख्या न केवल हमारे आर्थिक विकास के लिए ही खतरा है बल्कि इससे देश के राजनीतिक एवं सामाजिक विघटन तथा व्यक्तियों के नैतिक पतन की भी आशंका है। भारत के आर्थिक विकास की कुंजी इसी में निहित है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए राष्ट्रव्यापी और प्रभावशाली कार्यक्रम लागू किए जायें जिससे जनसंख्या पर नियन्त्रण हो सके तभी देश का विकास सम्भव हो सकता है।

भारत में जनसंख्या पर नियन्त्रण लगाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, अनुसंधान आदि क्षेत्रों में भी पर्याप्त विकास करने की आवश्यकता है। देश में प्रशिक्षण का अभाव है इसके लिए सरकार की तरफ से मानव शक्ति को उचित मार्गदर्शन करने एवं मानवीय साधनों को आर्थिक विकास में प्रयोग करने हेतु और अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है।

अतः अब समय आ गया है जब समाज में यह विचार प्रभावशाली होने लगा है कि अधिक जनसंख्या देश के लिए अहितकर होगी। जैसा कि कहा जा चुका है, मानवीय साधन उत्पादन के निर्णायक ही नहीं बल्कि उद्देश्य भी हैं। अतः इस बात के ज्ञान की परम आवश्यकता है कि विकसित मानव–समाज ही देश के कल्याणकारी राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। भविष्य बतलायेगा कि किस प्रकार हमारी जनसंख्या भौतिक एवं प्राकृतिक साधनों का सही उपयोग कर पाती है। ❑

(लेखक पी.जी. कालेज, सकलडीहा, (वाराणसी) के अर्थशास्त्र विभाग में वरिष्ठ प्रवक्ता हैं)

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम)

बी–2, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, भाग–2, (सावित्री क्रासिंग) नई दिल्ली – 110048

दूरभाष: 011– 29221331, 29216330, फैक्स: 29222708

संगठन

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत 24 जनवरी, 1997 को निगमित किया गया। निगम की कुल प्राधिकृत अंश पूँजी रू0 200 करोड़ है।

लक्ष्य

रासकविनि का लक्ष्य सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार व उनके आश्रितों को उनके पारम्परिक पेशे को छुड़ाकर, उनकी दबी हुई सामाजिक दशा को सुधारना और उन्हें गरीबी से उपर उठाना है ताकि वह इस समाज में सामाजिक व आर्थिक सीढ़ी चढ़कर सम्मान और गर्व से जीवन यापन कर सकें।

उद्देश्य

सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को आय अर्जित करने वाली परियोजनाओं हेतू रियायती दर पर ऋण प्रदान करना और लक्षित समूह के विद्यार्थियों को व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करना।

व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी सुधार तथा स्वच्छता के कार्य हेतू विभिन्न सुविधा केन्द्र स्थापित करना।

पात्रता

लाभ लेने वाला स्वच्छकार/सफाई कर्मचारी और उन पर आश्रित राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना/सर्वेक्षण/सफाई कर्मचारी सभा/कानूनी/रजिस्टर्ड सहकारी सभा वैधानिक संगठित संघ, के अन्तर्गत चिन्हित होना चाहिए लाभार्थी व्यक्ति सफाई कर्मचारियों की पंजीकृत सहकारी संस्था या लक्षित समूह द्वारा कानूनी रूप से गठित संस्था का सदस्य होना चाहिए। यदि लक्षित समूह का कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध में किए गये सर्वेक्षण के अन्तर्गत नहीं आ पाया है तो उसे स्थानीय राजस्व अधिकारी/स्थानीय नगर निकाय अधिकारी/छावनी कार्यकारी अधिकारी/रेलवे अधिकारी जिनका पद राजपत्रित अधिकारी से नीचे न हो से प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा।

1993 एक्ट की धारा 3 के अधीन, स्वच्छकार का अर्थ है वह सफाई कर्मचारी जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से हाथ से मानव मल उठाने का कार्य करता है जिसमें उनके आश्रित भी शामिल हैं। सफाई कर्मचारी का अर्थ है वह व्यक्ति जो स्वच्छता (सेनीटेशन) से सम्बन्धित कोई भी कार्य करता हो इसमें उनके आश्रित भी सम्मिलित है।

ऋण के प्रकार

मियादी ऋण

90 प्रतिशत मियादी ऋण उन योजनाओं में दिया जाता है जिनकी कुल लागत 5 लाख रू0 है। स्वच्छता (सेनिटेशन) पर आधारित यंत्रो पर कुल 10 लाख रू0 तक ऋण दिया जाता है। बकाया 10 प्रतिशत राज्य माध्यम अभिकरण द्वारा सीमान्त धन अनुदान सहित व लाभार्थी के भाग सहित प्रदान किया जाता है।

2 लाख तक की लागत वाली योजना में लाभार्थी का भाग आवश्यक नहीं है। 2 लाख से ऊपर वाली योजना में लाभार्थी का 5 प्रतिशत भाग अनिवार्य है।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आय सीमा निर्धारित नही की गई है।

ब्याज दर

रासकविनि से राज्य माध्यम अभिकरण	3 प्रतिशत
राज्य माध्यम अभिकरण से लाभार्थी	6 प्रतिशत से अधिक नहीं

ऋण भुगतान की अवधि:– ऋण का भुगतान पाँच वर्ष में होना चाहिए मोरेटोशियम छः माह दे कर और उसके बाद 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज लाभार्थी से देय होगा।

लघु ऋण योजना

लघु ऋण योजना छोटे व्यवसाय/छुटकरकार्यो में आय अर्जित करने वाली योजना के लिए कुल रू0 5.00 लाख प्रदान करता है इस योजना के अन्तर्गत 20 व्यक्तियों के समूह को रू0 25000/– प्रति व्यक्ति के हिसाब से रियायती दर पर लाभान्वित किया जाता है। इस योजना में परियोजना लागत का 90 प्रतिशत रासकविनि द्वारा ऋण दिया जाता है। बकाया राशि राज्य माध्यम अभिकरण द्वारा प्रदान की जाती है।

ब्याज दर

रासकविनि से राज्य माध्यम अभिकरण	2 प्रतिशत
राज्य माध्यम अभिकरण से लाभार्थी	5 प्रतिशत

ऋण भुगतान की अवधि:– ऋण का भुगतान तीन वर्ष में होना चाहिए मोरेटोशियम छः माह दे कर और उसके बाद 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज लाभार्थी से देय होगा।

महिला समृद्धि योजना

महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार एवं उन पर आश्रित बेटियों को कुल रू0 25000/– तक प्रति लाभार्थी 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। जो कि रासकविनि राज्य माध्यम अभिकरण को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान करता है।

शिक्षा ऋण

शिक्षा ऋण सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार व उनके आश्रितों को व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर तक प्राप्त करने के लिए प्रदान किया जाता है और इंजिनियर, चिकित्सा, प्रबन्धन, कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी दिया जाता है। ऋण कुल खर्चे का 90 प्रतिशत व प्रति वर्ष 75000/– रू0 कुल 3,00,000 रू0 से अधिक नहीं दिया जाता बकाया 10 प्रतिशत राज्य माध्यम अभिकरण/लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना के अन्तर्गत ऋण घटक

परियोजना का कुल 65 प्रतिशत राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना के अन्तर्गत जो कि पहले बैंक द्वारा दिया जाता था अब रासकविनि द्वारा दिया जाता है ताकि योजनाओं को क्रियान्वित करने में विलम्ब न हो। बकाया 35 प्रतिशत राज्य माध्यम अभिकरण द्वारा सीमान्त धन व अनुदान के रूप में दिया जाता है। अब तक रासकविनि ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, और छत्तीसगढ़ को इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान किया है।

- ऋण भुगतान की अवधि
- ऋण का भुगतान पाँच वर्ष में होगा और उसके बाद 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज लाभार्थी से देय होगा।

रू. 1.00 लाख तक की योजनाएँ/परियोजनाएँ

रासकविनि राज्य माध्यम अभिकरणों को रू. 1.00 लाख तक की योजनाएँ/परियोजनाएँ जो कि रासकविनि के मॉडल स्कीमों में सम्मिलित हैं या राज्य माध्यम अभिकरणों को पिछले वर्षो में रासकविनि द्वारा स्वीकृत की गई हों, में ऋण प्रदान करता है।

प्रशिक्षण

स्वच्छकारों सहित सफाई कर्मचारियों और उनके 18 या उससे अधिक वर्ष के आश्रितों को उद्योग–सेवा–व्यवसाय क्षेत्रों में आय–जनन कार्यकलाप चलाने हेतु किसी व्यवसाय या कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह राज्य माध्यम अभिकरण को 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। जिस की कुल राशि 1 लाख रू. से अधिक न हो।

KH-1/6/03

ग्रामीण विकास की समस्याएं एवं उनका समाधान

वीणा कुमारी एवं आर.के.पी. सिंह

भारत की हृदयस्थली गांव हैं जहां लगभग 72 प्रतिशत जनसंख्या (74.26 करोड़)निवास करती है। ऐसे में सहज ही गांवों के विकास का ख्याल हमारे दिमाग में आता है। आजादी के 58 वर्ष बाद भी ग्रामीण जनता के पास मूलभूत सुविधायें जैसे रोजगार, आवास, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शुद्व पेयजल आदि उपलब्ध नहीं है। इसके मूल में यदि देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो न केवल ग्रामीण विकास अपितु सम्पूर्ण देश के विकास में बाधक हैं। वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम सामुदायिक विकास परियोजना (1952) के द्वारा ही पहली बार ग्रामीण समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। आज भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण समस्यायों को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इनके अलावा अनेक स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, जनकल्याणकारी संस्थाएं, औद्योगिक घरानों आदि के द्वारा भी इस पुनीत कार्य में बढ़–चढ़कर भागीदारी की जाती रही है। हर वर्ष सरकार नई–नई योजनाओं की घोषणा एवं उनके कार्यान्वयन में करोड़ों रूपये खर्च करती है। साथ ही राज्य सरकारें भी ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाली दूर करने के लिए आकर्षक योजनाओं की घोषणा करती हैं। आज अगर हम हर पिछले वायदे का मूल्यांकन करे तो पाते हैं कि अधिकतर वायदे खोखले एवं वाहवाही लूटकर अपने वोट बैंक को सुदृढ़ करने का जरिया मात्र रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आजादी के बाद हमारे गांवों एवं ग्रामीणों की दशा में सुधार हुआ है। परन्तु यह बात भी अपनी जगह सही है कि जिस मात्रा में इस दिशा में घोषणाएं की गई हैं एवं जिस अनुपात में विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए और धन राशि खर्च की गई उस अनुपात में गांवों एवं ग्रामीणों की दशा में सुधार नहीं हुआ। अतः लोगों के जेहन में यह बात घर करने लगी है कि ग्रामीण विकास के वायदे बस कागजी हैं, अगर उनका शुभारम्भ हो भी जाता तो है निर्धारित समय में कार्यान्वयन नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप इन योजनाओं पर होने वाले खर्च की राशि बढ़ती जाती है लेकिन विकास के लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। साथ ही इन योजनाओं के कार्यकाल में वृद्वि होने से घोटाले की संभावना भी बढ़ जाती है।

इसमें कोई शक नहीं की आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है परन्तु जहां लगभग 72 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती हो वहां के टिकाऊ विकास की कल्पना गांवों के सम्पूर्ण विकास के बिना संभव नहीं जान पड़ती। आज आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण समस्याओं के समाधान हेतु जो सहायता दी जाती है वह उचित हो तथा उनका लाभ प्रत्येक उस व्यक्ति को पहुंचे जिसके लिए ऐसी सहायता उपलब्ध कराई जा रही हो। ऐसा करने से ही ग्रामीण समस्याएं कम होगी और हमारी समस्त अर्थव्यवस्था का विकास सम्भव हो सकेगा क्योंकि भारत जैसे विशाल देश की अर्थव्यवस्था में गांवों का बड़ा योगदान है।

सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम – आजादी प्राप्त करने के बाद सरकार ने ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए अथक प्रयास किये, वर्तमान में भी कर रही है और आशा की जाती है कि भविष्य में भी करती रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया। उनमें से प्रमुख इस प्रकार है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1957, ग्रामीण आवासीय परियोजना का कार्यान्वयन किया। उनमें से प्रमुख इस प्रकार है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एन.ई.पी.) 1952, राष्टीय विस्तार सेवा (एन.ई.एस.) 1953, खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम 1957, बहुउद्वेश्यीय अनुसूचित जाति/जनजाति विकास खण्ड कार्यक्रम 1957, पैकेज कार्यक्रम 1960, गहन जिला कृषि कार्यक्रम 1960, व्यावहारिक आहार कार्यक्रम 1962, ग्रामीण उद्योग परियोजना 1962, गहन कृषि विकास (आई.ए.डी.पी.) 1964, उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का कार्यक्रम 1966, जनजाति विकास खण्ड 1966, ग्रामीण कार्यक्रम 1967, ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1969, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) 1970, ग्रामीण रोजगार हेतु नगर योजना 1971, लघु कृषक विकास एजेन्सी (एस.एफ.डी.ए.) 1971, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1972, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1972, जनजाति विकास हेतु पायलट योजना 1972, समेकित बाल विकास सेवायें 1972, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1972, पेयजल योजना 1972, कमाण्ड एरिया विकास कार्यकम (सी.ए.डी.पी.) 1975, काम के बदले अनाज कार्यकम 1977, मरूभूमि विकास कार्यक्रम 1977, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर. डी.पी.) 1980, ट्राइसेम 1980 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम 1980, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम 1983, इन्दिरा आवास योजना 1985, ग्रामीण आवास ऋण योजना, निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना 1988, जवाहर रोजगार योजना 1989, दस लाख कूप योजना 1990, प्रधानमंत्री रोजगार 1992, सुनिश्चित रोजगार योजना 1993, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1993, सामूहिक जीवन बीमा योजना 1995, गंगा कल्याण योजना 1997, अन्नपूर्णा योजना 1999, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, समग्र आवास योजना 1999–2000, जवाहर ग्राम समृद्वि योजना 1999, स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना 2000, जनश्री बीमा योजना 2000, प्रधानमंत्री

ग्रामोदय योजना 2000, क्रेडिट कम सब्सिडी आवास योजना 2000, अन्तोदय अन्न योजना 2000, जलनिधि योजना 2000, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000, खेतिहर मजदूर बीमा योजना 2001, आश्रम बीमा योजना 2001, सर्व शिक्षा अभियान 2001, महिला स्वाधार योजना 2001, महिला स्वयंसिद्व योजना 2001, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, जय प्रकाश नारायण रोजगार गारन्टी योजना 2002, सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना 2003, हरियाली योजना 2003, रोजगार गारंटी योजना 2004, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004, काम के बदले अनाज योजना 2004, ग्रामीण निःशुल्क बिजली योजना 2005, आशा योजना 2005, आती हैं। हर वर्ष ग्रामीण समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाये जाने के बावजूद भी हमारी ग्रामीण समस्याएं सुलझती ही नहीं हैं। साथ ही निकट भविष्य में इनके दूर होने की संभावनाएं क्षीण होती नजर आती हैं। इसका प्रमुख कारण है, इन योजनाओं का पूरा लाभ ग्रामवासियों के स्थान पर बिचौलियों, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के जेब में चला जा रहा है। यही वजह है कि आज भी गांवों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले लोगों की जनसंख्या 27.09 प्रतिशत है।

आज भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं–

- **कृषि क्षेत्र की समस्या** – कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अभी भी कृषि ग्रामीणों के जीवनयापन का अंग है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 1950–51 में 55.47 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से घटते–घटते वर्ष 2003–04 में 22 प्रतिशत भले ही रह गया हो लेकिन अभी भी यह सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से प्रभाव डालती है। विगत वर्षों में कृषि में सुधार के लिए कई कारगर कदम उठाये गये हैं। परन्तु इसका लाभ विशेषकर बड़े किसानों तक ही सीमित रहा है। जबकि छोटे तथा सीमात कृषक इस लाभ से वंचित रहे। कृषि युक्त जमीन का उपविभाजन एवं विखण्डन इतना बढ गया है कि आज प्रति व्यक्ति जोत का आकार मात्र 0.14 हेक्टेयार रह गया है। यही वजह है कि छोटे एवं सीमांत कृषक, कृषि श्रमिक बनने को विवश हैं। इसका कृषि उत्पाद पर भी बुरा असर पड़ा है।

- **कृषक ऋणग्रस्तता** – कृषक ऋणग्रस्तता ग्रामीण विकास की बाधाओं में मुख्य बाधा रही है। अधिकारिक तौर पर सन् 2003 में देश के 43.42 मिलियन कृषक परिवार (48.6 प्रतिशत) ऋणग्रस्त थे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा जनवरी–दिसम्बर 2003 में कराए गए "कृषकों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण" से पता चला है कि अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में 147.90 मिलियन परिवार हैं। जिनमें से 89.35 मिलियन कृषक परिवार हैं। कृषक परिवारों में से 48.6 प्रतिशत परिवार ऋण ग्रस्त हैं। ऋणग्रस्तता की वजह से किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ महसूस करता है। ऐसे में उनके द्वारा उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, समय पर सिंचाई व कीटनाशक के प्रयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस वजह से कृषि उत्पादकता और कृषक की क्रय शक्ति प्रभावित होती है। जब तक कृषि क्षेत्र में साख की कमी को दूर नहीं कर लिया जाता तब तक ग्रामीण समस्याएं व्यक्तिगत तौर पर विद्यमान रहेगी।

- **ग्रामीण बेरोजगारी** – ग्रामीण क्षेत्रों बेरोजगारी की भयावह स्थिति बनी हुई है जो राष्ट्र के सामने एक बडी समस्या के रूप में उभरी है। कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित हैं। कृषि श्रमिक एवं कृषकों को कृषि में वर्ष भर रोजगार का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप कृषक एवं कृषि श्रमिक मौसमी बेरोजगारी, अर्द्ध बेरोजगारी तथा अदृश्य बेरोजगारी के दुष्चक्र से घिरा रहता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आकड़ों से यह स्पष्ट पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्र में ग्रामीण पुरूष रोजगार 1983 में 77.5 प्रतिशत से घटकर 1999–2000 में 71.4 प्रतिशत रह गया है जबकि ग्रामीण महिलाओं के रोजगार के प्रतिशत में कम गिरावट आयी है। यह 1983 में 87.5 प्रतिशत से घटकर 1999–2000 में 85 प्रतिशत हो गया है। इसके विपरीत औद्योगीकरण एवं विकास की दौड़ ने ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योगों को समूल नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फलस्वरूप गैर–कृषि श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पलायन की समस्या से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर डगमगा गई है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के नाम पर कई कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जय प्रकाश रोजगार गांरटी योजना, रोजगार गारंटी योजना प्रमुख हैं। अब तक सरकार की नीति ग्रामीण बेरोजगारों को शारीरिक श्रम पर आधारित रोजगार प्रदान करने की रही है। नवम्बर 2004 में सरकार ने 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम का शुभारम्भ किया है। साथ ही हाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने के लिए एक विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद प्रत्येक गरीब परिवार के एक सदस्य को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। अतः सरकार योजनानुसार जल्द ही 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में परिवर्तित कर देगी। इतना कुछ होने के बावजूद इस प्रश्न का उत्तर मिलना कठिन है कि क्या ग्रामीण बेरोजगारी वास्तव में दूर हो पायेगी? क्या ग्रामीणों को खुशहाल जिन्दगी नसीब हो पायेगी ? इन प्रश्नों का उत्तर हमें हर हाल में ढूंढना ही होगा तभी हमारा राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र बन पायेगा।

- **ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की समस्याएं** – आज अंधाधुंध औद्योगीकरण के नाम पर हमारे ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग कुचल कर रह गये हैं। नियोजन के विगत 53 वर्षों में भारी एवं वृहत्त उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया एवं ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग उपेक्षा के पात्र बने। ग्रामीण क्षेत्रों में ये उद्योग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा चलाये जाते थे परन्तु सामाजिक कुप्रथाओं एवं दुर्भावनाओं ने इन उद्योगों को बुरी तरह कुचल दिया। ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों की भारी हानि के कारण

भारतीय ग्राम्य जीवन के आर्थिक आय के साधन को गहरा आघात पहुंचा है। शायद यही वजह है कि गांधीजी के खुशहाल ग्रामीण जिंदगी (ग्राम विकास) का सपना अधूरा जान पड़ता है। लघु एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण परिवारों की आय का स्रोत भी हैं। अतः जरूरत इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास में उनके योगदान में वृद्धि की जाए।

- **ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समस्या** – ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का सुनियोजित ढंग से कार्यान्वयन न होने के कारण ग्रामीण विकास में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी। ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने मात्र से गांवों को चहुंमुखी विकास के बारे में सोचना बेईमानी है। अपितु ग्रामीण विकास योजनाओं में योजना के कार्यक्रम के संबंध में समन्वय, समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण आदि कार्य उचित समय पर किए जाने अति आवश्यक हैं। अन्यथा ग्रामीण विकास के लिए कितने भी कार्यक्रम लागू किए जाएं, ग्रामीणों की समस्याओं का वास्तविक समाधान नहीं किया जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं की ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किये गये परन्तु कार्यान्वयन करने वाले अधिकारियों के द्वारा सही तरीके से उसे कार्यान्वित नहीं करने एवं समय–समय पर समीक्षा के अभाव में फलीभूत नहीं हो पाए। परिणामस्वरूप योजनाएं अपने वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकीं।

- **ग्रामीण संसाधनों एवं कार्यक्रमों के नियोजन की समस्या** – हमारा ग्रामीण क्षेत्र संसाधनों से परिपूर्ण है। जरूरत है उसके सही एवं नियोजित विदोहन की। विगत वर्षों में केन्द्रीय नियोजन व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को संचालित जाता था। उच्च अधिकारीगण जिन्हें ग्रामीण समस्या की सही जानकारी नहीं थीं वे शहरों में बैठे–बैठे ग्रामीण समस्याओं के समाधान की योजना तैयार करते थे। अभी हाल के वर्षों में सरकार ने यह अनुभव किया कि जब तक ग्रामीण समस्याओं एवं उसके समाधान के तरीकों का निर्धारण गांवों में रहने वाले सरकारी मुलाजिम नहीं करेंगे अर्थात नियोजन का विकेन्द्रीकरण नहीं कर दिया जाता, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के रास्ते में समस्याओं का अम्बार लगता रहेगा। अतः अब गांवों के विकास कार्यक्रमों को संचालित करने का भार मुखिया एवं ग्राम पंचायत स्तर के सरकारी कर्मचारियों को दिया गया है परन्तु अभी भी ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर संचालित करने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है। देखना अब यह होगा कि हमारी ग्रामीण समस्याएं जो विकराल रूप धारण करती जा रही हैं कब तक दूर हो पाती है ?

- **शिक्षा की समस्या** – साक्षरता ग्रामीण विकास का अपरिहार्य अंग है तथा दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं क्योंकि जहां एक ओर शिक्षित ग्रामीण ही कार्यक्रमों को सही रूप से समझ सकते हैं, वहीं दूसरी ओर विकसित अर्थव्यवस्था के लोग साक्षरता का महत्व समझते हैं। इसकी उपयोगिता को स्वीकारते हुए अरस्तु ने कहा था – "किसी भी देश का भाग्य उसके युवकों की शिक्षा पर निर्भर करता है"। इसी संदर्भ में प्रो. गुन्नार का मानना है "बहुत बड़ी जनसंख्या को निरक्षर छोड़कर, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम शुरू करने की बात, मुझे निरर्थक प्रतीत होती है"। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी शिक्षा को बुद्वि के विकास और समाज के पुनर्गठन के लिए आधारभूत साधन माना। जवाहरलाल नेहरू ने भी ठीक ही कहा था, "राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में, जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है किन्तु शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है"।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में निरक्षरों का प्रतिशत 34.62 है। जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये ग्रामीण अशिक्षित भाग्यवादी तथा रूढ़िवादिता से ग्रासित हैं जो किसी भी ग्रामीण विकास कार्यकम में सक्रिय रूप से भाग लेने में असयर्थ हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की उपयोगिता तब तक सिद्व नहीं हो सकती जब तक ग्रामीणों एवं कार्यक्रम संचालकों के बीच समन्वय नहीं होगा। यह ग्रामीण के प्रतिशत में वृद्वि से संभव है अन्यथा विकास कार्यक्रमों की पूर्ण सफलता स्वप्न ही बनी रहेगी।

- **ग्रामीण आवास की समस्या** – गांवों में गरीबों की संख्या काफी है जो समुचित आवास की व्यवस्था करने में असमर्थ है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए यह समस्या इतनी बड़ी है कि इसका समाधान मात्र सरकारी प्रयत्नों से संभव नहीं है। हालाकि पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आवास समस्या को हल करने के कुछ प्रयत्न किए गए। कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के लिए मकान बनवाए गए तथा मकान बनवाने के इच्छुक लोगों को कर्ज देने की व्यवस्था भी की गई। परन्तु यह काफी नहीं था।

राष्ट्रव्यापी आधार पर इस समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा की गई। इसके तहत पिछड़े व कमजोर वर्ग के उन लोगों को प्राथमिकता दी गयी जिनके पास मकान नहीं थे और जो असुविधाओं से पीड़ित थे। सन् 1993–94 में ग्रामीण आवास योजना की शुरूआत की गई। इस योजना को 1996 में इन्दिरा आवास योजना (जिसका कार्यान्वयन 1985 में हुआ था) से जोड़ दिया गया। इन्दिरा आवास योजना के तहत शुरू में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं मुक्त किये गये बंधुआ मजदूर जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर कर रहे थे उन्हें शामिल किया गया। परन्तु बाद में इसका विस्तार कर गैर–अनुसूचित जाति एवं जनजाति को भी इसके दायरे में लाया गया। इस प्रकार इंदिरा आवास योजना के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण आवास की समस्या को हल करने की दिशा में निसंदेह ही एक सराहनीय कदम उठाया है। हाल के वर्षों में सरकार ने ग्रामीणों को समुचित आवास की सुविधा मुहैया कराने की दिशा में नये–नये कार्यक्रमों को भी लागू किया उनमें प्रमुख है समग्र आवास योजना (1999–2000), क्रेडिट कम सब्सिडी आवास योजना (2000) आदि। परन्तु आवास जैसी बड़ी समस्या सिर्फ सरकारी प्रयत्नों से ही संभव नहीं जान पड़ती। अतः समाजसेवी संस्थाओं एवं अन्य एजेन्सियों को भी इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है।

- **जनसंख्या वृद्वि की समस्या** – प्रसिद्व अर्थशारत्री माल्थस ने अपने जनसंख्या संबंधी सिद्वांत में जनसंख्या वृद्धि की भयावह होती स्थिति का आकलन करने सबको जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए

सचेत कर दिया था। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि यदि जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए नैतिक संयम को नहीं अपनाया जाता है तो प्रकृति स्वयं जनसंख्या को संतुलित करने का प्रयास करती है। जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, अकाल, भूकम्प, तूफान, बीमारियों आदि का प्रकोप होता है तथा काफी हदतक जनसंख्या का एक हिस्सा नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जनसंख्या और जीवन निर्वाह के साधनों में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि माल्थस का जनसंख्या सिद्वांत अक्षरशः तो नहीं परन्तु काफी हद तक सही है। यही कारण है कि आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

वास्तव में जनसंख्या वृद्धि ही समस्याओं की जननी है। सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, हरियाली योजना, इन्दिरा आवास योजना आदि समय–समय पर चलाई हैं। इन कार्यक्रमों पर सरकार ने हर वर्ष बजट का एक बड़ा हिस्सा व्यय किया है। किन्तु तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने ये सभी योजनाएं बौनी साबित हुई हैं।

अन्य समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव है। गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शुद्ध, विद्युतीकरण आदि सुविधाओं की भारी कमी है जो ग्रामीण विकास के राह में रोड़े के समान हैं। सरकार द्वारा हर वर्ष नये–नये कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं परन्तु असलियत में गांवों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रमों की नहीं अपितु अपितु उसके पुराने कार्यक्रमों के सुनियोजित ढंग से संचालन की जरूरत है। ताकि अमुक कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।

ग्रामीण समस्या के ज्यों के त्यों बने रहने की एक प्रमुख वजह यह भी है कि हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि जो ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर आते हैं वे भी ग्रामीण समस्याओं को दूर करने के बजाय शहरी भोग विलासिता की जिन्दगी का आनंद उठाने लग जाते हैं।

आज जब सरकार ग्रामीण विकास के प्रति कटिबद्ध है तब हमारे अधिकांश गांव स्वास्थ्य सुविधा, बाजार, मंडी, भंडारण बैंकिंग, यातायात, संचार आदि सुविधाओं से वंचित हैं।

- **समाधान** – ग्रामीण समस्याओं के निदान के लिए निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने में कारगर साबित होंगे।

कृषि क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए यह आवश्यक है कि भूमि का वितरण उचित ढंग से किया जाए ताकि भूमिहीन भी भूमि के स्वामी बनकर उत्साह से खेतों की उत्पादकता को बढ़ा सके। ग्राम स्तर पर कृषकों के लिए उत्पादन कार्यक्रम तैयार किये जायें। भूमि सुधार के कार्यक्रम को पूर्णरूपेण लागू करने की आवश्यकता है। गांवों में उन्नत बीज केन्द्र खोले जाएं, सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाए, इसके लिए नलकूपों व नहरों का निर्माण किया जाए। अगर संभव हो तो ऊर्जा व सिंचाई क्षेत्र का निजीकरण कर उपलब्ध क्षमता का पूर्ण विदोहन किया जाना चाहिए। कृषि में प्रयुक्त होने वाले परम्परागत तरीकों को आधुनिक यंत्र व तकनीकों से विस्थापित किया जाए। ताकि कृषकों को उचित लाभ प्राप्त हो और वे अपनी आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ कर सके जो ग्रामीण समस्याओं को दूर करने का आधार है।

लघु और कुटीर उद्योग, ग्रामीण परिवारों की आय का अतिरिक्त साधन बनने के साथ ही रोजगार के स्रोत भी बनते हैं। अतः ग्रामीण संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण एवं कुटीर की पुनर्स्थापना नितांत आवश्यक है। इसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गांवों में बैकिंग प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। उन्हें ऋण सस्ते दरों पर मुहैया कराने की भी जरूरत है ताकि ग्रामीण मिलकर छोटे–मोटे उद्योग धंधों को खोलकर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकें।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए ग्रामीणों को सहभागी बनाने की आवश्यकता है। ऐसा उनमें चेतना व जागरूकता पैदाकर की जा सकती है। साथ ही समय–समय पर इन कार्यक्रमों की सफलता व असफलता का मूल्यांकन कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए। ताकि कार्यक्रम की त्रुटियों को समय रहते दूर कर उसे ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके। ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को लागू करने के लिए सच्चे, ईमानदार व कर्मठ अधिकारियों व जनसेवकों के सहयोग की आवश्यकता है।

ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रमों व संसाधनों का नियोजन के सम्बंध में गांधीजी ने गांवों को खुशहाल बनाने का जो सपना देखा और बारे में गांवों के विकास के उनके विचारों को आधार बनाकर करना चाहिए न कि विदेशों तरीकों का अनुसरण कर। ग्रामीण विकास के कार्यक्रम की रूपरेखा निचले स्तर के अधिकारियों के द्वारा तैयार की जानी चाहिए ताकि समस्याओं की सही पहचान और निदान ग्रासरूट लेवल से हों और समस्त ग्रामीण परिवेश को प्रभावित करें।

जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए गांवों की समस्याओं को दूर करने के लिए सजग रहना चाहिए।

ग्रामीण शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए सरकार को चाहिए कि गांवों से निर्धारित दूरी पर ही शिक्षण संस्थाएं खोलने से ही ग्रामीण निरक्षता को दूर नहीं किया जा सकता बल्कि स्कूलों में शिक्षा व उनसे जुड़ी अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाकर स्कूलों को एक नया रूप देना है ताकि स्कूल में बच्चे का ध्यान लगा रहे और वे अपनी पढ़ाई बीच में न छोडें। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कोरे कागजों में नहीं बल्कि वास्तविक धरातल पर अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा के स्तर में सुधाक लाकर लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना चाहिए ताकि वे सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का पूरा–पूरा लाभ पा सकें। रोजगारपरक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

ग्रामीण समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि एक निश्चित समय में सरकार द्वारा इनका समाधान कर पाना कठिन है। अतः स्वयंसेवी संगठनों को इसमें बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका हालांकि एक तय सीमा तक ही होती है लेकिन महत्वपूर्ण

है। स्वयंसेवी संगठन वास्तव में सरकार एवं जनता के बीच की कड़ी होते हैं।

गांवों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए तथा इसके लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था होनी चाहिए। यातायात, संचार सेवाएं, विद्युतीकरण, आदि की सुविधा सभी दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में पहुंचायी जानी चाहिए। हालांकि सरकार ने इस दिशा में पहल की है, परन्तु इस दिशा में अभी और सुधार की आवश्यकता है, ताकि उपयोगी सूचनाओं एवं जानकारी के प्रचार–प्रसार की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके।

गांवों के विकास के लिए हमें मूलभूत आवश्यकताएं जैसे – पेयजल, आवास, चिकित्सा सुविधाएं तथा आवश्यक जिन्सों की पर्याप्त उपलब्धि व वितरण पर समुचित ध्यान देना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने तथा जरूरतमंद लोगों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र का भी विस्तार किया जाए।

ग्रामीणों में व्याप्त अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाए ताकि इसकी आड़ में वह अपने संसाधनों का दुरूपयोग ने करें और संचार माध्यमों से उनमें जागरूकता बढाएं।

ग्रामीणों को अपना रोजगार चलाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करके कम ब्याज व आसान किस्तों पर ऋण प्रदान किया जाये तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, जो ग्रामीण समस्याओं का मूल कारण है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके तहत हर बड़े–बड़े गांव या प्रखण्ड स्तर पर सरकारी मंडी का निर्माण अवश्य कराया जाए ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी, किसानों का शोषण समाप्त होगा।

ग्रामीण इलाकों में अनाज भण्डारण की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। आज भी ग्रामीण किसान पुराने परम्परागत भण्डारगृहों में ही अपना अनाज रखते हैं जो वर्षा ऋतु में प्रायः नमीयुक्त होकर या सड़कर बर्बाद हो जाता है। अतः हर प्रखण्ड में शीत भण्डार गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसा करके अनाज को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है तथा ग्रामीणों की क्रय शक्ति को कुछ हद तक बढ़ाने में सहयक सिद्ध होगा।

जनसंख्या वृद्धि सभी समस्याओं की जननी है अतः परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों को अपनाने के लिए ग्रामीणों को तैयार करना चाहिए। इसके लिए सरकार ने हर परिवार में दो बच्चों की संख्या रखने के लिए तरह–तरह के प्रोत्साहन दिये हैं, परन्तु जरूरत है इसका विस्तार करने एवं कड़ाई से लागू करने की। गांवों में बाल–विवाह की प्रथा को समाप्त करने के तथा विवाह करने की आयु निश्चित कर इस समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। इसके लिए कारगर कदम उठाये जाने चाहिए। साथ ही साथ मनोरंजन के साधनों का विकास करना चाहिए।

यह सर्वविदित है ग्रामीणों के पास धन की अत्यधिक कमी होती है जिस की वजह से वे खेतों में उचित समय पर फसल को लगाने व उसकी समुचित देखभाल करने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अधिक से अधिक शाखाएं खोलने की जरूरत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोली गईं परन्तु इसके प्रबंध पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, फलस्वरूप शाखाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गयी। ये शाखाएं अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाने वाली बैंक शाखाओं की व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त किया बनाया जाना चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। ग्रामीण संस्थाओं जैसे पंचायत, सहकारी समिति, स्कूल समिति इत्यादि को सुदृढ़ करने की जरूरत है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ग्रामीण समस्याओं को हल करने में सरकार के साथ–साथ समाज के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है। अगर हम ग्रामीण समस्याओं को हल करने के प्रति दृढ़ एवं कृतसंकल्प हो तो वह दिन दूर नहीं जब हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। ❑

(लेखक द्वय राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर से सम्बद्ध हैं)

स्वच्छ ऊर्जा और विकास के लिए नया फ्रेमवर्क

नए फ्रेमवर्क में स्वच्छ ऊर्जा तथा विकास और निवेश तथा वित्त पोषण के लिए व्यवस्था रखी गई है। जलवायु परिवर्तन पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है। इस बारे में सभी देशों को चिन्ता है तथा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का जमाव तथा इसमें वृद्धि के लिए अलग–अलग देश अलग–अलग स्तर पर जिम्मेदार हैं। यह विरासत से जुड़ा मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन का विपरीत प्रभाव उन देशों यानि विकासशील देशों पर ज्यादा पड़ेगा, जो इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं। विकासशील देश उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, इससे इन देशों में गरीबी में कमी आएगी। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना इन देशों के विकास के लिए अत्यन्त जरूरी है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन के बारे में संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेन्शन तथा क्योतो प्रोटोकोल में "साझी लेकिन अलग–अलग जिम्मेदारियों तथा संबंधित क्षमताओं" के सिद्धान्त पर ज्यादा जोर दिया गया है। ❑

ग्रामीण विकास और वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्थाएं

यू. सी. गुप्ता

वर्तमान आधुनिकता के दौर में विकास की अवधारणा योजनाकारी राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों के लिए मौलिक एवं जटिल समस्या है।

किसी भी राष्ट्र का विकास एवं उसकी खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि उसने उपलब्ध संसाधनों का कितनी सूझबूझ से उपयोग किया है। भारत एक विकासशील देश है यहां पर संसाधनों के अक्षुण्ण भण्डार हैं इसलिए यह कहावत हमारे देश के बारे में कही जाती रही है कि "भारत एक धनी देश है किंतु वहां के निवासी निर्धन।" अतः जब तक हमारे देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासी खुशहाल नहीं होंगे, उनका समग्र विकास संभव नहीं है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन था कि यदि सही मायने में स्वर्ग देखना हो तो गांवों में जाकर देखो। स्वतंत्रता के पूर्व गांवों की हालत अच्छी नहीं थी। किसी भी तरह के विकास की रोशनी गांव तक नहीं पहुंची थी, ग्रामीणों की हालत दयनीय थी जमींदार, सूदखोर, सामन्तवाद तथा महाजनों का बोलबाला था। अधिकांश आबादी गांवों में जीने को विवश थी सड़क, पानी, बिजली, आधुनिक कृषि के साधन, शिक्षा तथा चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं का नाम न था। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 40 प्रतिशत आबादी के सामने रोजगार जैसी विकट समस्या थी।

स्वतंत्रता के बाद सरकार ने गांव के लोगों की हालत में सुधार लाने के लिए विकास कार्यक्रमों की शुरूआत की। प्रारंभिक दौर से ही पंचवर्षीय योजनाओं में गांवों के समग्र विकास पर जोर दिया गया। गरीबी तथा बेरोजगारी दूर करने के विभिन्न प्रभावी कार्यक्रम शुरू किये गये। स्कूल, औषधालय, दक्षता विकास केन्द्र खोलने, आदिवासी अंचलों में अलग–अलग प्रकार के कार्यक्रम, ग्रामीण ऋण, कृषि एवं गैर–कृषि क्षेत्र का प्रबंधन, विपणन, यातायात तथा संचार सेवाओं में सुधार, नई सहकारी नीति तथा सरकारी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु खेती, सिंचाई, वन, विद्युतीकरण, कुटीर उद्योगों का सुदृढ़ीकरण आदि अनेक कार्यक्रम चलाये गये ताकि गांव के लोगों को दीर्घकालीन आय के अवसर प्राप्त हो सकें। इसके लिए समय–समय पर अनेक योजनाएं शुरू की गई। जिसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास, कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति योजना, गंगा कल्याण योजना, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इंदिरा विकास योजना प्रमुख हैं। इन्हें वर्तमान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के वृहद कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया है ताकि रोजगार के बेहतर अवसर जुटाये जा सकें। इसी क्रम में जनसंख्या नियंत्रण, आवास सुविधा, महिला शिक्षा, पंचायतों में भागीदारी आदि अनेक कार्यक्रम बनाये गये।

परन्तु आज भी ग्रामीण भारत, भारत का वह भाग है जहां लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या साढ़े पांच लाख गांवों में निवास करती है, जहां देश की 91 प्रतिशत गरीबी, 90 प्रतिशत बेरोजगारी और इससे अधिक अनुपात में अशिक्षा, कुपोषण व पिछड़ापन है। जहां पंचवर्षीय लोकतांत्रिक चुनाव अधिक से अधिक एक दिन के मेले के रूप में या फिर भयपूर्ण आतंक के वातावरण के एक दिन के रूप में लिए जाते हैं। देश की सत्ता साधन व तमाम चमक–धमक का प्रतिबिम्ब राजधानियों अथवा बड़े शहरों में देखा जा सकता है। इसलिए आज लोकतंत्र का लोक ग्रामीण भारत में बसता है और तंत्र सारा शहरों में सिमट गया है, इसलिए यह लोक अभी भी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है।

अभी तक देश में ग्रामीण विकास के जो भी कार्यक्रम बने हैं उनके क्रियान्वयन और प्रबंध की जिम्मेदारी प्रशासनिक तंत्र की ही रही है। हालांकि 1959 के बाद पंचायती राज के प्रादुर्भाव से पंचायती राज संस्थाओं को भी विकास कार्यक्रमों में भाग लेने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। ग्रामीण क्षेत्र में विकास प्रशासन का ढांचा दो स्तरों का रहा है। एक में पटवारी, ग्राम सेवक, शिक्षक, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, चिकित्सक, तहसीलदार, एस.डी.एम., विकास अधिकारी, शिक्षा, कृषि, सहकारिता, प्रसार अधिकारी, जिलाधीश आदि विकास कार्यों के लिये उत्तरदायी हैं वहीं दूसरी ओर पंच, सरपंच, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख आदि विकास कार्यों में रुचि दिखाते हैं। इस तरह ग्रामीण समाज को दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है। एक ओर तो उन्हें अपने विभाग के नियम कानूनों को अपनाना होता है और दूसरी ओर स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं जन आंकाक्षाओं के अनुरूप कार्य करने को बाध्य होना पड़ता है।

विकास कार्यक्रमों की व्यवहारिक कठिनाइयों को यदि शीर्ष स्तर से देखें तो जिला प्रशासन प्रायः भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा चलाया जाता है जो अधिकांश शहरी पृष्ठभूमि से आते हैं। जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की सेवा के प्रति पूर्ण लगन का अभाव होता है या यह कहें कि इन अधिकारियों का मन गांवों में नहीं लगता। यद्यपि जिला प्रशासन को पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं परंतु निचले स्तर पर अनेक कारणों से पर्याप्त सूचनाएं व सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता।

ग्रामीण विकास प्रशासन खंड में खंड विकास अधिकारी प्रमुख होता है पर उसका कार्य क्षेत्र बहुत स्पष्ट नहीं होता। विभिन्न वर्गों एवं समूहों के मध्य टकराव व अविश्वास की स्थिति पाई जाती है।

जिससे इन अधिकारियों को कार्य करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

योजना के अनुरूप प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में जिलाधीश प्रायः योजना समिति के प्रधान होते हैं। परंतु इन्हें पंचायती राज के साथ मिलकर प्रशासन में हिस्सा बांटना होता है अतः विकेन्द्रीकरण नाम मात्र का रह जाता है। शक्तियां एवं उत्तरदायित्व तो केंद्रित ही रहते हैं।

विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारियों में समन्वय न होना भी एक बड़ी समस्या है। विकास के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों के मध्य समन्वय होना भी आवश्यक है। जिला अधिकारी से निचले स्तर के अधिकारियों की शक्तियां एवं अधिकार नियंत्रित रहते हैं। अतः वह न तो पूरे स्टाफ पर नियंत्रण रख सकते हैं और न ही साधनों, आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं, वरीयता प्राप्त आवश्यकताओं की संतुष्टि आदि में समन्वय रख पाते हैं। दूसरे राजनैतिक दबाव, नियोजन में सहभागिता का अभाव, प्रशासनिक पहल का अभाव, कार्यों की प्रशंसा न मिलना, उन्नति के अवसरों का अभाव भी इनकी कार्यशैली पर विपरीत प्रभाव डालते हैं।

ग्राम सेवकों के पास कार्यों की अधिकता भी कार्यों के निवर्हन में बाधा डालती है। ग्राम सेवक और प्रसार अधिकारी ग्रामीण अभिरुचि के लिए शिक्षित एवं परिपक्व होते हैं परंतु उचित प्रेरणा के अभाव में ये कार्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते।

अन्य विकास कार्यक्रमों में अवरोध व बाधायें तभी आती हैं जब ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति गांवों में होती है जिनकी गांव के विकास में कोई रुचि नहीं होती। शिक्षक, डाक्टर व अन्य प्रशासनिक अधिकारी इसी श्रेणी में आते हैं। आज ये माना जाता है कि इनकी नियुक्ति या पदोन्नति होती है तो दण्ड स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ कर दिया जाता है, जहां इन्हें ग्रामीण संस्कृति, समस्याओं, विशेषताओं का ज्ञान नहीं होता है। गांवों में अनेक परेशानियों के कारण नियुक्ति के थोड़े समय पश्चात् ही वे अपना स्थानांतरण अन्यत्र कराने के प्रयास में लग जाते हैं। जिसके फलस्वरूप परियोजनाओं के उचित क्रियान्वयन में बाधा आती है। इसके लिए जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा हेतु प्रथम नियुक्ति के कुछ वर्ष अनिवार्य कर दिये जायें।

प्रशासन की एक और प्रमुख समस्या है कि निचले स्तर पर नियोजन केवल कागजों पर है व्यवहार में नियोजन ऊपर से ही चलता है। कर्मचारी ग्रामोन्मुखी हो इसके लिये कार्य पर भेजने से पूर्व प्रशिक्षण विशेष रूप से जनसंपर्क का प्रशिक्षण देना आवश्यक है।

कुछ बुनियादी एवं सहायक सुविधायें, स्वयंसेवी संगठनों अथवा सहकारी संगठन व समूह बनाकर भी देने की कोशिश की जाती है। परंतु वहां संगठन के पदाधिकारियों पर अत्यधिक प्रशासनिक खर्च, बड़े किसानों का दबदबा व कोई लोकतांत्रिक जिम्मेदारी नहीं होने से योजनाएं कारगर व लाभप्रद नहीं रह पातीं।

सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ही नीतियों के प्रति निष्ठा से कार्य नहीं करते ऐसा नहीं है बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि भी चूंकि उच्च व संपन्न वर्ग से आते हैं या उनके वरदहस्त प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। अपने निहित स्वार्थों के कारण उन नीतियों को ये लोग कार्यान्वित नहीं होने देते जो उनके लिये जरा सी भी कष्टदायक होती हैं। कभी–कभी तो राजनेता और प्रशासक निहित स्वार्थों के कारण एक हो जाते हैं। अतः यह दोनों ही स्थितियां ग्रामीण विकास में रुकावट पैदा करती हैं।

इस तरह जब तक प्रशासकों और राजनैतिक नेतृत्व की गांवों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता नहीं होगी तब तक गांवों की मौलिक संरचना में कोई विशेष अंतर आने वाला नहीं है। विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण प्रशासन पर नये सिरे से ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण प्रशासन जितना अधिक सक्रिय होगा उतनी ही तीव्रता से हमारी विकास योजनाएं सफल हो सकेंगी। अतः इसके लिए प्रशासनिक व राजनैतिक इच्छा के साथ–साथ ग्राम विकास में जनसहभागिता भी अति आवश्यक है।

अंत में भ्रष्टाचार, अशिक्षा, अनुभवहीनता, प्रशासनिक इच्छा व कुशलता, राजनैतिक संकल्प शक्ति का अभाव अथवा आत्मकेंद्रित होना ऐसे विषय हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन से जुड़े हैं। जिनमें आज परिवर्तन लाना आवश्यक है अन्यथा ग्रामीण विकास मात्र कागजों पर होता रहेगा। ❑

(लेखक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी से सम्बद्ध हैं)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। कुरुक्षेत्र में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, कुरुक्षेत्र कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

ठेकेदारी खेती की भारतीय कृषि में भूमिका

सुनील फौगाट

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे–जैसे प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है वैसे–वैसे वस्तु की गुणवत्ता को महत्व दिया जाना स्वाभाविक है। इस कारण से अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने वाली कृषि आधारित फर्म अपने उत्पाद की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दे रही हैं। इसके अलावा फर्म का विस्तार भी इस बात पर निर्भर करता है कि फर्म को अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आपूर्ति उचित कीमत पर और सही समय पर लगातार होती रहे। खाद्य–प्रसंस्करण के व्यवसाय में लगी फर्मों के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ठेकेदारी खेती की व्यवस्था पूर्णरूप से सक्षम है।

खाद्य–प्रसंस्करण के व्यवसाय में लगी फर्में कच्चे माल की उपलब्धता के लिए ठेकेदारी खेती की व्यवस्था में लगातार अपनी रुचि दिखा रही है। ठेकेदारी खेती की व्यवस्था के अर्न्तगत फर्म को कच्चे माल की उपलब्धता लगातार बनी रहती है और साथ ही प्लान्ट के नजदीक होने के कारण फर्म को यातायात जैसी लागतें भी कम वहन करनी पड़ती हैं। फर्म कुछ हद तक कच्चे माल की उत्पादन प्रक्रिया पर भी नियन्त्रण कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, वह किसान से फसल की एक या विभिन्न प्रकार की अच्छी किस्मों की मांग कर सकती है जिस से उच्च स्तर के कच्चे माल की उपलब्धता होने की अधिक सम्भावना बनी रहती है।

इन सभी उपायों को पूरा करने का एक विकल्प ठेकेदारी खेती अर्थात् कान्ट्रेक्ट फार्मिंग है। ठेकेदारी खेती से अभिप्राय एक ऐसे समझौते से है जो कृषि पदार्थों की आपूर्ति और उत्पादन के लिए किसान और बाजार के बीच होता है। इस समझौते के अनुसार कृषि पदार्थ की वह कीमत पहले से ही तय कर ली जाती है जिस पर किसान के उत्पादन को खरीदा जाना होता है। समझौते में यह बात भी शामिल की जाती है कि कृषि उत्पादन को खरीदने वाली फर्म किसान को उत्पादन करने में किस हद तक सहायता प्रदान करेगी। यह हो सकता है कि कुछ फर्म किसानों को कृषि आगतों जैसे बीज, खाद आदि और ऋण भी उपलब्ध करवाएं और यहां तक कि किसानों को तकनीकी सलाह व ट्रेनिंग भी दे। ये सभी बातें समझौते के प्रावधानों पर निर्भर करती है।

भारत अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि के कुछ क्षेत्रों जैसे दुग्ध उत्पादन, बागवानी पदार्थों और मत्स्यपालन में मजबूत प्रतियोगिता दे रहा है। लेकिन लगातार कम होते लाभों के कारण इन क्षेत्रों में भी स्थिति गम्भीर हो गयी है। कृषि में सार्वजनिक निवेश के निरन्तर कम होने के कारण सकल घरेलू उत्पाद में कृषि उत्पादन का अंश लगातार कम हो रहा है जोकि 1993–94 में 33 प्रतिशत था, यह अब कम होकर मात्र 22 प्रतिशत रह गया है। ठेकेदारी खेती को एक ऐसे उपकरण के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है जिससे एक तरफ कृषि उत्पादों में वृद्धि हो और दूसरी तरफ संसाधनों का उचित प्रयोग हो। इसके लिए सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाये ताकि कृषि व्यवसाय में संलिप्त फर्मों के उत्पाद को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया जा सके।

भारत में ठेकेदारी खेती को 1980 के दशक में विशेष तौर पर अपनाया गया और वर्तमान समय में देश के अधिकतर राज्यों में यह व्यवस्था अपना स्थान बनाये हुए है। उदाहरण के लिए टमाटर के उत्पादन में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान; खुम्बी के उत्पादन में हरियाणा, सूरजमुखी के उत्पादन में आन्ध्र प्रदेश व कर्नाटक तथा फलों व सब्जियों के उत्पादन में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश प्रमुख हैं। इसी प्रकार ठेकेदारी खेती की व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ अन्य फसलों का जैसे केला, आम, आलू तथा लहसुन व प्याज की विशेष किस्मों को उत्पादित किया जाता है। इस काम में स्थानीय कृषि आधारित खाद्य–प्रसंस्करण फर्मों के अलावा पेप्सी कोला, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड आदि अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी शामिल हैं।

ठेकेदारी खेती की मुख्य विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत उत्पादन करने के जोखिम का उत्तरदायित्व किसान और फर्म के बीच बंटकर कम हो जाता है। किसान के लिए जोखिम उत्पादन करने से जुड़ा हुआ है, जबकि फर्म के लिए यह बाजार में अन्तिम उत्पाद के रूप में आने से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि किसान का कुल कितना जोखिम कम हुआ है क्योंकि गैर–परम्परागत फसलों के उगाने में जोखिम तो होता ही है।

ठेकेदारी खेती की सफलता के लिए कुछ पूर्वदशाओं का होना जरूरी होता है। सबसे जरूरी पूर्वदशा यह है कि उत्पादित होने वाली फसल के लिए एक ऐसा बाजार हो जो जोखिम उठाने के लाभ को सुनिश्चित करे। निवेश करते समय फर्म यह भी आकलन करती है कि बाजार में अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों ही अवस्थाओं में लाभ की स्थिति हो। एक फर्म के लिए लाभ का अनुमान किसानों को दी जाने वाली राशि के पश्चात् यथायोग्य और आकर्षक वित्तीय लाभ हो सकते हैं। ठेकेदारी खेती की सफलता किसानों के दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है अर्थात् ठेकेदारी खेती की व्यवस्था को अपनाने के लिए किसानों का मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। यह सम्भव है कि किसान ठेकेदारी खेती की व्यवस्था को सामाजिक व सांस्कृतिक परम्पराओं के कारण अपनाने को तैयार नहीं हो। किसान और फर्म के बीच मधुर सम्बन्धों का होना आवश्यक है। खराब प्रबन्धन और गलतफहमियों के चलते किसान और फर्म के सम्बन्धों में कड़वाहट पैदा नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसानों द्वारा ज्यादातर समझौते इसी आधार पर भंग किये जाते हैं।

ठेकेदारी खेती से किसानों को होने लाभों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि छोटे किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए बाजार की उपलब्धता हो जाती है जबकि इससे पहले इन किसानों की पहुंच केवल स्थानीय बाजार तक ही होने के कारण इनके कृषि उत्पाद अन्तरराष्ट्रीय बाजार की सम्भावनाओं से काफी दूर थे। लेकिन, अब

फर्म की सहायता से इन किसानों के उत्पादन की पहुंच अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर होने से इनके लाभों में निरन्तर वृद्धि हो सकती है। फर्म से समझौता होने के कारण किसान खेती से सम्बन्धित रिकॉर्ड पहले की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित ढंग से रखता है। संसाधनों का उचित प्रयोग, दवाइयों और खाद का अधिक उचित विधि से प्रयोग करता है तथा उत्पादन की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देता है ताकि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता की जा सके। किसानों की खेती के काम में कुशलता पहले से अधिक बढ़ती है।

किसान को फसल काटने के समय कीमत में होने वाली कमी के कारण जो नुकसान उठाना पड़ता है, ठेकेदारी खेती की व्यवस्था के अन्तर्गत उसे इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि ठेकेदारी खेती में उत्पाद की कीमत को फर्म के साथ समझौते के शुरू में अर्थात् फसल के बोये जाने से पहले ही तय कर लिया जाता है। इस प्रकार उत्पाद की कीमत के गिरने का जोखिम किसान को उठाने की जरूरत नहीं रह जाती है।

साधारणतया कृषि एक श्रम प्रधान व्यवसाय है और व्यवसायिक फसलों में श्रम की अपेक्षाकृत ज्यादा मांग होती है, इसलिए ठेकेदारी खेती के अर्न्तगत मुख्य तौर पर व्यवसायिक फसलों के उगाने के कारण एक किसान को अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपनी ही जमीन पर काम करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार, कम मजदूरी में श्रमिक के तौर पर काम करने के बजाय छोटे खेत पर अधिक मेहनत करने से लाभ की सम्भावनाएं ज्यादा होती है। किसान ठेकेदारी खेती की इस व्यवहारिक प्रक्रिया को अपनाकर अपनी कुशलता को विकसित करने के बाद अन्य फर्मो से सम्पर्क कर लाभ की अधिक सम्भावनाएं तलाश कर सकता है।

छोटे किसानों को बैंक से ऋण लेने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ठेकेदारी खेती के अन्तर्गत फर्म किसानों को सीधे तौर पर ऋण उपलब्ध कराती है या बैंक से ऋण प्रदान करवाने में सहायता करती है। फर्म किसानों को फसल उत्पादन की नयी तकनीक के लिए प्रशिक्षण आदि भी दे सकती है और कृषि आगतों जैसे बीज, खाद, कीटनाशक आदि उन किसानों को उपलब्ध कराती है जिनके पास इन कृषि आगतों को खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। विशेष परिस्थितियों में किसानों को खेती के उपकरण भी उपलब्ध कराये जा सकते है।

अनेकों लाभ होने के बावजूद भी ठेकेदारी खेती हानियों से अछूती नहीं है। प्रायः इस व्यवस्था के अन्तर्गत जिन व्यवसायिक फसलों को उगाया जाता है उनमें काफी अधिक जोखिम होता है, क्योंकि उत्पादन के कम होने या असफल होने की सम्भावना अधिक होती है। इस तरह का जोखिम विशेष तौर पर छोटे किसानों के लिए काफी मुश्किलें पैदा करने वाला होता है क्योंकि फसल के असफल होने पर फर्म किसान को किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करती है।

यह सही है कि फसल की कीमत को सीज़न के शुरू में ही तय कर लिया जाता है जिससे किसान का जोखिम कम हो जाता है। लेकिन बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लाभ देने के साथ-साथ किसान के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। यदि बाजार में फसल की कीमत में कमी हो जाती है तो किसान का जोखिम कम होने के साथ-साथ उसे अपनी फसल की पूरी कीमत मिलने का एक तरफ जहां फायदा होता है वहीं दूसरी ओर, कृषि उत्पाद की कीमत फर्म के साथ तय कीमत से अधिक होने की स्थिति में किसान को नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि फर्म के साथ हुए समझौते के कारण किसान बाजार में फसल को अधिक कीमत पर नहीं बेच सकता, जिससे किसान के लिए ज्यादा लाभ कमाने की सम्भावनाएं खत्म हो जाती है। यदि किसान समझौते को भंग करके अपनी फसल को बाजार में अधिक कीमत पर बेच देता है तो उसे समझौता भंग करने के कारण कानूनी कार्यवाही आदि के गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

फर्म की सौदेबाजी करने की शक्ति एक गरीब और अशिक्षित किसान की अपेक्षा कहीं अधिक होती है जिस कारण से फर्म समझौते के प्रावधानों को अपने पक्ष में कर लेती है जो कि आगे चलकर निर्दोष किसानों के लिए विकट परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं। फर्म के लिए काम करने वाले स्टाफ के अकुशल होने तथा उनमें भ्रष्टाचार होने की स्थिति में गरीब किसान के शोषण की सम्भावनाएं बढ़ जाती है। फर्म के अधिकारियों द्वारा किसान को समझौते के अनुसार समय पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाये जाने से फसल के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

किसानों को साधारण तौर पर, फर्म के खराब सहयोग से कई प्रकार की हानियां उठानी पड़ती है। ऐसे समय, जब फर्म के पास कम कीमत पर पहले से ही कृषि उत्पाद की आवक अधिक होती है, तो उस समय वह समझौता किये गये किसान से उत्पादित कृषि पदार्थों को लेने में देरी करती है। इस प्रकार उस कृषि उत्पाद के वज़न में कमी आने से किसान को नुकसान होता है। किसान को भुगतान की जाने वाली राशि में भी विलम्ब किया जाता है और वस्तु की क्वालिटी के नाम पर फर्म द्वारा किसान से धोखाधड़ी की जाती है तथा इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता भी सिर्फ नाममात्र की होती है।

फर्म द्वारा उपलब्ध कराया गया ऋण और कृषि आगतें, यदि सापेक्षिक रूप में फसल के वास्तविक उत्पादन से कम है तो ऐसी स्थिति में किसान पर ऋण का बोझ बढ़ता जाता है। फर्म की एकाधिकार की प्रवृति उन परिस्थितियों में ओर भी बढ़ जाती है जब किसानों से लम्बे समय के लिए किसी एक फसल को उत्पादित करने के लिए ही समझौता किया जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में किसानों के लिए उस फसल को दूसरी अर्थात् पहले वाली फसलों में ही परिवर्तित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि एक ऐसे समय जब किसान ने अपनी जमीन पर फर्म द्वारा मांग की जा रही फसल को उगाने के लिए एक सीमा तक निवेश कर रखा हो। इस प्रकार की एकाधिकारी प्रवृति के पनपने से समझौते की शर्तों का किसान के हितों के प्रतिकूल होना स्वाभाविक है।

भारत में ठेकेदारी खेती की व्यवस्था को यदि सफलतापूर्वक चलाना है तो इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार द्वारा कुछ जरूरी कदम उठाये जायें। सबसे पहले ठेकेदारी खेती के अन्तर्गत किये गये समझौतों को कानूनी रूप प्रदान करके किसान के हितों को संरक्षित किया जाना चांहिये। वर्तमान कानूनी ढाचा किसी भी तरह से किसानों के हितों को इस व्यवस्था के अर्न्तगत पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं करता है। इसके लिए एक ठेकेदारी खेती नियामक एजेन्सी की स्थापना की जानी चाहिए जो किसान और फर्म के मध्य होने वाले झगड़ों का निपटारा करे। इस प्रकार की एजेन्सी की स्थापना प्रत्येक जिले के स्तर पर की जा सकती है।

जब कभी एकाधिकारी प्रवृत्तियां किसानों पर हावी होने लगे तो उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार को चाहिए कि वह कीमत

निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाएं। सस्ती दरों पर ऋण, बिजली व दूसरी आधारभूत सुविधाएं फर्मों को राज्य सरकारों के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। छोटे और सीमान्त किसानों को ठेकेदारी खेती का अधिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाएं प्रदान करके किसानों को इस व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

इस प्रकार ठेकेदारी खेती की भारतीय कृषि में पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। ये सम्भावनाएं विशेष तौर पर ऐसे समय में और भी महत्वपूर्ण बन जाती हैं जब छोटे और सीमान्त किसानों का अनुपात अधिक हो। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि यदि समझौता करने वाली फर्म के द्वारा किसानों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं तो किसान ठेकेदारी खेती की इस व्यवस्था के अर्न्तगत लम्बे समय तक प्रतियोगी नहीं बने रह सकते हैं।

अन्त में, यह कहा जा सकता है कि ठेकेदारी खेती को कृषि व्यवसाय में लगे किसान और फर्म दोनों की हिस्सेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। इसकी सफलता के लिए दोनों को ही लम्बे समय तक साथ काम करने पर सहमति बनानी चाहिए जिससे दोनों को ही हिस्सेदारी को फायदा हो सके। फर्म को चाहिए कि किसानों के साथ किये जाने वाला उनका समझौता दोनों ही पक्षों को लाभान्वित करने वाला हो क्योंकि किसानों का शोषण करने वाले समझौते फर्म को थोड़े समय के लिए लाभ दे सकते हैं लेकिन लम्बे समय के लिए नहीं और ऐसे समझौतों से फर्म का कृषि व्यवसाय में किया गया निवेश भी खतरे में पड़ने की सम्भावना होती है। इसी प्रकार, किसान को भी दीर्घकालीन लाभ पाने के लिए फर्म के साथ किये गये समझौते का सम्मान करना चाहिए। ❑

(लेखक महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक अर्थशास्त्र विभाग से सम्बद्ध हैं)

ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र : गांवों की अर्थव्यवस्था का काया-पलट

ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों की अवधारणा अब मूर्त रूप लेती जा रही है। उत्तरांचल और राजस्थान छोटी उत्पादक इकाइयों और प्रसंस्करण संस्थानों में स्थानीय कौशल और संसाधनों के इस्तेमाल के द्वारा अपने गांवों की अर्थव्यवस्था के कायापलट में गहरी रुचि ले रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध प्राकृतिक स्त्रोतों और कौशल के इस्तेमाल से ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना के लिए नौ राज्यों का चयन कर चुकी है। चुने गए राज्य हैं असम, जम्मू-कश्मीर कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों की आयोजना चीन की कस्बे और ग्रामीण उद्यम मॉडल तथा थाइलैंड के वन ताम्बोन वन प्रोडक्ट परियोजना मॉडल की तर्ज पर बनाई गई है। इसमें अनोखे कच्चे माल के इस्तेमाल से ऐसे आकर्षक उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जो बरबस ही उपभोक्ता का ध्यान खींच लेते हैं। चुने गए उत्पाद ऐसे प्रखंडों में तैयार किए जाएंगे, जहां कौशल और विपणन की क्षमता मौजूद है। ये उत्पाद मार्केटिंग लिंकेज के जरिए बेचे जाएंगे। ये लिंकेज एजेंसियों और निजी उद्यमों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

ग्लोबल पोज़िशिनिंग सिस्टम

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) हिन्द महासागर में सुनामी और तूफानी लहरों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे 17-स्टेशन वास्तविक समय भूकंप मानीटरिंग नेटवर्क की स्थापना कर रहा है। प्रत्येक स्टेशन को भूकंप एवं ग्लोबल पोजीशिनिंग सिस्टम (जीपीएस) सेंसर से युक्त किया जाएगा जिसमें वास्तविक समय संसाधित और व्याख्यायित करने के लिए नई दिल्ली (आईएमडी) और हैदराबाद (भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, महासागर विकास विभाग) में केन्द्रीय अभिग्राही स्टेशन में उपग्रह के माध्यम से डाटा भेजने की सुविधा होगी।

क्षेत्र स्टेशनों के स्थान हैं- भुज, भोपाल, चेन्नई, बोकारो, पुणे, तिरूवनन्तपुरम, विशाखापत्तनम, शिलांग, गोवा, देहरादून, शिमला, पोर्ट ब्लेयर, दिगलिपुर, कैम्पबेल बे, मिनिकॉय, धर्मशाला और हैदराबाद। उपर्युक्त परियोजना के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि उद्दिष्ट की गई है। आशा की जाती है कि ये उपस्कर मार्च, 2006 तक प्राप्त हो जाएंगे तथा उसके बाद शीघ्र ही संस्थापित कर दिए जाएंगे।

राष्ट्रीय ऊर्जा बोर्ड

नीति निरूपण, अंतर-विभागीय कार्रवाई और ऊर्जा आयोजना ताथा सुरक्षा के क्षेत्र में निर्णय प्रक्रिया को संस्थागत सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्य कार्यविधि के रूप में कार्य करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण हेतु माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ऊर्जा समन्वय समिति (ईसीसी) की स्थापना की गई है। अभी तक ईसीसी की तीन बैठकें हुई हैं और ईंधन आपूर्ति बढ़ाने के बारे में कई निर्णय लिए गए हैं।

यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भारतीय कृषि की वर्तमान अवस्था

पुनर्संरचना का नया विकल्प

राजीव कुमार सिन्हा एवं शिखा दास

पूंजी तथा श्रम–प्रधान आदानों के प्रयोग तथा स्थिर तकनीक को अपनाये जाने के परिणामस्वरूप घटती लाभोत्पादकता तथा तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या जैसी विपरीत परिस्थितियों के बीच भारत ने साठ के दशक के मध्यकाल में व्यापक खाद्यान्न अपर्याप्तता का दंश झेला है। देश को 1985 में 1967 की अवधि में फसलोत्पादन नहीं होने की स्थिति का सामना करना पड़ा तथा लोगों की जीवन रक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरीका से 20 मिलियन टन से अधिक गेहूं का आयात करना पड़ा। यही वह समय था, जब गेहूं तथा मकई के संदर्भ में अधिक ऊपज देने वाले बीजों के प्रयोग के रूप में तकनीकी स्तरोन्यन की प्रक्रिया आरंभ हुई। इसके उत्प्रेरक कारक के रूप में मैक्सिको के अमेरीकी कृषि वैज्ञानिक डा. नॉर्मन बोरलॉग द्वारा अनुशंसित शोधाधारित विशिष्ट जानकारियों का विशेष महत्व है। यही वह काल भी था जब कड़ी आलोचनाओं के मध्य भारत के एक दूरदर्शिता के गुण से परिपूर्ण तत्कालीन कृषि मंत्री (श्री सी. सुब्रह्मण्यन) ने गेहूं एवम् मकई के अधिक ऊपज देने वाले बीजों के कई हजार टन के आयात से संबंधित साहसिक निर्णय लिया। यह भारतीय कृषि की पुनर्संरचना की शुरूआत थी। सिंचित क्षेत्रों में कृषकों ने इन एच.वाई. बीजों का प्रयोग किया तथा उत्पादन में 100 से 200 प्रतिशत तक की वृद्धि प्राप्त की। यह दरअसल बहुचर्चित हरित क्रांति के जन्मोत्सव के सामान था। तब से भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने इन एच. वाई. बीजों को देश के विभिन्न कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में निरंतर उल्लेखनीय योगदान किया है।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा निम्न कृषि उत्पादकता

भारत में कृषि विकास के कुछ उत्साहजनक पहलुओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां अपेक्षाकृत निम्न कृषि उत्पादकता, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में तुलनात्मक रूप में कम वृद्धि, निम्न कृषि आय इत्यादि जैसे ऋणात्मक कारक भी मौजूद हैं। वर्ष 1993 में विश्व बैंक द्वारा एशिया, उप–सहारा अफ्रीका तथा लैटिन अमेरीका के विकासशील राष्ट्रों की कृषि–उत्पादकता से संबंधित ईस्ट एशियन मिरेकल नामक अध्ययन अभी तक अंतिम रूप से उपलब्ध तुलनात्मक अध्ययन है। इसके अनुसार उप–सहारा अफ्रीका तथा लैटिन अमेरीका के राष्ट्रों को छोड़कर (क्रमशः 0.3 प्रतिशत तथा 0.6 प्रतिशत वार्षिक औसत) दक्षिण एशिया के देशों (जिनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग भारत ही है) में कृषि उत्पादकता की औसत वृद्धि दर (0.6 प्रतिशत) पूर्वी–एशिया के देशों से (जिनमें चीन का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 2/3 है) लगभग एक–चौथाई कम (2.2 प्रतिशत) है। विगत 20 वर्षों की अवधि में भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों के उत्पादन में सिर्फ 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में चीन में 50 प्रतिशत तथा इंडोनेशिया में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषिगत आय में भी दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में वार्षिक औसत वृद्धिदर (2.4 प्रतिशत) उप–सहारा अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में क्रमशः 0.5 प्रतिशत तथा

तालिका

फसलों, दूध तथा मछली का उत्पादन

क्र. सं.	फसल	1950–51	1970–71	1990–91	2000–01	2003–04
1.	खाद्यान्न	51	108	179	199	211
2.	गन्ना (ईख)	57	126	241	301	245
3.	कॉटन (मिलियन बेल्स)	3	5	10	13.2	13.5
4.	9 तिलहनी फसलें	5	10	19	18.6	25.0
5.	दूध	17	21	54	78.1	86.4 (3)
6.	मछली	0.8	2.4	3.8	5.7	6.2 (3)

स्रोत : नौंवी पंचवर्षीय योजना (योजना आयोग, 1999) तथा इकोनॉमिक सर्वे, भारत सरकार, जुलाई (2004), {(3) 2002/2003} से संबंधित

इंडोनेशिया में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषिगत आय में भी दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में वार्षिक औसत वृद्धि दर (2.4 प्रतिशत) उप सहारा अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका से क्रमशः 0.5 प्रतिशत एवं 0.1 प्रतिशत अवश्य अधिक है, परंतु पूर्वी–एशिया से यह 0.8 प्रतिशत कम (3.2) है।

वर्ष 1997 में भारत में सभी दानेदार खाद्यान्नों की उत्पादकता चीन की तुलना में मात्र 46 प्रतिशत, गेहूं तथा धान की उत्पादकता चीन के मुकाबले क्रमशः 65 प्रतिशत तथा 42 प्रतिशत मात्र थी। कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि कृषि विकास के विभिन्न आयामों में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त कर लेने के बाद भी हमें अपने ही समान प्राकृतिक एवम् मानवीय संसाधनों की उपलब्धता वाले पड़ोसी राष्ट्रों के कृषि विकास स्तर की बराबरी करने के लिए भी बहुत प्रयास करना होगा।

उत्साहजनक वृद्धि

देश की स्वतंत्रता के पश्चात् 'योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया' के आरंभिक काल से कृषि–पदार्थों तथा कृषि से संबंधित अन्य खाद्य वस्तुओं यथा दूध, मछली आदि के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1950–51 में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन मात्र 51 मिलियन टन था जो वर्ष 1970–71, 1990–91, 2000–01 तथा वर्ष 2003–04 में चार गुणे से भी अधिक बढ़कर 211 मिलियन टन हो गया। इसी प्रकार गन्ने के उत्पादन में भी उक्त 54 वर्षों की अवधि में चार गुणा से अधिक की वृद्धि (57 मिलियन टन से 245 टन) निश्चय ही सराहनीय है। रूई के उत्पादन में भी 4 गुणा से अधिक की वृद्धि (1950–51 के 3 मिलियन बेल्स से बढ़कर 2003–04 में 13.5 मिलियन बेल्स) भारतीय कृषि की धनात्मक उपलब्धियों का द्योतक है। प्रथम योजनावधि के आरंभ से लेकर वर्ष 2003–04 तक तिलहनों के उत्पादन में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति सहित 5 गुणा वृद्धि (5 मिलियन टन से 25 मिलियन टन) भी उल्लेखनीय है। विश्व के सबसे बड़े उत्पादकता देश भारत में दुग्ध के कुल उत्पादन में इन साढ़े पांच दशकों की अवधि में 5 गुना से भी अधिक की वृद्धि (17 मिलियन टन से 86.4 मिलियन) हमारी समृद्धि का द्योतक है। विभिन्न प्रकार के विटामिनों से परिपूर्ण मछलियों के उत्पादन में भी उक्त अवधि में आठ गुणा से कुछ ही कम की वृद्धि (0.8 मिलियन टन से 6.2 मिलियन टन) भारतीय कृषि के उज्ज्वल भविष्य की ओर इंगित करती है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूध की गुणवत्ता को बेहतर बनाकर इसकी अतिरिक्त मात्रा से विभिन्न प्रकार के सूखे दूध उत्पाद बनाकर उनके निर्यात द्वारा अधिक 'विदेशी मुद्रा' अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। हाल के वर्षों में भारत के मत्स्य उत्पादन एवं निर्यात के क्षेत्रों में एक बड़े देश के रूप में अभ्युदय के साथ इसे अपेक्षाकृत अधिक विनियोग द्वारा मत्स्य उत्पादन की सुविधाओं में वृद्धि तथा प्रसंस्करण एवम् सुनिश्चित विपणन हेतु व्यापक अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करवाकर और सुदृढ़ किया जा सकता है। इन विशिष्ट विकासात्मक उपायों के साथ ही साथ मूल्य समर्थन पद्धति को आर्थिक उपादेयता तथा कृषकों के दीर्घकालिक हितों की सुरक्षा के मध्य संतुलन बनाये रखने वाला होना चाहिए। इस संबंध में हाल के वर्षों की कुछ विफलताएं, जिसके परिणामस्वरूप 60 मिलियन टन अनाजों का खर्चीला भंडारण हो गया था, का भविष्य में परित्याग किया जाना चाहिए। देश की संपूर्ण जनसंख्या की वर्तमान न्यूनतम भोजन संबंधी आवश्यकता जन वितरण प्रणाली द्वारा वितरित की जाने वाली खाद्यान्नों की मात्राओं का उचित अनुमान लगाकर तथा भविष्य की अप्रत्याशित परिस्थितियों से निबटने के लिए कुछ अतिरिक्त अनाजों की मात्राएं रखकर, अच्छे किस्म के खाद्यान्नों की शेष पूरी मात्रा का निर्यात कर देना ही बेहतर विकल्प होगा, ताकि विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सके।

प्रबल उत्पादकताओं की अल्पोलब्धि

कृषि वैज्ञानिकों ने उच्च उत्पादन–क्षमता वाले बीजों की विभिन्न किस्मों को विकसित किया है। परंतु निराशा की बात यह है कि हमारे किसान उनका 15 प्रतिशत से 55 प्रतिशत की निम्न सीमा तक ही (विदोहन) कर पाये हैं। आकड़ों से स्पष्ट है कि कुल सृजित उत्पादकता का सर्वाधिक लाभ (55 प्रतिशत) मटर के क्षेत्र में प्राप्त किया जा सका। इसकी संभावित उत्पादकता 1,549 कि.ग्रा./हेक्टेयर के मुकाबले यह मात्र 703 कि.ग्रा./हेक्टेयर पायी गयी। कुल संभावित उत्पादकता की सबसे कम प्राप्ति रुई और अलसी बीज की रही (15 प्रतिशत) इसकी संभावित उत्पादकता 2,347 कि.ग्रा./हेक्टेयर की तुलना में यह मात्र 341 कि.ग्रा./हेक्टेयर रही। गेहूं के संबंध में प्राप्त की जा सकी राष्ट्रीय औसत उत्पादकता आधे से कुछ अधिक ही (52 प्रतिशत) थी। इसकी सृजित संभावित उत्पादकता 4,960 कि.ग्रा./हेक्टेयर के विरूद्ध प्राप्ति मात्र 2,582 कि.ग्रा./हेक्टेयर रही। चावल एवं मकई जैसी फसलों में राष्ट्रीय औसत उत्पादकताएं सृजित संभावित क्षमताओं के मुकाबले और भी कम क्रमशः 39 प्रतिशत तथा 29 प्रतिशत पायी गयीं। चावल में 4,877 कि.ग्रा./हेक्टेयर के मुकाबले 1903 तथा मकई में 6,022 कि.ग्रा./हेक्टेयर की तुलना में 1,729 कि.ग्रा./हेक्टेयर रही। मोती बाजरा तथा सरघुम के संदर्भों में तो क्रमशः 18 तथा 19 प्रतिशत ही उत्पादकता–स्तरों की प्राप्ति की जा सकी।

जहां तक विभिन्न फसलों की सृजित संभावित उत्पादकता के प्राप्त निम्न स्तरों के जिम्मेवार कारणों का प्रश्न है, इनके प्रमुख कारण–कृषकों को उनकी वास्तविक उत्पादकता क्षमता के विषय में जानकारी का न होना, कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की उदासीनता के कारण अधिसंख्यक किसानों को इन विकसित बीजों से फसल उगाने में जुताई, गुड़ाई, रसायनिक/प्राकृतिक खादों, सिंचाई जल, कीटनाशक दवाईयों इत्यादि अदानों का किस प्रकार की मिट्टी में, कितनी मात्राओं में, कितनी बार प्रयोग करना है आदि अनिवार्य जानकारियां नहीं दिया जाना है। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारों को अपने कृषि विभागों को चुस्त–दुरस्त बनाना ही होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर विभिन्न फसलों के अधिक ऊपज देने वाली किस्म के बीजों से जनित संभावित उत्पादकता क्षमता से काफी कम 'वास्तविक उत्पादकता स्तरों' की प्राप्ति ही की जा सकेगी, जो निश्चित रूप से कृषि–क्षेत्र में किये जा रहे क्रांतिकारी एवं परिणामोन्मुखी अनुसंधानों तथा कृषि विकास हेतु किये जा रहे बड़ी राशियों के विनिवेशों के धनात्मक प्रभावों को नकारने कि लिए काफी होंगे अतः 'संभावित उत्पादकता–क्षमताओं' की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के सभी संभव उपाय करने ही होंगे,

जिससे भारतीय कृषि को एक लाभप्रद व्यवसाय का रूप दिया जा सके। मटर तथा गेहूं को छोड़कर शेष किसी भी फसल के संदर्भ में संभावित उत्पादकता–क्षमता के आधे से भी कम स्तरों की प्राप्ति किया जा सकना निश्चित ही बड़ी चिंता का विषय है।

प्रगति के उपाय

सभी प्रकार के खाद्यान्नों, दलहनों, तिलहनों तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों की उत्पादकता में यथेष्ट वृद्धि लाने के लिए तथा रसायनिक उर्वरकों के बेहतरीन प्रयोग द्वारा उत्पादित अनाजों के 'ज्ञानरहित उपभोग' से अत्यधिक संख्या में लोगों को होने वाली कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से उन्हें बचाने के लिए सरकार द्वारा कृषकों को अधिकारिक मात्रा में जैविक खादों, खर–पतवार तथा गोबर को सड़ाकर बनाई गई प्राकृतिक खादों के प्रयोग हेतु उत्प्रेरित करना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर मुफ्त मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाकर, जलसंसाधन की उपलब्धता के आलोक में किन जलवायुवीय परिक्षेत्रों के लिए कौन सी फसल सर्वाधिक उपयुक्त एवं लाभप्रद होगी, इनसे संबंधित विशेष तकनीकी जानकारियां व सलाह की कृषकों को मुफ्त अथवा भू–स्वामित्व के आधार पर थोड़ी राशि शुल्क के रूप में लेकर 'ग्राम स्तर' पर प्रदान की जानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के भारतीय कृषि–क्षेत्र के संदर्भ में पूर्णरूपेण लागू हो जाने के पश्चात तथा आर्थिक सुधार, उदारीकरण (व्यापार एवं आयात–निर्यात संबंधित) एवं वैश्वीकरण के इस प्रतिस्पर्द्धात्मक युग में भारत के बहुसंख्यक सीमांत एवं लघु कृषकों को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे कृषकों के लिए कृषि उत्पादों की उत्साहजनक कीमत–स्तरों पर अत्यधिक मांग है, की जानकारी सभी कृषकों/उत्पादकों को विभिन्न माध्यमों से न सिर्फ लागातार दी जाये बल्कि प्रक्रियागत जटिलताओं को कम कर मध्यस्थों के बिना समुचित मूल्यों पर नियमित समयान्तर्गत देशी–विदेशी बाजारों में उत्पादित कृषि पदार्थों के अतिरेक का शोषणरहित विपणन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कृषि–वैज्ञानिकों द्वारा विशेष रूप से विकसित किये गये विभिन्न फसलों के उच्च उत्पादकता–क्षमता वाले बीजों से फसल उगाने में जुताई, गुड़ाई, निकौनी, सिंचाई–जल, खाद/उर्वरक, कीटनाशक दवाईयों आदि आदानों का कितनी मात्राओं में, कितनी बार, किस प्रकार की मिट्टी में, किस ढ़ग से प्रयोग करना है आदि अनिवार्य जानकारियां कृषकों को राज्य एवं केंद्रीय सरकार के कृषि विभागों, कृषि–प्रसार निदेशालयों के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निश्चित समयान्तरालों में अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए ताकि सृजित संभावित उत्पादकता–क्षमताओं के अधिकतम स्तरों की प्राप्ति कर कृषकों के न सिर्फ 'विशुद्ध लाभ हाशिये' को बढ़ाया जा सके, बल्कि वृहतर निर्यात योग्य अतिरेक के उत्पादन द्वारा देश को आर्थिक रूप से समृद्ध भी बनाया जा सके। ऊपर वर्णित उपायों को योजनाबद्ध ढंग से अपनाये जाने पर भारतीय कृषि 21वीं शताब्दी की विश्व–व्यापी चुनौतियों का सामना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के समकक्ष निश्चित रूप से आ पायेगी और यही वर्तमान समय की महत्वपूर्ण मांग भी है। ❑

(लेखक द्वय तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर से सम्बद्ध हैं)

सफलता की कहानी

कम पानी में काजू की फसल

सांवलराम नामा

कम पानी में काजू की फसल उत्तरी गुजरात में कृषि भूमि पर परंपरागत फसलों के अलावा अन्य फसलें उगाने के लिए किया गया वैज्ञानिक प्रयोग सफल रहा है। जिसके कारण भावनगर, पालनपुर, सुरेंद्रनगर में 4020 किसानों को काजू की लहलहाती फसल प्राप्त होने में सफलता मिली है। हालांकि उत्तर गुजरात की इस कृषि भूमि पर काजू की पैदावार होने की कतई संभावना नहीं थी लेकिन कृषि भूमि पर किये गये प्रयोगों के साथ–साथ कृषि वैज्ञानिकों से तकनीकी मार्गदर्शन मिलने से ही कृषि क्षेत्र में इस अनूठे कारनामे को अंजाम दिया जा सका है। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर गुजरात के 18 हजार गांवों में सोइल हैल्थ योजना के अंतर्गत कृषि भूमि पर परंपरागत रबी और खरीफ की फसलों के अलावा अन्य फसलों को लगाने की योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव की भूमि की मिट्टी के 10 नमूने लिए जिनका परीक्षण करने के बाद आवश्यक खाद का मिश्रण किया गया था जो चमत्कार सिद्ध हुआ। जिन 2 लाख किसानों की भूमि पर वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किए गए थे, उन्हें सरकार द्वारा सोइल हैल्थ कार्ड दिए गए है। राज्य के कृषि मंत्री का कहना है कि योजना में राज्य सरकार द्वारा 900 कृषि वैज्ञानिकों का सहायोग लिया गया था जिसके अंतर्गत किसानों द्वारा शुरू–शुरू में 7 हैक्टयर भूमि पर की जाने वाली परंपरागत फसलों के स्थान पर अन्य फसलें लगाने का प्रयोग सफल रहा और किसानों के चेहरे चमक उठे। कृषि मंत्री ने बताया कि उत्तर गुजरात में पानी की कमी और भूमि में काफी गहराई पर पानी उपलब्ध होने के कारण इस क्षेत्र में कम पानी से ली जाने वाली फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का और राई की ही खेती की जाती है। जबकि दक्षिणी गुजरात और उसके आस–पास के क्षेत्रों में केला, मूंगफली, तंबाकू और काजू की खेती की होती है। लेकिन उत्तरी गुजरात के पालनपुर, सुरेंद्रनगर और भावनगर में काजू की सफल पैदावार ने नई आशा का संचार किया है। इस नई फसल होने से यहां किसान अत्यंत प्रसन्न हैं। उनका मानना है कि कृषि के इस बदले स्वरूप से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि कृषि भूमि पर किए गए इस वैज्ञानिकों के प्रयोग के नतीजे अच्छे निकले हैं। उत्तरी गुजरात के जिन गांवों में फिलहाल काजू की जो फसल हुई है उसकी भूमि का वैज्ञानिकों द्वारा पुनः परीक्षण एवं अध्ययन किया जाएगा ताकि काजू की जितनी फसल इस बार हुई है उससे अधिक पैदावार ली जा सके। उन्होंने बताया कि आणंद, गांधीनगर में परंपरागत चने की फसल होती है। वहां मूंगफली उगाई गई तथा किसानों को इसकी अच्छी पैदावार मिली। इसी तरह नड़ियाड में धान आणंद, बोरसद, पटेला, खंबात, तारापुर में परंपरागत फसलों से हट कर अरंड की अच्छी पैदावार हुई है। इसके अलावा जूनागढ़,जो मूंगफली की खेती के लिए प्रसिद्ध है, वहां अरहर की पैदावार हुई है। सोइल हैल्थ योजना के अंतर्गत गुजरात के 37 लाख किसानों को सोइल हैल्थ कार्ड दिए जाएंगे तथा यह योजना तीन–चार वर्ष में पूरी कर ली जाएगी। आगामी वित्त वर्ष में 5 लाख किसानों को सोइल हैल्थ कार्ड दने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ❑

आर्गेनिक खेती

सारिका एवं कामिनी जैन

पुरातन काल से ही भूमि की उर्वराशक्ति बनाये रखने के लिए कृषक किसी न किसी रूप में खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति करते आये हैं। गत सदी के मध्य तक गोबर, पशु मूत्र और गोशाला से प्राप्त अवशेषों आदि से बनी खाद कम्पोस्ट या फसलों की हरी खाद खेतों में देते रहे हैं। इसके अतिरिक्त फसलों को फेर–बदल कर बोना उसमें दलहनी फसलों का समावेश आदि भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति की वृद्धि में सहायक होते हैं। कभी–कभी तो खेतों को एक–दो वर्ष तक बिना फसलों के खाली रखा जाता था। ताकि वह अपनी उर्वरा प्राप्त कर लें, परन्तु सदी के उतरार्द्ध में विशेष तौर पर देश आजाद होने के बाद बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक विकास में कच्चे माल की आपूर्ति के लिए फसल बिन खेत रखने की बात तो दूर की उसी खेत में वर्ष में 2–3 फसल लेने की जरूरत आन पड़ी। उत्पादन क्षमता का पूरा–पूरा दोहन करने के लिए इनमें अतिरिक्त व अधिक मात्रा में प्रमुख पोषक तत्व नत्रजन, स्फूर और पोटाश (एन.पी.के.) देना आवश्यक हो गया है। यह परम्परागत तरीकों गोबर खाद, हरी खाद, शस्य क्रियाओं आदि से पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं था। अतः फसलों में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया और 21 वीं सदी के प्रारंभ होने तक यह कृषकों में लोकप्रिय हो गये और बढ़ी मात्रा में उपयोग किये जाने लगे। फिर भी भूमि से फसलों द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्वों नत्रजन, स्फूर और पोटाश की मात्रा इतनी अधिक बतलायी जाती है कि उर्वरकों द्वारा इनकी वर्तमान पूर्ति का स्तर अपर्याप्त कहा जा रहा है। कुछ वर्षों से किसानों द्वारा उर्वरकों के उपयोग में निरन्तर कमी का क्रम शुरू है इसका कारण उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि है जिससे कि कृषि लागत में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को कम करने के लिए कृषकों को चाहिए कि वे ऐसी खादों व तकनीक का प्रयोग करें जो कम खर्च पर अधिक उत्पादन करे। जैविक खेती जिसे आर्गनिक खेती भी कहा जाता है, जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ तथा प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इस पद्धति में रसायनों का उपयोग कम से कम किया जाता है। यह पद्धति सस्ती, स्वावलम्बी और अस्थाई है, इसमें मिट्टी को जीवित माध्यम माना जाता है। खेत की मिट्टी वास्तव में एक जीवित माध्यम है जिसमें फसलों की बढ़वार व पैदावार देने में सहायक सभी लाभदायक जीवाणु प्रचुर मात्रा में रहते हैं, जो वायुमण्डल में नत्रजन की स्थापना व भूमि को अधिक स्वस्थ व उपजाऊ बनाते हैं। मृदा में रहने वाले जीवाणुओं के अतिरिक्त जैविक खाद का प्रयोग करके भी कृषक उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। काफी कम खर्च पर फसलों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा की पूर्ति कर सकते हैं और रासायनिक उर्वरकों के खर्च में कमी ला सकते हैं। अच्छी उपज के लिए मृदा में खाद का विशेष महत्व है। खाद भूमि की उर्वरता को बढ़ाकर पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। इस हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण और हानिरहित कार्बनिक होते हैं जैसे कि गोबर खाद, कम्पोस्ट खाद, हरी खाद व खली आदि।

हरी खाद

हमारे देश में हरी खाद का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाने वाली फसलें सनई, ढांचा, मोठ, उड़द, मूंग, लोबिया आदि हैं। इस खाद से फसलों को जैव पदार्थों की प्राप्ति, वायुमण्डल से नाइट्रोजन की प्राप्ति, भूमि के पोषक तत्वों का निक्षालन द्वारा नष्ट होने से बचाव तथा वांछित मायने में कार्बन व हाईड्रोजन की प्राप्ति होती है। इससे खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। हरी खाद केवल नत्रजन व कार्बनिक पदार्थों का ही साधन नहीं है हरी खाद से मिट्टी में कई पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं।

हरी खाद देने से रोग जनक फफूंदों की विरोधी फफूंद तथा शाकाणु की संख्या व प्रकार में आशातीत वृद्धि होती है जिससे मृदा जनित रोग का खात्मा होता है।

केंचुआ खाद (वर्मी कम्पोस्ट)

केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। यह सेन्द्रिय पदार्थ ह्यूमस व मिट्टी को एक सार करके जमीन के अन्दर अन्य परतों में फैलता है इससे जमीन पोली होती है व हवा का आवागमन बढ़ जाता है तथा जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। केंचुए के पेट में जो रासायनिक व सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया होती है उससे भूमि में पाये जाने वाले नत्रजन, स्फूर, पोटाश, केल्शियम व सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। ऐसा पाया गया है कि मिट्टी में नत्रजन 7 गुना, फास्फोरस 11 गुना और पोटाश 14 गुना बढ़ता है। केंचुए अकेले जमीन को सुधारने एवं उत्पादकता में वृद्धि में सहायक नहीं होते हैं बल्कि इनके सूक्ष्म जीवाणु, सेन्द्रिय पदार्थ ह्यूमस इनका कार्य भी महत्वपूर्ण है। अगर किसी कारण इनकी उपलब्धता कम रहती है तो केंचुए की कार्यक्षमता में कमी आ जाती है।

केंचुआ खाद से लाभ

- केंचुओं से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है।
- भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ती है।
- भूमि का उपयुक्त तापक्रम बनाये रखने में सहायक है।
- भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा।
- केंचुए नीचे की मिट्टी ऊपर लाकर उसे उत्तम प्रकार की बनाते हैं।
- केंचुआ खाद में ह्यूमस भरपूर मात्रा में होने से नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश एवं अन्य सूक्ष्म द्रव्य पौधों को भरपूर मात्रा में व जल्दी उपलब्ध होते हैं।
- भूमि की उपजाऊ क्षमता एवं सिंचाई के अन्तराल में वृद्धि होती है।
- रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने के साथ काश्त लागत में कमी आ जाती है व कचरे का खाद में प्रयोग होने से बीमारियों में कमी होती है।

जैव उर्वरक

इन सभी के अलावा कृषक जैव उर्वरकों का भी प्रयोग करते हैं। जैव उर्वरक से सूक्ष्म जीव जो उपजाऊ भूमि में सामान्यतः पाये जाते हैं, प्राकृतिक तौर पर इनकी सीमित संख्या में वृद्धि की जाती है पुनः

इन जीवों को एक माध्यम के जरिए भूमि में पहुंचाया जाता है। जिससे विभिन्न आवश्यक पोषक तत्वों की पौधों को प्राप्ति के साथ–साथ आवश्यक विटामिनों, हारमोनों तथा फसल रोगों को सहन करने की क्षमता के साथ ही मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाये रखा जा सकता है। मृदा में अथवा बीज के साथ मिला देने पर जैव उर्वरक पौधों के लिए वायुमण्डलीय नत्रजन को भूमि में स्थिर करते हैं अथवा अघुलनशील स्फूर उर्वरक पदार्थों को घुलनशील स्फूर में परिवर्तित करते हैं। भूमि में पड़े पादप अवशेषों की पहचान क्रिया बढ़ाते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं फसल उत्पादन क्षमता बढ़ती है। यह प्रमाणित भी हो चुका है कि जितनी उपज रासायनिक खेती से प्राप्त होती है उतनी ही जैविक खेती से भी हासिल की जा सकती है, लेकिन किसानों के लिए जैविक खेती में फायदा यह है कि एक ओर जहां इससे खेतों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है वहीं दूसरी ओर रासायनिक खाद पर होने वाला उनका खर्च भी बच सकता है।

जैविक खेती के अन्तर्गत जिन खादों का प्रयोग किया जाता है उससे भूमि की उर्वराशक्ति में वृद्धि होती है। इसमें हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट, गोबर खाद आदि हैं।

जैविक खेती तकनीक के तहत पौधों को न केवल उचित मात्रा में पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है बल्कि भूमि की उर्वराशक्ति तथा संरचना को संकलित करने का प्रबंध किया जाता है। पोषण प्रबंधन हेतु हरी व सूखी वनस्पतियों, सूक्ष्म जीव जन्तुओं, मूत्र तथा जैविक अवशेषों के सम्मिलित उपयोग से तैयार खाद बनाने की अब कई आधुनिक विधियां विकसित की जा चुकी हैं जो प्राचीन पद्धतियों से बेहतर हैं।

इसके अलावा जैविक कृषि के अन्तर्गत खरपतवारों को मारने का कोई उपाय नही किया जाता बल्कि इनका उपयोग कम्पोस्ट बनाने में किया जाता है। हानिकारक कीटों को मारने के लिए कीटनाशकों के स्थान पर जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है जिससे भोज्य पदार्थों में विषैले जीवाणुओं के मिलने का भय नहीं रहता और इनकी लागत भी कम होती है।

इन सभी विशेषताओं के कारण आज जैविक खेती तकनीक का महत्व बढ़ रहा है क्योंकि जैविक कृषि की तकनीक प्रचलित आधुनिक कृषि के अधिकांश दोषों को खत्म करती है। जैविक कृषि न केवल पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम है बल्कि प्रचलित खेती की तुलना में कम लागत वाली भी है तथा स्थाई कृषि विकास की दृष्टि से भी अत्यंत सामयिक है।

जैविक खेती के लाभ

उन्नत खेती की आधुनिक तकनीकी विधाओं में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग ने हमारे सकल कृषि उत्पादन को बढ़ाने, देश की अर्थव्यवस्था सुधारने तथा विकास में पिछले 3–4 दशकों से महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन दूसरी ओर रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित एवं अनुचित उपयोग के कारण कई राज्यों में खेतों का स्वास्थ्य तथा उपजाऊपन में भयंकर गिरावट एवं विकास की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।

यदि हमें अपने खेतों से अपनी फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर लगातार कई वर्षों तक उसके उपजाऊपन को बनाये रखना है तो जैविक खाद के उपयोग की आदत डालनी होगी। यह जैविक खाद हमारे खेत की मिट्टी को कई प्रकार से उर्वरा शक्ति प्रदान करती है। यह हमारे खेतों में पाये जाने वाले लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करती है, इसके अतिरिक्त भी इस प्रकार की खेती के अनेक लाभ हैं –

- जैविक खेती अपनाकर किसान विष रहित खाद्यान्नों का उत्पादन कर सकते हैं।
- देश एवं प्रदेशवासियों को विष रहित स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है।
- देश एवं प्रदेश के पशुओं को विष रहित स्वस्थ चारा उपलब्ध कराया जा सकता है।
- जैविक खेती अपनाकर न्यूनतम काश्त लागत तकनीक को अपनाया जा सकता है।
- जैविक खेती से उत्पादित खाद्यान्नों का उपभोग करने से मनुष्य में बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है।
- जैविक खेती अपनाकर कृषक स्वावलम्बी बन सकते हैं।
- जैविक खेती अपनाकर कृषकों की कृषि आदानों की बाह्य निर्भरता को कम किया जा सकता है।
- जैविक खेती अपनाकर मृदा एवं मानव स्वास्थ्य का संरक्षण किया जा सकता है।
- जैविक खेती अपनाने से मृदा में जलधारण क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।
- जैविक खेती के अन्तर्गत हरी खाद को अपनाकर भूमि में जलधारण क्षमता में वृद्धि, भूमि में पोषक तत्वों की वृद्धि, भूमि सुधार, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि संभव है।
- जैविक खेती अपनाकर ग्रामों में स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- जैविक खेती अपनाकर कृषक अपने उत्पाद का बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
- जैविक खेती अपनाने से मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि एवं संरक्षण किया जा सकता है।
- जैविक खेती अपनाने से पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण से होने वाली हानि को रोका जा सकता है।
- जैविक उत्पादों की विदेशों में मांग अधिक है अतः जैविक खेती अपनाकर विदेशी मुद्रा भी प्राप्त की जा सकती है।
- जैविक खेती को अपनाकर किसान खेती को टिकाऊ एवं स्थाई बना सकते हैं।
- जैविक खेती के द्वारा पौधों एवं मिट्टी के वातावरण में आपसी संतुलन स्थापित किया जा सकता है।
- जैविक खेती अपनाने से पर्यावरण प्रदूषण, जल एवं मृदा संरक्षण, नमी का ह्रास, मृदा संरचना की क्षतिग्रस्तता, कृषि लागत में बढ़ोत्तरी को कम किया जा सकता है।
- जैविक खेती अपनाने से मृदा में जीवांश पदार्थों की मात्रा में वृद्धि संभव है।
- जैविक खेती के अन्तर्गत प्रयोग में लायी जाने वाली सामग्री किसानों के पास उपलब्ध है अतः इस दृष्टि से भी जैविक खेती लाभदायक है।
- जैविक खेती अपनाने से मृदा में उपस्थित लाभदायक कीटों का संरक्षण किया जा सकता है।
- जैविक खादों के उपयोग एवं प्रयोग से किसानों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
- जैविक खादों की मात्रा अधिक भी होने पर फसल/जमीन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
- जैविक खादों के प्रयोग करने में विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं पड़ती है अतः किसान जैविक खादों का प्रयोग आसानी से कर सकता है।
- जैविक खाद किसान स्वयं अपने घर, खलिहान एवं खेत पर तैयार कर सकता है। ❑

(लेखिका द्वय शासकीय गृहविज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद से सम्बद्ध हैं)

रोज़गार समाचार

क्या आपको सरकारी/पीएसयू/एसएससी/यूपीएससी/आरआरबी/
सशस्त्र सेना/बैंकों में रोज़गार की तलाश है ?

आपकी तलाश अब समाप्त होती है रोज़गार के अवसरों/
प्रवेश सूचना/परीक्षा परिणामों विषयक सभी की ताज़ा जानकारी
प्राप्त करने के लिए **रोज़गार समाचार** के सदस्य बनें

रोज़गार समाचार
प्रतियोगी परीक्षाएं

Employment News
WEEKLY
COMPETITIVE EXAMINATIONS

روزگار سماچار

रोज़गार, व्यवसाय और समसामयिक विषयों का सम्पूर्ण मार्गदर्शक
इस समाचार गाईड ने राष्ट्र की सेवा में 30 वर्ष पूरे कर लिये हैं
जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें

रोज़गार समाचार

पूर्वी खण्ड–4, तल–5, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली–110066

दूरभाष : 26182079, 26107405

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

आज ही अपने स्थानीय विक्रेता से रोज़गार समाचार की प्रति बुक करायें !

औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती

प्रकाश गोविंद

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद चिकित्सा की लोकप्रियता दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। औषधीय पौधों के संरक्षण एवं कृषिकरण के प्रति हम आज भी उदासीन बने हुए हैं। आज हालत यह है कि हमारे देश की कम्पनियां बहुत सारी औषधीय सामग्रियों को विदेशों से आयात कर रही है। जिसमें विदेशी मुद्रा का अपव्यय हो रहा है। हमें इस क्षेत्र में विकास के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज का युग निजीकरण का युग है। आज सरकार स्वयं निजी संस्थाओं के लिए विकास के द्वार खोल रही है। अतः आवश्यकता है सही दिशा में सही प्रयास करने की।

औषधीय पौधों का देश में प्रचुर रूप में उत्पादन संभव है। हमें ऐसी संभावनाओं को तलाशना है जिससे न सिर्फ इनका आयात रोका जा सके बल्कि इनका निर्यात भी किया जा सके। औषधीय पौधों में 'अश्वगंधा' का नाम सर्वविदित है। अश्वगंधा को इंडियन जिनसैंग भी कहते हैं। इसे जिनसैंग (चीन में पैदा होने वाली महत्वपूर्ण औषधि) के विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है। चिकित्सकों का कहना है कि कई मायने में अश्वगंधा की उपयोगिता जिनसैंग से भी अधिक है। अश्वगंधा की जड़ों में मुख्य रूप से ट्रोपेनोल, एनाफरीन, पेस्यूडोटपीनोल, कुस्कोयाग्रीन, एनायग्रीन, विथेनियाल, आइसोपेलनटेरीन नामक एल्कलॉइड पाये जाते हैं।

भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के वैज्ञानिकों ने अश्वगंधा की जड़ों से 'जैरी कोर्ट' नामक औषधि बनाई है जो जवानों को अधिक ऊंचाई तथा अत्यन्त ठंडे–बर्फीले स्थानों पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से चुस्त–दुरूस्त रखती है। अश्वगंधा युक्त 'वन बी' नामक औषधि उग्रवाद एवं उपद्रव तथा अत्यन्त खतरनाक इलाकों में तैनात सैनिकों को तनाव, उदासी, चिन्ता एवं भय से मुक्त रखकर उनमें जोश बनाए रखती है। बेहद तीव्र ठंड के कारण होने वाले 'फ्रोस्ट बाइट' नामक रोग के निदान हेतु भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने 'शेफर्ड–20' नामक असरदार औषधि बनाई है, जिसका सफल परीक्षण लेह एवं कारगिल में तैनात सैनिकों पर किया गया है। ऊंचे स्थानों पर जहां हवा एवं आक्सीजन के कम दबाव के कारण सांस लेने में असुविधा होती है और अधिक समय तक ऐसे स्थानों पर रहने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इस दवा के उपयोग से काफी राहत मिलती है।

डाबर इंडिया लिमिटेड ने 'स्ट्रेस कोम' नामक औषधि बाजार में उपलब्ध कराई है जो मानसिक तनाव को कम करती है और स्वस्थ रहने में सहायक होती है। अश्वगंधा की जड़ों का पाउडर, कोच के बीज, सतावर की जड़ों का पाउडर इन तीनों की समान मात्रा

बलवर्धक, पुरुषार्थवर्धक टॉनिक के रूप में प्रचलित है। विदेशी बाजारों की बढ़ती मांग को देखते हुए अश्वगंधा की खेती की असीम सम्भावनाएं हैं।

औषधीय पौधों की श्रृखंला में 'कालमेघ' एक महत्वपूर्ण नाम है। कालमेघ की खेती व्यावसायिक दृष्टि से लाभप्रद होने के साथ–साथ सुरक्षित भी है। इससे निर्मित दवाओं की देश–विदेश में बहुत मांग है। यकृत संबंधी रोगों के लिए औषधियों के निर्माण का कालमेघ एक मात्र साधन है। इस पौधे से प्राप्त रसायनों का उपयोग अनेक चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता है।

आजकल 'जैट्रोफा' का नाम काफी चर्चा में है। कुछ ही माह पहले गंधर्व आयुर्वेद संस्थान, जबलपुर द्वारा विकसित जैट्रोफा के ऑयल से चलने वाले ट्रैक्टर, जनरेटर एवं पम्पसेट को सबने देखा और सराहा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आगामी समय में देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में डीजल का विकल्प जैट्रोफा क्रांतिकारी कार्य करेगा। जैट्रोफा का तेल बड़े पैमाने पर साबुन एवं सौन्दर्य प्रसाधनों के निर्माण में भी प्रयुक्त किया जाता है। वर्तमान में इसे विदेशों से आयात किया जा रहा है। चीन में आयरन ऑक्साइड के साथ जैट्रोफा का तेल मिलाकर वार्निश बनाया जाता है। इसका उपयोग लुब्रीकेन्ट और मोमबत्ती बनाने में किया जा सकता है। इंग्लैंड में जैट्रोफा के तेल से पेट्रोलियम उत्पाद तैयार किये जाते हैं जैसे–प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर इत्यादि। फिलीपींस में जैट्रोफा के पत्तों एवं छाल से तैयार नेचुरल डाई से कपड़े रंगे जाते हैं। नेचुरल डाई की मांग विदेशों में भी बहुत ज्यादा है, अतः जैट्रोफा की नेचुरल डाई को निर्यात भी किया जा सकता है। जैट्रोफा की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा अधिक होने के

कारण इसे कार्बनिक खाद के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। ब्राजील में इसके तेल को पॉम ऑयल में मिलाकर रेड पाइजन नामक कीटनाशक बनाया जाता है। जैट्रोफा का तेल डीजल, कैरोसीन, एल.पी.जी., लकड़ी का गैर परम्परागत वैकल्पिक स्रोत है। इसके विस्तृत उपयोग से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है। वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में जैट्रोफा ऑयल को खाने योग्य बनाने के लिए इसके विषैले तत्वों को प्रभावहीन करने पर गहन शोध कार्य चल रहा है। सफलता मिलने पर इसे खाद्य तेल के रूप में प्रयोग में लाया जा सकेगा जो विश्व खाद्य तेलों की आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम होगा।

ईसबगोल का नाम औषधि के रूप में काफी लोकप्रिय है। ईसबगोल की भूसी का उपयोग अपच में किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने ईसबगोल के बीज का उपयोग ऊतक संवर्धन का माध्यम बनाने में किया है। अभी तक यह माध्यम 'अगार–अगार' नामक पौधे के पाउडर से तैयार किया जा रहा है जो कि विदेशी होने की वजह से आयात किया जाता है। 'अगार–अगार' की कीमत 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि ईसबगोल के बीज 15 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से मिलते हैं। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो ऊतक संवर्धन के क्षेत्र में क्रान्ति आ जाएगी।

औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती से संबंधित सेमिनार, जो कि जबलपुर में आयोजित हुआ था, उसमें सतावार नामक औषधीय पौधे की व्यावहारिक महत्ता पर विस्तार से चर्चा की गई थी। शास्त्रों में सतावर को स्त्री की सखी भी कहा गया है। यह स्त्री की उसी तरह से देखभाल करती है, जैसे कि एक सखी दूसरी सखी की करती है। जो स्त्री सतावर के साथ रहती है वह डाक्टर से दूर रहती है। यह बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में सहायक है, प्रसव पीड़ा को कम करती है और शारीरिक कमजोरी को दूर करती है। शिशु के दुग्धपान के समय दुग्ध वृद्धि में भी सहायक है। पशु विज्ञान में भी पशुओं में दुग्धवृद्धि के लिए इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। वृद्धावस्था में गठिया, अस्थमा, सर्दी–खांसी इत्यादि तकलीफों में भी यह आराम प्रदान करती है। पुरुषों के लिए वीर्यवर्द्धक, बलवर्द्धक होने के साथ–साथ अपचन में इसके कोमल पत्तों को उबालकर देने से लाभ होता है।

एक अन्य उपयोगी औषधीय पौधे की चर्चा करना भी प्रासंगिक होगा। उस पौधे का नाम है – धीकुआर। शुभ अवसरों पर स्त्रियां एवं पुरूष धीकुआर का उपयोग सौन्दर्य प्रसाधन के रुप में सदियों से करते आ रहे हैं। मध्यप्रदेश के बस्तर क्षेत्र के आदिवासी इसका छिलका उतारकर, उबालकर इसकी सब्जी खाते हैं। चरक संहिता में भी अल्सर से पीड़ित मरीज को इसकी सब्जी देने की अनुशंसा की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके रस को जलने पर लगाया जाता है, जिससे जलन समाप्त होती है और शरीर पर जलने का निशान भी नहीं पड़ता है। इसे चोट लगने पर भी लगाया जाता है। धीकुआर में एंटीसेप्टिक तत्व होने से यह घाव भरने में मदद करता है। धीकुआर के गूदे को स्प्रिट में मिलाकर इससे हेयर डाई एवं हेयर टॉनिक भी बनाये जाते हैं। इसका गूदा शहद में मिलाकर देने से बवासीर की शिकायत दूर होती है। इसका रस आंखों में डालने से दृष्टि दोष दूर होते हैं। इसके उपयोग से घेंघा रोग दूर होता है। क्योंकि इसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है।

वनों की कटाई के कारण औषधीय पौधों की संख्या तीव्रता से कम होती जा रही। ऐसी स्थिति में दुर्लभ की श्रेणी में आते जा रहे इन सैंकड़ों बहुमूल्य–बहुउपयोगी औषधीय पौधों की व्यावसायिक स्तर पर खेती करके अपनी संस्कृति, धरोहर को संरक्षित करने के साथ ही आर्थिक लाभ भी अर्जित किया जा सकता है। देश में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के पश्चात अब औषधीय क्रांति की आवश्यकता है। ❑

(स्वतंत्र पत्रकार)

हरियाणा में औषधीय पौधों का कृषिकरण तथा वानिकी विकास

गुंजन शर्मा एवं कविता चौहान

कृषि सदियों से भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा रही है। देश में 70 प्रतिशत से अधिक लोग गांवों में रहते है तथा कृषि कार्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े हुए हैं। आज भी कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां श्रमिकों की बढ़ती संख्या के अधिकतम हिस्से को रोजगार प्राप्त है। कृषि क्षेत्र में पिछले 58 वर्षों में उल्लेखनीय विकास हुआ है, फिर भी विकास की अनेक संभावनाएं बाकी हैं। कृषि का विविधीकरण करते हुए औषधीय पौधों, सुगन्धित फूलों, सब्जियों, बागवानी, डेयरी, पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन आदि को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त अल्प-रोजगारी, बेरोजगारी और कुपोषण जैसी समस्याओं को समाप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। कृषि क्षेत्र के समुचित विकास तथा इसमें विविधता का समावेश करके रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकते हैं। आज मूल प्रश्न केवल विकास का नहीं है, सामान्य लोगों की रोजी-रोटी का भी है।

वर्तमान में समस्त विश्व पुनः प्रकृति संवर्धन की ओर आकृष्ट हो रहा है। भारत में प्राचीन काल से ही मनुष्य ने तरह-तरह के औषधीय पौधों का उपयोग अपने आप को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए किया है। आज भी अपने देश में करोड़ों लोग जड़ी-बूटियों से बनने वाली दवाओं के द्वारा अपनी व्याधियों का इलाज कर रहे हैं। पश्चिमी देशों में लोग परम्परागत औषधीय प्रणालियों की ओर वापस आ रहे हैं। ऐलोपैथी की कतिपय औषधियों का विपरीत प्रभाव शारीरिक संरचना पर पड़ रहा है जिससे शरीर की प्रकृति प्रदत्त बायोकैमेस्ट्री बदल गई है और इसके चलते फार्मास्यूटिकल मानव अस्तित्व में आ गया है, जबकि जड़ी-बूटियों से निर्मित दवाईयों का मानव शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और न ही इन दवाईयों की आदत पड़ती है। आज विश्व में भारतीय आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का विभिन्न रोगों के उपचार हेतु महत्व बढ़ गया है। वेदों में वृक्ष-पूजन का विधान है। आयुर्वेद सभी चिकित्सा-पद्धतियों की जननी है। महर्षि चरक ने जड़ी-बूटियों को आरोग्य प्राप्ति का मुख्य साधन माना है। प्रकृति के विदोहन एवं वनों के अनावश्यक विनाश तथा बढ़ती हुई जनसंख्या व औद्योगीकरण के कारण वनौषधियों का ह्रास होने लगा है। वनों के दोहन से अनेक औषधीय पेड़-पौधे या तो लुप्त हो गये हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं। उचित मात्रा में औषधीय पौधों के उपलब्ध न होने के कारण औषधियों के मूल्य भी बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य किसी भी देश की प्रगति के लिए अनिवार्य है। नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करना सबसे अधिक जरुरी है।

ऐसी स्थिति में अधिक उपयोग में आने वाले औषधीय पौधों की खेती को अत्यधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। औषधीय पौधों का भौगोलिक जलवायु एवं मृदा के आधार पर खेती (कृषिकरण) वैज्ञानिक तरीके से प्रारम्भ किया जाये ताकि प्रामाणिक एवं शुद्ध जड़ी-बूटियाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकें। इन औषधीय पादपों एवं वृक्षों के कृषिकरण से जहां एक ओर वानस्पतिक प्रजातियों में वृद्धि होगी वहीं दूसरी ओर इनसे पर्यावरण का संतुलन सुधरेगा तथा जड़ी-बूटियों की खेती करने वाले किसानों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। औषधीय एवं सुगंधीय पौधों की खेती और व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जिसके विकास से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है तथा रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर सकते हैं।

अगर जड़ी-बूटियों का कृषिकरण करना है तो सर्वप्रथम उन्नत एवं उत्तम किस्म के औषधीय पादपों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु वनों को संरक्षित करना होगा। जिस क्षेत्र में जो औषधि प्रचुर मात्रा में उगती है वहां उसके संवर्धन तथा विपणन से सम्बंधित सुधार योजना शुरु करनी होगी। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में होने के कारण यमुना नगर (हरियाणा) का वातावरण औषधीय पौधे उगाने के अनुकूल है। औषधीय पौधों के संरक्षण एवं कृषिकरण हेतु तथा ग्रामवासियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक औषधीय उद्यान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चुहड़पुर (यमुना नगर, हरियाणा) में ताऊ देवी लाल औषधीय प्रकृति उद्यान की नींव 6 नवम्बर, 2001 को रखी गयी। यह उद्यान आरक्षित वन के 184 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। जिसमें मुख्य रुप से खैर, सागवान, सीमल, शीशम इत्यादि के वृक्ष प्राकृतिक तौर पर हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर लगभग 50 प्रकार की जड़ी-बूटियां प्राकृतिक रूप में पायी जाती हैं। चुहड़पुर पार्क यमुनानगर-पोंटासाहिब मार्ग पर स्थित खिजराबाद कस्बे से भूड़कलां जाने वाली सड़क पर पड़ता है। यमुना नगर से इसकी दूरी 35 कि०मी० है। यह उद्यान शिवालिक विकास एजेन्सी के सौजन्य से वन विभाग, हरियाणा द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस औषधीय उद्यान के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

- हरियाणा के औषधीय पौधों का शोध एवं अध्ययन के लिए संरक्षण करना तथा राज्य की जैविक विविधता को बनाए रखना।
- स्थानीय तथा बाहर से लाये गये पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जीन-पूल विकसित करना।
- औषधीय पौधों एवं वृक्षों के कृषिकरण हेतु स्थानीय किसानों को प्रेरित करना तथा उन्हें अच्छी किस्म की पौधारोपण योग्य सामग्री एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करना।
- हरियाणा में इसे मुख्य पर्यटन क्षेत्र के रुप में विकसित करना, जिससे लोगों में औषधीय पौधों के प्रति जागरुकता में वृद्धि हो तथा बीमारियों का आयुर्वेदिक उपचार सुलभ हो सके।

इस उद्यान को औषधीय पादपों को उगाने की नर्सरी तकनीक तथा किसानों को इसके कृषिकरण की तकनीक देने हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है। इस उद्यान में लगभग 350 प्रजातियों के कई लाख औषधीय पौधें उपलब्ध हैं। अश्वगंधा, आंवला, ब्रहमी, सर्पगन्धा, मकोय, सफेद मूसली, भूमि आमलकी, अशोक, पत्थर-चट्ट, मूलेठी, सतावरी, बेल पत्र, तुलसी, हरड, बेहड़ा, धीकवार आदि प्रजातियों के पौधे इस उद्यान में उगाये जा रहे हैं। ये पौधे हरियाणा की जलवायु में उगाये जा सकते हैं। इस वर्ष 8 लाख औषधीय पौधों को उगाया जा रहा है। इनमें से लगभग 2 लाख पौधें पार्क में लगाये जाने हैं व बाकी किसानों को रियायती मूल्य पर बेचे जाने हैं। राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड, नई दिल्ली ने औषधीय पादपों के कृषिकरण

तथा 'बाई बैक' व्यवस्था की योजना बनाई है, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सके। प्रस्तावित योजना में 32 पादपों के कृषिकरण के लिए बोर्ड ने किसानों को प्रोत्साहित किया है। किसानों के लिए ये अच्छी व्यवसायिक फसलें सिद्ध हो रही हैं।

उद्यान के मुख्य आकर्षण सूचना केन्द्र, पॉली हाऊस, ग्रीन हाऊस, सिंचाई व्यवस्था, पर्यटन आदि हैं। सूचना केन्द्र के माध्यम से किसानों को जड़ी-बूटियां उगाने व उनके रखरखाव की विस्तृत जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पॉली हाऊस रोपण सामग्री को जल्दी व असमय तैयार करने में, औषधीय पादपों के संसाधन आधार को बनाने तथा किसानों को वितरित करने में सहायक हो रहा है। ग्रीन हाऊस छोटे और कोमल पौधों को रोपित करने से पहले उनकी सुरक्षा में बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। उद्यान में आधुनिकतम सिंचाई व्यवस्था जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर तथा रेनगन को अपनाया है। इनकी पूर्ण जानकारी किसानों को भी दी जा रही है। उद्यान के प्रवेश द्वार के समीप एक प्रारूपिक प्रकृति उद्यान का विकास किया गया है, जिसमें लगभग 200 प्रजातियों के औषधीय पौधों को लगाया गया है। पौधों के हिन्दी नाम, उनके गुण तथा प्रयोग के बारे में पट्टियां लगाकर समझाया गया है। बच्चों के आकर्षण के लिए चिल्ड्रन पार्क तथा एक झील बनाई गई है। झील में कमल, मछली एवं पक्षी अति शोभायमान हैं। हर प्रकार के पर्यटक के लिए उद्यान में मनमोहक और सुन्दर वातावरण है।

हरियाणा के साथ-साथ अन्य प्रदेशों के किसान जड़ी-बूटियों एवं औषधीय पौधों की विभिन्न किस्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्यान का दौरा कर रहे हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम द्वारा दिनांक 19.4.2003 को इस उद्यान का निरीक्षण किया गया। उन्होंने अपने कर कमलों से रूद्राक्ष का एक पौधा भी रोपित किया। इसके अतिरिक्त संसद सदस्य, विधायक, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली आदि के विशिष्ट व्यक्तियों ने भी पार्क का अवलोकन किया है। इस वर्ष से पार्क में व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों को उगाने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है ताकि औषधीय पौधों की खेती करके प्रदेश के किसानों को अपनी आय बढ़ाने का सुनहरा अवसर मिल सके। हरियाणा के प्रत्येक जिले में औषधीय फसलों के प्रति रूझान बढ़ता ही जा रहा है। अच्छी पैदावार से उत्साहित किसानों ने पिछले साल से लगभग दोगुनी भूमि पर औषधीय फसल बोई है। किसान अपने खेतों में सफेद मूसली, स्टीविया, अश्वगंधा, आंवला, सतावरी, कोलियस, चितरक इत्यादि औषधीय फसलों को उगा रहे हैं। इससे मुनाफा भी अच्छा हो रहा है तथा उचित मात्रा में जैव उर्वरकों एवं जैव रसायनों का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार हो रहा है।

हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत की भूमि पर उगाए जा रहे औषधीय पौधों तथा अन्य वृक्षों की देखभाल के लिए 'वृक्षमित्र' नियुक्त करेगी। वृक्षमित्र सम्बन्धित पंचायत या गांव के निवासी होने चाहिए। इन वृक्षमित्रों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा 2000 रूपये प्रतिमास मानदेय दिया जायेगा क्योंकि पौधारोपण के कार्य से पंचायतों की आय में वृद्धि होगी। राज्य सरकार ने गत 1 नवम्बर 2003 को पंचायती भूमि पर औषधीय पौधे लगाने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरु की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 3000 गांवों को इसके तहत लाना था। योजना के तहत प्रत्येक जिले में 50 एकड़ पंचायत भूमि वाले 175 गांवो का चयन किया गया। इसमें से 10 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों आंवला, रतनजोत एवं बायोडीजल बनाने में प्रयुक्त होने वाली जेट्रोफा की पैदावार की जायेगी, जिसके परिणामस्वरूप पंचायतों को तीन से पांच वर्ष की अवधि के बीच ही आय प्राप्त होनी शुरू हो जायेगी। ये पौधे पंचायतों को वन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे। वृक्षमित्र पौधारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और ग्रामीणों को वृक्षों, भूमि और जल संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी देंगे। किसानों को औषधीय पौधों की काश्त के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। राज्य सरकार ने किसानों को औषधीय एवं सुगन्धित पौधों की खेती करने के लिए और कृषि के विविधीकरण में उनकी सहायता के लिए एक राज्य औषधीय पौधा बोर्ड भी गठित किया है। डीजल के दामों में लगातार बढ़ोत्तरी को देखते हुए सरकार द्वारा किसानों को बायो डीजल बनाने के लिए प्रयोग होने वाली जेट्रोफा की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए किसान आगे आ रहे हैं, परन्तु उनको मार्केटिंग की सही जानकारी का अभाव है जिसको दूर करने के लिए वन विभाग प्रयासरत है।

पर्यटकों को लुभाने के लिए हरियाणा टूरिज्म निगम ने पर्यटन केन्द्रों पर हर्बल पार्क विकसित करने की योजना बनायी है। प्रदेश स्तर पर जहां-जहां पर्यटन केन्द्रों की जमीन बेकार पड़ी है, वहां हर्बल पार्क बनाये जायेंगे। सरकार द्वारा औषधीय पौधों की खेती के लिए काफी जोर दिया जा रहा है लेकिन प्रगतिशील किसानों के अलावा यह आम किसानों की खेती नहीं बन पा रही है, जबकि यह खेती गरीब किसान को अमीर बनाने के लिए वरदान है। इसी लिहाज से पर्यटन केन्द्रों में आने वाले लोग हर्बल खेती का नजारा देखें और इस पैदावार से अन्य लोग भी सीख लें, इसलिए पार्क विकसित किये जाने की योजना है।

हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। इसके 80 प्रतिशत से अधिक भू-भाग पर खेती की जाती है तथा अर्थव्यवस्था भी मुख्य तौर पर कृषि आधारित है। कृषि विभाग किसानों को फसल उत्पादन तकनीकी, कृषि विविधीकरण तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की नवीनतम जानकारी देने के लिए किसान प्रशिक्षण शिविरों का ग्राम, ब्लाक तथा जिला स्तर पर आयोजन कर रहा है। जिसमें विभाग के विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक तथा किसान भाग लेकर कृषि विस्तार एवं आर्थिक सुधार में आने वाली कठिनाईयों का समाधान ढूंढते हैं। किसानों को मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म तत्वों की जानकारी देना, निःशुल्क मृदा एवं जल परीक्षण करना, जल प्रबन्धन, उचित मात्रा में उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग, जैविक खेती के लिए किसानों को प्रेरित करना, बीज, पौधा एवं खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करना, मार्केटिंग की जानकारी देना आदि विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। बहु फसली तथा फसल बदल-बदल कर फसलों की सघनता बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को सिंचाई हेतु समुचित बिजली सप्लाई की है।

बेरोजगार कृषि स्नातकों को एग्रीक्लीनिक खोलने के लिए सरकार ने प्रशिक्षण एवं ऋण की व्यवस्था की है। क्लीनिक के द्वारा किसानों को कृषि तथा कृषि से संबन्धित क्षेत्रों जैसे पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, वानिकी में गुणात्मक उत्पादन के लिए नई तकनीकों की जानकारी दी जायेगी। क्लीनिक सेन्टर में किसानों को फसल का चुनाव करना, अच्छी तरह से खेती करना, उचित मात्रा में उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग, बाजार सूचना,. फसल बीमा, सैनिटेशन आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना, कृषि विस्तार करना तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना एग्रीक्लिनिक खोलने का मुख्य उद्देश्य है।

खेतों में धान या गेहूं उगाने के साथ व्यापारिक महत्व वाले पेड़ों की फसल तैयार करने की नीति को एग्रो फोरेस्ट्री (कृषि वानिकी) कहा जाता है। कृषि वानिकी सामान्यत: उपजाऊ एवं सिंचित भूमि में की जाती है एवं वृक्षों की सुरक्षा संतोषजनक रहती है। एग्रो फोरस्ट्री के तहत हरियाणा के किसानों ने पोपुलर और यूकेल्पिट्स को अपनाया। खेती की भूमि पर दबाव बढ़ने से उसका उपजाऊपन नष्ट होता जा रहा है। भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से अन्नोत्पादन तो बढ़ता है परन्तु साथ ही प्रदूषण में भी बढ़ोत्तरी होती है। अब

एग्रो फोरस्ट्री के तहत औषधीय पेड़-पौधे लगाये जा रहे हैं, जो ज्यादा मुनाफेदार साबित होते हैं। खेती पर जबरदस्त दबाव के बावजूद हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां एग्रो फोरेस्ट्री को किसानों ने हाथों-हाथ लिया है। इससे वन क्षेत्र में लगातार इजाफा हो रहा है तथा किसानों के आर्थिक स्तर में सुधार के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

कृषि प्रधान राज्य होने के कारण प्रदेश मे वन-क्षेत्र बहुत ही सीमित है। हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार प्रदेश के कुल भू-भाग का एक तिहाई क्षेत्र वनों एवं वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए। वानिकी की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से परती भूमि, पंचायत/शामलात भूमि, संस्थानीय भूमि इत्यादि में वृक्षारोपण किया जा रहा है। कृषि वानिकी के विकास के बगैर प्रदेश में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में वांछित वृद्धि करना संभव नहीं है। अत: कृषि वानिकी को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को पौधे नि:शुल्क अथवा रियायती दरों पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। कृषि वानिकी से अधिक उत्पादन लेने हेतु वृक्ष प्रजातियों का जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा आनुवांशिक सुधार किया जा रहा है। इसके लिए स्योंठी (कुरूक्षेत्र) में 'क्लोनल संवर्धन केन्द्र' की स्थापना की गई है। कृषि वानिकी उत्पाद की बिक्री उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए 'हरियाणा वन विकास निगम' की स्थापना 1989 में की गई। वानिकी कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु 'संयुक्त वन प्रबन्धन' को व्यापक रूप से अपनाया गया है। पौधारोपण के लिए ग्राम पंचायतों, किसानों, स्कूलों, क्लबों, धार्मिक संस्थाओं, सरकार के विभिन्न विभागों, गैर-सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं इत्यादि को विभिन्न प्रजातियों के पौधे मुफ्त में वितरित किये जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में राज्य में 4.5 करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए जन सहयोग की आवश्यकता है। संयुक्त वन प्रबन्ध कार्यक्रम पर कारगर ढंग से अमल करने से ग्रामीणों के लिए लाभप्रद रोजगार उत्पन्न करने व गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी। स्थानीय ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से ही वनों के रोपण, संरक्षण, विकास तथा आर्थिक गतिविधियों को सफल बनाया जा सकता है।

राज्य के वन विभाग ने वर्ष 1978 में विश्व बैंक से प्राप्त अनुदान की सहायता से 'सामाजिक वन परियोजना' की शुरूआत की। इस परियोजना में शीघ्र बढ़ने वाली वृक्ष प्रजातियां जैसे कि पॉपुलर और सफेदा (यूकेल्पिट्स) लगाई गई। उस समय मुख्यत: बड़े एवं समृद्ध किसानों द्वारा ही यह वृक्ष अपनाए गए। आज मध्यम एवं छोटे किसानों ने भी इस प्रकार की कृषि वानिकी को अपनाया है। शिवालिक क्षेत्र में विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से कांडी परियोजना वर्ष 1991 से प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत अब तक 15785 हेक्टेयर क्षेत्र पर पौधारोपण किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत यमुना नगर, अम्बाला तथा पंचकूला के पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। वर्ष 1998 से 'यूरोपीय समुदाय' की आर्थिक मदद से 'हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना' क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत 9 वर्ष में 27380 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जायेगा। वानिकी के चहुंमुखी विकास हेतु केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता से प्रदेश के कई जिलों में वन विकास एजेन्सियों की स्थापना की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में वनों का समेकित विकास हो सके।

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया के अनुसार आज हरियाणा राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8 प्रतिशत क्षेत्र वृक्षों से ढका है। मतलब कुल वन क्षेत्र में 790 वर्ग कि०मी० का इजाफा हुआ है। यह वन विभाग द्वारा पंचायती भूमि पर तथा कृषि वानिकी के अन्तर्गत खेतों में पौधारोपण को अधिक से अधिक बढ़ावा देने से सम्भव हो पाया है। उल्लेखनीय है कि कृषि वानिकी से उत्पादित लकड़ी के कारण आज राज्य में लगभग 300 प्लाईवुड के कारखाने हैं, जिसमें लगभग 3 करोड़ रूपये की प्लाईवुड प्रतिदिन उत्पादित की जा रही है। कृषि वानिकी एवं प्लाईवुड के क्षेत्र में यमुना नगर की प्रदेश में अग्रणी भूमिका है। आज यमुना नगर लकड़ी व्यापारियों के बीच छोटा असम के नाम से जाना जाता है। सरकार की योजनाओं को यहां के किसानों ने अपनी लगन और मेहनत से ही धरती पर उतारा है। वर्तमान परिपेक्ष्य में औषधीय पौधों की खेती वन प्रजाति एवं फलों के पेड़ों की छाया में करना एक व्यवहारिक प्रयोग हो सकता है, इससे जैविक विविधता का भी संरक्षण होगा और साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

वन विभाग, हरियाणा ने जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक की सहायता से 'समेकित प्राकृतिक संसाधन एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना' स्वीकृत की है ताकि प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रबंधन' करके ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। यह परियोजना वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक की अवधि के लिए क्रियान्वित की जायेगी। इसके तहत प्रदेश के 48800 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिक टिकाऊ वन भूमि का पुनर्गठन करना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रबन्ध करना है ताकि गांवों के लोगों की आय में वृद्धि हो सके। इस परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि, परती भूमि, शामलात भूमि, सामुदायिक भूमि पर पौधारोपण किया जायेगा तथा किसानों को कृषि भूमि पर अच्छी गुणवत्ता एवं अधिक उत्पाद देने वाले पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक जिले (फरीदाबाद व गुडगांव को छोड़कर) में 30-65 गांव चुनकर राज्य के 800 गांवों को इस परियोजना के अन्तर्गत लाया जायेगा। ग्रामीण वन समितियां गठित कर स्थानीय ग्रामवासियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। वनारोपण, भूमि और जल संरक्षण गतिविधियों के अतिरिक्त वर्तमान ग्रामीण स्तर के संस्थानों को मजबूत बनाना तथा स्थापित करना है। योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों में गरीबी उन्मूलन के लिए आय उत्पादक गतिविधियां तथा क्षमता निर्माण शामिल है।

बागवानी मिशन के तहत किसानों को पारंपरिक फसलों से फसल विविधीकरण की ओर ले जाया जायेगा। बागवानी के लिए किसानों को 50 से 80 फीसदी सब्सिडी मिलेगी, जिससे किसानों को बागवानी का संभावित रिस्क न के बराबर हो जायेगा तथा हर छोटा-बड़ा किसान भी सब्सिडी का लाभ आसानी से उठा सकेगा। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए यह योजना जिला स्तर पर जिला उद्यान विभाग के माध्यम से क्रियान्वित होगी तथा बागवानी की विकसित तकनीक किसानों को प्रदान की जायेगी। इस मिशन के तहत फलों के बागों के लिए काम्पेक्ट एरिया क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए तैयार किए गए हैं। बागवानी के लिए अलग-अलग जिलों को अलग-अलग किस्म के फलों के बागों के लिए चुना गया है। जैसे कि यमुना नगर, अम्बाला, कुरूक्षेत्र में आम के बाग लगाये जायेंगे। बागवानी के तहत किसानों को मार्केटिंग, कोल्ड स्टोरेज आदि की सुविधा मुहैया करायी जायेगी। इस योजना पर अमल शुरू हो गया है। यह योजना किसानों की बेरोजगारी दूर करने में सहायक होगी। आज के इस प्रगतिशील युग में जनसंख्या विस्फोट, अनियोजित औद्योगीकरण तथा अनियंत्रित शहरीकरण के कारण कृषि तथा वनों पर निरंतर दबाव बढ़ा है। जिसके कारण हमारी सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थतियां बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। पर्यावरण प्रदूषण गंभीर रूप धारण कर रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि वन संरक्षण, कृषि वानिकी तथा कृषि विविधीकरण से हरियाणा की पावन धरती के सभी जीव-जन्तुओं, पशु-पक्षियों तथा मानव जाति को सांस लेने के लिए शुद्ध वायु, पीने के लिए साफ पानी, खाने के लिए पौष्टिक आहार, रहने के लिए सुरक्षित आवास एवं स्वस्थ जीवन के लिए औषधियां निरन्तर प्राप्त होती रहें। हमारा जीवन स्वस्थ, सुरक्षित एवं सुखमय बने। ❑

(लेखकद्वय एन०ए०एस० कॉलेज, मेरठ में क्रमश: रीडर तथा शोधछात्रा हैं)

रबी की नई फसल: मिल्क थिस्टल

मिल्क थिस्टल यूरोपियन पौधा है। यह यूरोप में सभी जगह तथा एशिया और अफ्रीका में कहीं–कहीं पाया जाता है। इसका वनस्पतिक नाम सिलिबम मैरिएनम है। यह एस्टरेसी कुल का एक कंटीला पौधा है। इसे अंग्रजी में मिल्क थिस्टल, रॉयल थिस्टल या होली थिस्टल के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय देशों के निवासी इस पौधे को परम्परागत रूप से औषधि के रूप में काम में लेते आ रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इसका एक्सट्रेट निकालकर काम में लेते हैं। इसके मुख्य घटक सिलीमरीन और सिलीबीन होते हैं जो विभिन्न बीमारियों में दवा के रूप में काम में लिये जाते हैं।

भारत के उत्तरी भाग की जलवायु जहां सरसों, लाही, रायड़ा की खेती होती है इस फसल के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पिछले 5–6 वर्षों से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व मध्यप्रदेश में इसकी खेती शुरू की गई है एवं इसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। भारत में इसके बीजों का आयात किया जा रहा है। इसके बीजों से रसायनिक घटक निकालकर मुख्यतः यकृत की बीमारियों में काम में लिया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इस पौधे का वर्णन नहीं मिलता है लेकिन ब्रिटिश फार्मोकोपिया व अमेरिकन फार्मोकोपिया में इसका विस्तृत विवरण किया गया है। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के लिए दवा बनाने वाली कम्पनियां इसके रासायनिक घटक से विभिन्न दवाओं का निर्माण करती हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के लिए दवा बनाने वाली कम्पनियों में चरक कम्पनी ने इससे दवा बनाना प्रारम्भ किया है।

यकृत में कई प्रकार की बीमारियां होती है। लीवर में सूजन आना, लीवर निष्क्रिय होना, वायरस का इन्फेक्शन होना इत्यादि कई रोग होते हैं। शराब जैसे मादक पदार्थों का लगातार उपयोग करने वालों का भी लीवर कमजोर हो जाता है। मिल्क थिस्टल से बनने वाली दवा विशेषकर ऐसे रोगियों के लिए लाभदायक है जिनका लीवर ज्यादा शराब पीने से खराब होता है। भारतवर्ष का मैदानी भाग इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र है। आशा है इसका कृषि क्षेत्र बढ़ता रहेगा तो हमारा आयात तो बंद होगा ही, हम निर्यात करने की स्थिति में भी अतिशीघ्र आ जाएंगे।

पादप परिचय मिल्क थिस्टल का पौधा कांटे युक्त 120–130 सेमी. ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां 1 से 2 फुट लम्बी तथा तीक्ष्ण कंटील होती हैं। पत्तियां जमीन पर फैली हुई होती हैं। पत्तियों के बीच में एक पुष्पक्रम निकलता है जिसमें गुच्छे में फूल होते हैं। पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं, फूलों के पकने पर इसमें बीज बनता है। बीज का रंग मटमैला/भूरा होता है। बीज कुछ चपटा होता है। बीज का आकार गेहूं से मिलता–जुलता लेकिन अधिक मटमैला होता है।

उपयोग इसके बीजों का ही उपयोग दवाई के रूप में किया जाता है। इसके बीजों में सिलीमरीन और सिलीबीन नामक दो प्रमुख तत्व पाये जाते हैं। जिसके कारण इसका उपयोग पीलिया, बुखार, मलेरिया, लीवर की खराबी, मूत्र संबंधी परेशानियों, दुग्धवर्धक, मधुमेह आदि बीमारियों में किया जाता है। एलोपैथिक दवा बनाने वाली कम्पनियां

मिल्क थिस्टल से निकलने वाले प्रमुख घटक सिलीमरिन और सिलीबीन, से विभिन्न प्रकार की दवाओं का निर्माण करती हैं।

कृषिकरण इसका कृषिकरण सारसों की खेती की तरह तथा सरसों की बुवाई के समय (अक्टूबर–नवम्बर) में किया जाता है। जिस जगह सरसों की खेती सफलतापूर्वक हो रही है वहां पर मिल्क थिस्टल की खेती भी सफलतापूर्वक हो जाएगी। इसके लिए वैसी ही भूमि चाहिए जैसी सरसों की खेती के लिए होनी चाहिए। सिंचाई भी सरसों जितनी ही लगती है। फसल कटने का समय मार्च–अप्रैल मे आता है।

भूमि यह पौधा किसी भी तरह की भूमि में सरलता से उग जाता है। काली, दोमट, बलुई आदि सभी प्रकार की मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। अतः राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्यप्रदेश का वह इलाका जहां रबी की फसल के रूप में सरसों मुख्य फसल ली जाती है वहां पर इसकी खेती सफलतापूर्वक हो सकती है।

भूमि की तैयारी बीज बोने से पूर्व खेत में अच्छी जुताई कर लेनी चाहिए ताकि खेत खरपतवार मुक्त रहे। खेत की तैयारी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि खेत में नमी बराबर बनी रहे ताकि बीज बोते समय उसका अंकुरण आसानी से हो सके।

बुवाई इसकी बुवाई सरसों की बुवाई की तरह की जाती है। बीज को लाइनों में बोया जाता है। बीज बोते समय पौधे से पौधे की दूरी 30 सेमी. तथा लाइन से लाइन की दूरी भी 30 सेमी. रखनी चाहिए। प्रत्येक चार लाइन बोने के बाद 60 सेमी खाली स्थान छोड़ना चाहिए। क्योंकि इसका सम्पूर्ण पौधा कंटकित होता है अतः फसल काटने के समय सुविधा के लिए यह स्थान छोड़ना उपयुक्त रहता है। फसल बोते समय बीज उगने लायक पर्याप्त नमी होनी चाहिए नमी नहीं होने पर सिंचाई करके नमी बनानी चाहिए। अर्थात इसकी बुवाई पलेवा करके करनी चाहिए। पलेवा करने के बाद 2–3 जुताई करके पाटा

लगा देना चाहिए जिससे नमी ऊपर की ओर आ जाती है और बीज को उगने में मदद मिलती है। बीज को बोने से पूर्व यदि रात भर ठण्डे पानी में भिगो दिया जाए तो बीज 3 से 4 दिन में उग जाता है। बीज को सूखा बोने पर उगने में 7 से 8 दिन लग सकते हैं।

बीज की मात्रा उपरोक्त दूरी पर बोने के लिए प्रति हेक्टयर पांच किलो बीज पर्याप्त होता है।

सिंचाई बीज बोने के 30 से 45 दिन तक सिंचाई नहीं देनी चाहिए। ताकि यह पौधा अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा व खरपतवार भी नहीं उगेगी। फसल को सिंचाई तभी देनी चाहिए जब इसे प्यास लगे। फसल को सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं इसे जानने के लिए प्रातः 10 और 11 बजे के बीच में खेत में जाकर देखें यदि पौधों ने गर्दन झुका दी है तो समझें की आवश्यकता है। यदि उस काल में पौधे सीधे खड़े हैं व पत्तियां बिल्कुल भी मुरझाई हुई नहीं है तो समझें अभी पानी की आवश्यकता नहीं है। वैसे यह पौधा सूखा रोधी है। आपने देखा होगा भारत के कई भागों में सरसों की खेती बारानी (बिना सिंचाई के) होती है। जहां पर सरसों की खेती बिना सिंचाई के हो जाती हैं वहां पर मिल्क थिस्टल को भी सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं है। बारानी खेती में हालांकि उत्पादन थोड़ा कम होता है लेकिन जिस अनुपात में लागत कम होती है उस अनुतात में उत्पादन कम नहीं होता है। अतः यदि पानी न भी हो और बारानी खेती आप करना चाहें तो भी यदि खेत में अक्टूबर–नवम्बर में पर्याप्त नमी हो तो मिल्क थिस्टल की बारानी खेती करना एक समझदारीपूर्ण कार्य है। फिर भी सरसों के बराबर आप सिंचाई दें तो इसका उत्पादन अच्छा आता है।

निराई–गुड़ाई फसल बोने के शुरूआती दिनों में खेत में खरपतवार निकलता है। फसल बोने के 15 दिन बाद व 30 दिन बाद निराई–गुड़ाई करनी चाहिए। उसके बाद इसके बड़े–कांटेदार पत्ते भूमि पर फैल जाते हैं। तथा निराई–गुड़ाई करना सम्भव नहीं होता है। इस समय बहुत ही कम खरपतवार निकलती है। वैसे इस फसल में खरपतवार बहुत कम निकलती है क्योंकि इसकी बुवाई पलेवा करके की जाती है। फिर भी प्रारम्भिक अवस्था में खरपतवार उखाड़ देना चाहिए। 45 दिन के बाद सिंचाई देने पर इसमें खरपतवार उगेंगे लेकिन तब तक मिल्क थिस्टल की फसल काफी बढ़ चुकी होती है अतः खरपतवार इस फसल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। यह ध्यान रहे कि खरपतवार को मिटाने के लिए किसी भी प्रकार के रासायनिक खरपतवारनाशक का कभी भी प्रयोग न करें। यदि आपने ऐसा किया तो अपका उत्पादन दवा बनाने वाली कम्पनियां कभी नहीं खरीदेंगी।

खाद व उर्वरक मिल्क थिस्टल की फसल को बहुत अधिक उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन यदि गोबर की सड़ी हुई खाद कुछ मात्रा में डाल भी दें तो अच्छा रहता है लेकिन भूलकर भी किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का प्रयोग इस फसल में कभी ना करें। ऐसा करने से उत्पादन की गुणवत्ता समाप्त हो जाएगी व खरीददार इसे नहीं खरीदेंगे।

कीट नियंत्रण मिल्क थिस्टल में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं लगता है। अतः इसमें किसी भी प्रकार की दवाई का छिड़काव नहीं करना चाहिए। अधिक देरी से बोने पर छाछिया रोग लगता है अतः जल्दी बोना ठीक रहता है। यदि कोई बीमारी लग भी जाए तो

इसके ऊपर नीम के पत्तों के घोल का छिड़काव कर देना चाहिए। कभी भी रासायनिक कीटनाशकों का प्रायोग नहीं करना चाहिए।

बीज संग्रह यह 5 माह की फसल है तथा सरसों की फसल के साथ ही यह फसल पकती है। इसकी फसल–पौधे का फूल वाला भाग होता है। इस भाग में बीज होते हैं जिन्हें धारदार हंसिये से काट लिया जाता है। इसके फूलों में तेज कांटे होते हैं। अतः शुरूआत में फूलों का संग्रह करना कठिन लगता है। लेकिन धीरे–धीरे मजदूरों की आदत पड़ जाती है। जब फूल लगता है उस समय उसका रंग बैंगनी, गुलाबी या रानी रंग का होता है। धीरे–धीरे यह भूरा बन जाता है। जब गहरा भूरा बन जाए तब समझना चाहिए कि फूल तोड़ने लायक हो गया है। भूरा बनने के बाद यह सफेद बनना शुरू होता है। उस समय समझना चाहिए कि अब फूल बिखर कर उड़ जाएगा व फसल हमारे हाथ से निकल जाएगी अतः फूल भूरा पड़ते ही तुड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। सूखे–सूखे फूलों को सावधानीपूर्वक तोड़ करके डलिया में इकट्ठा करते रहें व उन्हें एक ऐसी जगह पर डाल दें जहां पर्याप्त धूप लगे लेकिन तेज हवा ना लगे ताकि बीज उड़ने न पावे। फसल को रखने के लिए नीचे या तो पक्का आंगन हो या तिरपाल बिछा दिया जाए। फूल तोड़ने की प्रक्रिया 15 से 20 दिन तक लगातार बनाए रखनी चाहिए क्योंकि सारे फूल एक साथ नहीं पकते हैं। जो फूल पहले लगता है वह पहले पकता है और जो फूल बाद में लगता हैं वह बाद में पकता है। अतः प्रतिदिन पके–पके फूलों को तोड़ लेना अत्यंत आवश्यक है नहीं तो उनके उड़कर बिखरने का डर रहता है। यह प्रमुख सावधानी इसके बीज को संग्रह करने में रखी जानी चाहिए। कई बार आलस्यवश 5–7 दिन की देरी हो जाने पर आधी से ज्यादा फसल हाथ से निकल जाती है।

बीज निकालना पके हुए बीज के गुच्छे को काटने के उपरान्त पक्के आंगन में या तिरपाल पर पूर्ण रूप से सूखाया जाता है। इसके उपरांत इसे डण्डे से कूट कर बीज निकाल लिया जाता है। अधिक मात्रा होने पर थ्रेसर से बीज निकाल दिया जाता है। थ्रेसर में जाली गेहूं निकालने वाली या ग्वार निकालने वाली लगाई जाती है। बीज निकलने के बाद जो भूसा उड़ जाता है उसे व्यर्थ ना फेंके उसको गड्ढे में डालकर कम्पोस्ट बनाने में काम में ले लेना चाहिए या खेत

में डाल देना चाहिए। थ्रेसर से बीज निकालकर पुनः सूप व छलनी से साफ कर लेना चाहिए ताकि उसमें रेत, कंकड़, डंठल या डस्ट न रह जाए। एकदम साफ बीज ही धूप में सूखाकर बोरी में भरना चाहिए। साफ बीज ही बाजार में बिकने लायक होता है। उसमें यदि अन्य पदार्थ पाए जाते हैं तो बीज का भाव बाजार में कम मिलेगा।

बोरों में भरे हुए बीज को ज्यादा दिन तक संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। अधिक से अधिक 30 दिन में इस उत्पादन को बेच देना चाहिएं इसमें घुन व इल्ली बहुत जल्दी लगती है और एक बार यदि इसमें इल्ली का प्रकोप हो गया तो मिल्क थिस्टल का बीज सीधा दवा बनाने के काम में आता है अतः किसी भी प्रकार का रासायनिक तत्व यदि इसमें मिलाया गया तो मिल्क थिस्टल दवा में काम नहीं आ पाएगा। अतः इसका विशेष ध्यान रखें कि घुन लगने के पहले ही इस फसल को बाजार में तुरंत बेच दें।

उत्पादन जैसा की ऊपर बताया गया है मिल्क थिस्टल की खेती उसी जलवायु में होती है जहां सरसों, लाही या रायड़ा होता है और सरसों के उत्पादन में प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है। भारत में 10 क्विंटल प्रति हेक्टयर से लेकर 25 क्विंटल प्रति हेक्टयर का सरसों का उत्पादन होता है। बारानी क्षेत्र में इससे भी कम हो सकता है। क्योंकि बारानी क्षेत्र में उत्पादन भूमि की नमी के अनुपात में होता है। मिल्क थिस्टल का भी उत्पादन ठीक सरसों के उत्पादन की तरह भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग मात्रा में होता है। जहां सरसों का उत्पादन जितना होता है लगभग उतना ही मिल्क थिस्टल का उत्पादन उस क्षेत्र में होगा अर्थात् प्रति हेक्टयर 10 क्विंटल से 20 क्विंटल तक।

बाजार भाव मिल्क थिस्टल अभी तक मण्डी में बिकने वाली फसल नहीं है। कुछ चुनी हुई दवा कम्पनियां इसे खरीदती हैं। इस समय भारतवर्ष में सोनामुखी उद्योग, सोनामुखी नगर, जोधपुर–342005 मिल्क थिस्टल के बीज को 30 रुपये प्रति कि.ग्रा. से खरीद रही है। फसल को बोने से पूर्व इस कम्पनी से बाई–बेक एग्रीमेंट कर लिया जाए तो ज्यादा उचित रहेगा।

बीज उत्पादन मिल्क थिस्टल का बीज इसकी प्रारम्भिक खेती करने के लिए किसी ऐसे किसान से खरीदें जो इसकी खेती 2–3 वर्ष से कर रहा हो। उससे खेती का तरीका व सावधानियां भी सीख लेनी चाहिएं। यदि आपके आस–पास कोई खेती न कर रहा हो तो बीज राजस्थान एग्रो फोरेस्ट्री कॉरपोरेशन, सोनामुखी नगर, सांगरिया फांटा, सालावास रोड, जोधपुर – 342005 (फोन – 0291 – 2748488) से सम्पर्क करके प्राप्त कर लें। उसके बाद प्रतिवर्ष किसान को स्वयं अपने लिए बीज का उत्पादन करना चाहिए। बीज उत्पादन करते समय यह ध्यान रखें कि जो इस पौधे में सबसे पहले फूल लगता है जिसका आकार अन्य फूलों की अपेक्षा बड़ा होता है। उस पौधे के बीजों को अलग एकत्रित करें व उन्हें अगले वर्ष के लिए बोने के लिए काम में लें। अन्य बीजों को बाजार में बेच दें इस प्रकार एक हेक्टेयर में करीब 1 क्विंटल बीज बोने लायक तैयार हो जाता है।

बीज संरक्षण जैसा की ऊपर बताया जा चुका है इसके बीज में घुन व इल्ली का प्रकोप अधिक होता है। अतः जो बीज आपको बोने के लिए रखना है उसको तेज धूप में सूखाकर मिट्टी के घड़े में भरकर रखें व उसमें राख मिलावें। राख के साथ नीम की पत्ती का पाऊडर भी मिलाया जा सकता है यदि घड़े में रखने में असुविधा हो तो मोटी पोलीथीन की थैली में एयरटाइट करके राख और नीम की पत्ती का पाऊडर मिलाकर रख सकते हैं। समय–समय पर इसकी जांच जरूर करते रहना चाहिए कि इल्ली का प्रकोप तो नहीं हुआ है। यदि ऐसा होता है तो सारे बीज को पुनः कड़ी धूप में डाल देना चाहिए व साफ करके पुनः पैक करके रख दें।

मिल्क थिस्टल की खेती करने से पहले सावधानियां

- रबी की फसल होने के कारण ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती है अतः फसल को कम से कम पानी में पैदा करने का लक्ष्य रखें। अधिक सिंचाई इसके लिये लाभदायक नहीं रहती है।
- फसल को बोते समय खेत में चलने के लिये पर्याप्त दूरी अवश्य रखें। ऐसा नहीं करने पर फूल तोड़ते समय आप खेत में अन्दर नहीं जा पाएंगे।
- मिल्क थिस्टल में पत्ते, तने व फूलों पर कांटे लगे रहते हैं। अतः फूलों को तोड़ते समय सावधनी से तोड़ें।
- मिल्क थिस्टल को ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है अतः किसी प्रकार की खाद इस फसल में न डालें। विशेषतः रासायनिक खाद का उपयोग कभी न करें।
- मिल्क थिस्टल की फसल पकने पर यह ध्यान रखें कि ज्योंहि फूलों का रंग लाल से भूरा होने लगे इसके फूलों को तोड़ना शुरू कर दें। सारे फूल एक साथ नहीं पकते हैं अतः जैसे–जैसे फूल पकते जाएं उन्हें नियमित रूप से तोड़कर इकट्ठा करते रहें। समय पर फूलों की तुड़ाई नहीं होने के कारण फूल से बीज गिर सकता है व उड़ कर भी जा सकता है।
- जब सारे फूल टूट जाएं व नए फूल न आए हों उस समय खेत में डिस्क चला कर मिट्टी को पलट देना चाहिए जिससे इस फसल के अवशेष जमीन में दब कर खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।
- फसल बोने से पहले किसी भी खरीददार से बायबैक एग्रीमेन्ट जरूर कर लें। ताकि आपको फसल बेचने के लिये कठिनाई न हो। इसके लिये सोनामुखी उद्योग, सांगरिया फांटा, सालावासा रोड, जोधपुर– 342005, (फोन नं. 0291–2748488) पर सम्पर्क करके फसल की बिक्री का एग्रीमेन्ट कर लेना चाहिए।
- मिल्क थिस्टल के बीजों में घुन बहुत जल्दी लगता है। अतः इसे तुरन्त बेच लेना ही समझदारीपूर्वक कार्य है। इसका ज्यादा दिन भंडारण करके रखना ठीक नहीं रहता है। घुन से बचने के लिये किसी भी प्रकार की रासायनिक दवा का इस्तेमाल न करें रासायनिक दवा मिलाने पर मिल्क थिस्टल बाजार में नहीं बिकेगा।
- इसकी खेती अच्छी गुणवत्ता का बीज लेकर थोड़े क्षेत्र में शुरू करें उसके बाद आप अपने लिये बीज का उत्पादन स्वयं करें।
- खेती करने से पूर्व इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना लाभदायक रहता है। प्रशिक्षण के लिये राजस्थान एग्रो फोरेस्ट्री कॉर्पोरेशन से सम्पर्क किया जा सकता है। ❑

(साभार : राजस्थान एग्रो फोरेस्ट्री कॉरपोरेशन, जोधपुर)

देश का पहला ऊर्जा सुरक्षा ग्राम

नन्दिता मिश्र

हमारे देश में वैकल्पिक ईंधन की खोज वर्ष 1970 में ही शुरू हो गई थी। पिछले कुछ वर्षों से तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है और इसी तरह उसकी खपत निरंतर बढ़ रही है। इस पृष्ठ भूमि में ऊर्जा सुरक्षा का विषय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ऊर्जा राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसी बात को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार ने 1981 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत आयोग की स्थापना की। उसके अगले वर्ष अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग बनाया गया और एक दशक बाद 1992 अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय का गठन किया गया। इस मंत्रालय के माध्यम से जिस कार्यक्रम पर अमल किया जा रहा है, उसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ मुख्य रूप से पारम्परिक जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत का अनुपूरण, सिंचाई और पेयजल के लिए दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय विद्युत पहुंचाना, कृषि उत्पादों को सुखाना, बायोगैस संयंत्र, शहरी म्युनिसिपल और औद्योगिक कचरे से ऊर्जा प्राप्त करना है। अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों जैसे पवन बायोमास लघुपन बिजली के उपयोग के लिए भी मंत्रालय की एक निश्चित नीति है।

सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में वर्ष 2009 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाने की कल्पना है। ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम आईआरपीपी अब तक 16 राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में केन्द्र और राज्य की 50–50 प्रतिशत की भागीदारी है। इन दिनों बायोमास विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने का काम बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। बायोमास विद्युत परियोजनाओं के अनेक सामाजिक और आर्थिक लाभ हैं। इससे गांव में रोजगार मिलता है, पर्यावरण और ग्रिड में सुधार होता है, वोल्टेज और ट्रांसमिशन की हानियों से बचा जा सकता है। इससे जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम।

देश के पहले गैसीफायर पर आधारित ग्राम में ऊर्जा सुरक्षा के कार्यक्रम का लोकार्पण 29 अक्टूबर को केन्द्रीय गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री विलास मुत्तेमवार ने बैतुल के कसई गांव में किया। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे। परीक्षण के तौर पर शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट जिले से 105 किलोमीटर दूर भैसदेही तहसील के कसई गांव में शुरू किया गया है। इस गांव में कोरकू जनजाति के 55 परिवार रहते हैं।

गांव में बायोमास गैसीफायर के 10 किलोवाट की दो इकाइयां विद्युत उत्पादन करेंगी। इससे गांव के घरों में रोशनी होगी तथा गांव के बहुत से विद्युत वंचित कार्यक्रमों की आवश्यकता पूरी होगी। शुरू में प्रत्येक घर में बिजली व्यवस्था के साथ स्कूल, इंजिन रूम और रास्तों को प्रकाशित किया जायेगा।

एक आटा मिल, वाटर पम्प और दूध ठण्डा करने की इकाई भी कसई गांव में प्रस्तावित है। गांव के विकास के लिये 10 हैक्टेयर में जल्दी बढ़ने वाले पौधे रोपे गये हैं, ताकि गैसीफायर के लिये जलाने के लिये लकड़ी की कमी न हो। जटरोफा याने रतनजोत की खेती भी की जा रही है ताकि गांव में बायोतेल/डीजल भी बनाया जा सके।

ग्राम ऊर्जा सुरक्षा के लिये पंचायत ने एक समिति बनाई है जिसमें चार महिला सदस्य भी हैं। गांव के युवाओं को संयंत्र के काम और रख–रखाव के लिये प्रशिक्षित किया गया है।

गैर–परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय भारत सरकार ने मध्यप्रदेश के आठ जिलों में परीक्षण के तौर पर 11 ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किये हैं। बैतूल के अलावा राज्य में सिवनी, धार, होशंगाबाद, झाबुआ, छिन्दवाड़ा, हरदा और मण्डला में भी यह योजना लागू की जा रही हैं। इसमें धार में दो और होशंगाबाद में तीन–तीन जगह यह कार्यक्रम प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम राज्य सरकार के वन विभाग की मदद से चलाया जायेगा।

गांव में ही रहने वाले लोगों को यह इकाई चलाने का यह जिम्मा दिया गया है। उन्हें बाकयदा इसकी ट्रेनिंग दी गई है। प्रशिक्षित युवक लकड़ी से अगूंठे जितनी मोटाई के 5 से 6 सेमी. लंबे टुकड़े काटते हैं। विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रारंभ में 15 से 20 मिनट तक जनरेटर चलाया जाता है व गैसीफायर के ऊपरी खुले टाप से नियमित अंतराल में लकड़ी के टुकड़े निर्धारित मात्रा में डाले जाते हैं। गैसीफायर में लकड़ी के गरम होने/जलने पर उच्चदहन क्षमता की प्रोडयूसर गैस निकलती है। इस स्थिति में धुएं से नीली लपट निकलने लगती है तब इंजिन को प्रोडयूसर गैस से परिचालित किया जाता है जिससे बिजली बनना प्रारंभ हो जाती है, इसी बीच भट्टी के निचले भाग से कोयला निकालते रहते हैं। नियोजित युवक फिस्टर पंप की नियमित सफाई व इंजन की मरम्मत समय–समय करते रहते हैं कसई में लगे प्लांट की क्षमता 10 किलोवाट प्रतिघंटा 10 यूनिट विद्युत उत्पादन की है। इसे 6 बजे शाम से रात्रि 11 बजे तक 5 घंटे संचालित किया जाता है।

एक किलोवाट प्रतिघंटा विद्युत उत्पादन हेतु 1.5 किलो लकड़ी की आवश्यकता है अर्थात 10 किलोवाट प्रतिघंटा हेतु 15 किलो लकड़ी प्रतिघंटा या 5 घंटे प्लांट चलाने हेतु 75 किलो लकड़ी आवश्यक है। तदनुसार 2250 किलो लकड़ी प्रतिमाह या 27000 किलो 270 क्विंटल लकड़ी प्रतिवर्ष आवश्यक होगी। लकड़ी की आपूर्ति पास के वन क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र से होती है। भविष्य में लकड़ी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 10 हैक्टेयर क्षेत्र में यूकेलिप्टस, सुबबूल एवं जेट्रोफा के 51000 पौधे लगाये गये हैं। तीन वर्ष बाद रोपड क्षेत्र से टहनियां/डालियों को एकत्रित कर उपयोग में लाया जायेगा। योजना की कुल लागत 20 लाख रुपये है, जिसमें 90 प्रतिशत राशि गैरपरम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त हुई है। लागत का 10 प्रतिशत वन विभाग एवं ग्रामीणों ने प्रारंभिक लागत के रूप में लगाया है।

यह एक अभिनव प्रयोग है और इसकी सफलता में कोई सन्देह नहीं है। आप जरा सोचकर देखें–अंधेरे में रहने वाला गांव अपने साधनों से अपने प्रयत्नों से और केन्द्र तथा राज्य सरकार की मदद से प्रकाशवान हो सकता है। यह एक तरह से जनभागीदारी का उदाहरण है। लोगों की भावनात्मक प्रसन्नता का अंदाज लगाना कठिन होगा। उनके जीवन में पहले पूरी शाम अंधेरे में बीतती थी। अब उन्हें शाम को भी रात ग्यारह बजे तक अपना कामकाज, पढ़ाई, आदि की सुविधा मिल गयी है जो निश्चित ही उनके जीवन में आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि में मदद देगी। उनके सक्रिय जीवन में इस अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत बायोमास से वृद्धि हो गयी है। अब उन्हें रात होने से पहले सभी काम निपटना जरूरी नहीं रहेगा। ये अब टिमटिमाते दिये और लालटेन की रौशनी का विकल्प प्राप्त कर चुके हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। ❑

(लेखिका पत्र सूचना कार्यालय, भोपाल में सूचना अधिकारी हैं)

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग प्रारम्भिक परीक्षा हेतु

अनिवार्य प्रश्न-पत्र हेतु

731	सामान्य अध्ययन	795/-
859	सामान्य अध्ययन (U.P.P.S.C.)	350/-
A021	सामान्य अध्ययन (Uttaranchal PCS)	350/-
842	सामान्य अध्ययन (M.P.P.S.C.)	350/--
A255	सामान्य अध्ययन (Chatlisgarh PCS)	375/-
427	सामान्य अध्ययन (J.P.S.C.)	330/-
760	सामान्य अध्ययन (B.P.S.C.)	350/-
761	कॉम्प्रिहेन्सिव सामान्य अध्ययन	330/-
759	सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस वर्कबुक	120/-
883	वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन	140/-
860	सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस वर्कबुक	125/-
A132	राजस्थान सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान	425/-

सामान्य अध्ययन श्रृंखला

853	शृंखला : सामान्य विज्ञान	240/-
847	शृंखला : इतिहास : भारत एवं विश्व	135/-
849	शृंखला : भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान	100/-
850	शृंखला : भूगोल : विश्व एवं भारत	140/-
851	शृंखला : भारतीय अर्थव्यवस्था	100/-
852	शृंखला : सामान्य मानसिक योग्यता	70/-
172	शृंखला : भारतीय कला एवं संस्कृति	65/-
856	शृंखला : समसामयिकी	50/-

वैकल्पिक प्रश्न-पत्र

335	इतिहास ❑ डॉ. ए. के. मित्तल	300/-
880	इतिहास प्रैक्टिस वर्कबुक	80/-
485	लोक प्रशासन ❑ डॉ. बी. एल. फड़िया	320/-
781	लोक प्रशासन प्रैक्टिस वर्कबुक	120/-
099	समाजशास्त्र ❑ प्रो. गुप्ता एवं शर्मा	300/-
707	समाजशास्त्र प्रैक्टिस वर्कबुक	60/-
642	राजनीति विज्ञान ❑ डॉ. बी. एल. फड़िया	300/-
A483	राजनीति विज्ञान : अभ्यास पुस्तिका	150/-
645	अर्थशास्त्र ❑ डॉ. अनुपम अग्रवाल	200/-
A484	अर्थशास्त्र : अभ्यास पुस्तिका	120/-
714	विधि ❑ पवन बड़ाया	200/-
A490	विधि (LAW) : अभ्यास पुस्तिका	130/-
076	भूगोल ❑ डॉ. दीपक माहेश्वरी	300/-
A482	भूगोल : अभ्यास पुस्तिका	100/-
882	दर्शनशास्त्र ❑ डॉ. एस. सी. मिश्रा	360/-
005	नीतिशास्त्र : भारतीय एवं पाश्चात्य	80/-
016	तर्कशास्त्र (Logic)	90/-
024	भारतीय दर्शन (Indian Philosophy)	80/-
052	पाश्चात्य दर्शन (Western Philosophy)	50/-
360	वाणिज्य ❑ डॉ. पुरोहित, डॉ. तातेड़ एवं डॉ. शाह	200/-
A486	वाणिज्य अभ्यास पुस्तिका	150/-
726	वस्तुनिष्ठ अंकगणित	175/-
912	कृषि	80/-
A476	वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र	120/-
A477	वस्तुनिष्ठ लोक प्रशासन	80/-
A479	OBJECTIVE PUBLIC ADMINISTRATION	120/-
857	PUBLIC ADMINISTRATION ❑ Dr. B. L. Fadia	350/-
1343	INDIAN ADMINISTRATION ❑ Dr. B. L. Fadia	300/-

प्रतियोगिता साहित्य

HOSPITAL ROAD, AGRA-3 Tel. 2851665, 2853400

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

.... पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली–110 066

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर ***निदेशक, प्रकाशन विभाग*** *को नई दिल्ली में देय हो।*

सेतुसमुद्रम परियोजना

वेद प्रकाश अरोड़ा

भारत को आज विश्व की सबसे तेज चाल वाले तीन देशों में शामिल होने और विकासशील देशों में सर्वाधिक तेज गति वाला अग्रणी देश का गौरव प्राप्त है। इस शिखर तक पहुचने की सफलता का राज यह है कि देश में अत्यधिक संवेदनशील हाई टेक क्षेत्रों से लेकर जन–जन से सरोकार रखने वाले प्रत्येक क्षेत्र के निर्माण का महायज्ञ अबाध गति से चल रहा है। ग्रामीण भारत की छवि निखारने और संवारने के लिए जहां सिंचाई, सड़कों, मकानों, जल सप्लाई, बिजलीकरण और दूरसंचार जैसे बुनियादी ढांचे के छह क्षेत्रों पर 1,74,000 करोड़ रुपये की विशाल राशि, चार वर्ष के लिए मंजूर की गई है, वहां बंदरगाहे बनाने, बढ़ाने और जोड़ने का काम मुस्तैदी से चल रहा है। देश के नवनिर्माण की ललक ने ही धूल की परतों में दबी हुई सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना को फाइलों के अंबार से बाहर निकल कर उसे तेज गति से लागू करने की प्रेरणा दी। यह जहाजरानी मार्ग पाक जलडमरूमध्य के रास्ते मन्नार खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से सीधे मिला देगा। इस छोटे जलमार्ग के बन जाने से भारतीय जहाजों को श्रीलंका का पूरा चक्कर काटने की मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इस चैनल की खुदाई के लिए तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में कीलीमेरे तट के पास समुद्र में इन दिनों बड़ी–बड़ी खुदाई मशीनों से गाद निकालने का काम पूरे जोर से चल रहा है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने गत दो जुलाई को मंदिरों की पावन नगरी मदुरै में बटन दबा कर इस जलमार्ग की खुदाई का उद्घाटन कर बंदरगाह क्षेत्र के विकास का नया इतिहास रच डाला। 167 किलोमीटर लंबी, 300 मीटर चौड़ी और बारह मीटर गहरी इस जहाजरानी नहर के निर्माण पर कुल 24 अरब 27 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार साढ़े तीन वर्षों यानी लगभग 2008 तक इस जहाजरानी चैनल का निर्माण कार्य पूरा होगा। तब इसमें आठ नाट(समुद्री मील) की गति से 10 मीटर तक ड्राफ्ट वाले जहाजों की आवाजाही विशेष रूप से तमिलनाडु को उसके जरिए सारे देश को उन्नति की राह पर अग्रसर करेगी।

जहाजरानी और परिवहन मंत्री टी आर बालू ने इस परियोजना की व्यावहारिकता सुदृढ़ता और सार्थकता की चर्चा करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि नौ वर्षों में यह परियोजना अपना खर्च आप चलाने लायक हो जायेगी। उसके बाद व्यय से अधिक आय होने लगेगी और बचत का दौर शुरू हो जाएगा। वर्ष 2008 के दौरान इस जहाजरान मार्ग से तीन हजार से अधिक जहाज चलने लगेंगे और इनके कोई 70 करोड़ टन माल की ढुलाई होने लगेगी।

वैसे भी यह बात समझ से परे नहीं है कि एडम ब्रिज की चट्टानें टूट जाने से पानी के अधिक गहरा होने से मछलियों को पालने और पकड़ने का व्यवसाय जोर पकड़ लेगा। नागपट्टनम और तूतीकोरिन के बीच मछली बंदरगाहों के विकास तथा वहां माल चढ़ाने उतारने का काम और भंडारण सुविधाएं बढ़ाना मछुआरों और अन्य लोगों के लिए मुंह मांगा वरदान प्रमाणित करना होगा। लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से तीन सामान्य मछली बंदरगाहों और एक बहुउद्देश्यीय बंदरगाह का निर्माण मछुआरों की रही सही शिकायतों को भी दूर कर देगा। पर्यावरणविदों और मछुआरों की शंकाओं के निराधार बताते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आश्वस्त किया कि प्राकृतिक विरासत की रक्षा की भरसक कोशिश की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति की आजीविका पर कोई आंच न आएं।

द्रविड़ मुन्नेत्र कडगम प्रमुख करूणानिधि का अनुमान है कि परियोजना से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 50,000 व्यक्तियों को निरंतर रोजगार मिलता रहेगा। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों और कोरोमंडल तट का चहुंमुखी विकास होने से हजारों घरों में बुझे दीप जल उठेंगे और जीवन जीने लायक हो जाएंगे। छोटी–बड़ी बंदरगाहों का समयानुसार और आवश्यतानुसार परिवर्तन कर उन्हें विविध कार्यों के लिए इस्तेमाल कर क्षेत्र को प्रगति की नई राहों पर तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

इस संबंध में कोई दो राय नहीं कि यह परियोजना न केवल क्षेत्रीय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बल्कि सामरिक और व्यापारिक सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। देश के पूर्वी और पश्चिमी तटों को परस्पर जोड़ने के लिए हमारी अपनी समुद्री सीमा के अंदर समुद्री चैनल बन जाने से आम जरूरत की चीजे ही नहीं अत्यंत संवेदनशील वस्तुओं सैन्य सामग्री और सैनिकों सभी को इस या उस तट पर सुगमता से पहुंचाया जा सकेगा। तट रक्षक जहाजों का काम भी कुछ हल्का हो जाएगा। आपदा प्रबंधन कार्य मुस्तैदी से करने में अब अधिक कसरत नहीं करनी पड़ेगी। उथला पानी गहरा हो जाने से बड़े जंगी जहाज आनन–फानन कार्यवाई कर ठोस परिणाम हासिल कर सकेंगे और सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ कर सकेंगे।

निसंदेह यह जलमार्ग अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों को व्यापक बनाने के साथ–साथ विदेश व्यापार को चार चांद लगा देगा। नौवहन व्यय कम होगा तथा निर्यात सस्ता और स्पर्धात्मक हो जाएगा। समुद्र के रास्ते विदेश व्यापार बढ़ने से जहाजरानी का भी बढ़ना स्वाभाविक है। दोनों एक दूसरे के पूरक और सहायक है। इस परियोजना से जहां साझा न्यूनतम कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को साकार रूप दिया जा सकेगा वहां भारतीय बंदरगाह क्षेत्र तथा तमिलों की चिरपरिचित और चिर पोषित महत्वकांक्षा पूरी हो सकेगी। साथ ही परियोजना के आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक, सुदृढ़ और पायदार होने का लाभ सभी को मिलेगा। इससे 10.2 प्रतिशत की अनुमानित दर से लाभ होना उसके उज्ज्वल भविष्य का परिचायक है। दूसरे पश्चिमी तट से श्रीलंका का चक्कर काटते हुए पूर्वी तट क्षेत्र में पहुंचने में जितना समय अभी लगता है, उसमें 30 घंटे की कमी हो जाने से बहुत राहत मिलेगी। जहाजों के ईंधन की खपत में जबरदस्त कटौती से जहां पेट्रोलियम पदार्थों पर व्यय कम होगा, वहां जहाजी भाड़ा किराया कम हो जाने से व्यापारियों, निर्यातकों तथा मुसाफिरों सभी को लाभ होगा। घरेलू उत्पादक, उद्यमियों और उपभोक्ताओं को उन्नत प्रौद्योगिकीय वस्तुओं से लेकर आवश्यकता का सामान्य सामान सस्ता मिलने लगेगा। सभी तटवर्ती क्षेत्रों और संलग्न पिछले इलाकों की अर्थव्यवस्था में नई हलचल और नया स्पंदन पैदा होगा, काम धंधों को नया विस्तार मिलेगा तथा व्यवसायों और कारोबार के नए द्वार खुल जाएंगे। जगह–जगह छोटे, नन्हें, मझोले और सहायक उद्योगों का जाल फैंकते जाने से तटीय क्षेत्रों की प्रगति ऊचाईयां की तरफ तेज चाल से बढ़ने लगेगी। इतना ही नहीं, इकाइयों और उद्योग समूहों की स्थापना सर्वग्राही एवं सर्वव्यापी होती है तथा कई आनुषंगिक लाभों के अपने दामन में समेटे होती है। इनसे सड़कों और रेलों का जाल बिछने में देर नहीं लगेगी। जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति और भूतल परिवहन जैसे बुनियादी क्षेत्रों का चौतरफा विकास होने से क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। सरकार के राजस्व में भारी वृद्धि तो होगी ही, आम लोगों को क्रयशक्ति बढ़ने से जीवन में सुख की अनुभूति होने लगेगी। ❑

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

ग्रामीण उत्थान में मीडिया का योगदान

सुभाष सेतिया

भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारवाद की लहर में तेजी आने के फलस्वरूप देश के आर्थिक–सामाजिक विकास के तौर–तरीकों में भी बदलाव आने लगा है। अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों का एक वर्ग यह भी मानता हैं कि नई आर्थिक नीतियों के चलते समाज के उपेक्षित और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान पर पहले से कम ध्यान दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को देखते हुए यह धारणा बलवती हो रही है कि सरकारी तंत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दिशा में जो प्रयास हो रहे थे, उनकी गति अब धीमी होने लगी है। गांवों में बुनियादी सेवाऐं–शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, कृषि विकास आदि शहरी विकास की चमक के सामने धुंधली पड़ने लगी हैं। कृषि की उपेक्षा के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सरकारी हिस्सेदारी कम होने से रोजगार की स्थिति भी प्रभावित हो रही है। किंतु दूसरी ओर यह दावा किया जा रहा है कि हवाई अड्डों, होटलों, बड़े–बड़े तकनीकी शिक्षा संस्थानों के निजी हाथों में चले जाने से सरकार अब बुनियादी सेवाओं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक धन खर्च कर सकेगी।

इस समूची बहस के बीच एक बात अवश्य उभर कर सामने आ रही है कि अब ग्रामीण लोग अपने क्षेत्र के विकास के प्रति पहले से कहीं अधिक जागरूक हैं और वे अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के सामने विकास की गति बढ़ाने की मांग और अपनी आवश्यकताओं को रखने के लिए बढ़–चढ़ कर आगे आ रहे हैं। आम ग्रामवासी की इस आकांक्षा और जागरूकता को और मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि विकास की यह लहर एक आंदोलन का रूप ले सके। चेतना की लौ और क्षेत्रीय विकास की लालसा को तीव्र बनाने में साक्षरता, शिक्षा एवं स्वयंसेवी प्रयासों के साथ–साथ मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

हमारे देश में पत्रकारिता और मीडिया का पिछले कुछ वर्षों में बड़ी तेजी से विस्तार हुआ है। यह प्रसार अखबारों और रेडियो/टी वी चैनलों तथा उनके पाठकों व दर्शकों/श्रोताओं की संख्या में भारी वृद्धि के रूप में परिलक्षित हो रहा है। जाहिर है गांवों में भी जन–संचार माध्यमों के सम्पर्क में आने और उनसे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसे में हमारे जन–संचार माध्यमों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मनोरंजन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने पाठकों/दर्शकों का दायरा बढ़ाने के अलावा उन्हें गांवों की बुनियादी आवश्यकताओं तथा समस्याओं को उठाकर ग्रामीण उत्थान और ग्रामवासियों के जीवन–स्तर को ऊंचा उठाने में योग देना चाहिए। यह आम शिकायत है कि हमारे टीवी चैनलों और बड़े–बड़े अखबारों व पत्रिकाओं में शहरों की समस्याओं को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि उनके अधिकतर पाठक व दर्शक शहरों में हैं जिनकी वजह से उन्हें अधिक विज्ञापन मिलते हैं। लेकिन अब जबकि इन माध्यमों की पहुंच गांवों में तेजी से बढ़ रही है, इनमें गांवों के मसलों को भी पर्याप्त महत्व व स्थान मिलना चाहिए।

यहां यह बताना समीचीन होगा कि देश में योजनाबद्ध विकास के शुरूआती दौर में जब ग्रामीण उत्थान तथा सामुदायिक विकास पर विशेष बल दिया गया तो रेडियो ने गांवों में चेतना लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। 1960 और 1970 के दशकों में पंचायतों की सहायता से सामुदायिक रेडियो और बाद में सामुदायिक टेलीविजन के माध्यम से हरितक्रांति, गांवों में स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा, परिवार नियोजन, साक्षरता, स्त्री–पुरुष समानता, बाल विवाह विरोध जैसे अनेक मुद्दों पर बड़े पैमाने पर रोचक व प्रभावकारी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे जिनके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मदद मिली। प्रसारण माध्यम के रूप में उस समय केवल सरकारी नियंत्रण वाले आकाशवाणी ओर दूरदर्शन ही सक्रिय थे इसलिए यह काम आसान था। किंतु अब स्थिति काफी बदल गई है क्योंकि साक्षरता के प्रसार के कारण पत्र–पत्रिकाएं पढ़ने वाले ग्रामीणों की संख्या लगातार बढ़ रही है और रेडियो व टी वी के सरकारी चैनलों के साथ–साथ निजी चैनल भी गांवों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की होड़ में लग गए हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि गांवों में 67 प्रतिशत घरों में रेडियो सेट हैं जबकि शहरों में 51 प्रतिशत घरों में रेडियों सेट हैं। एफ एम सेवा शुरू होने के बाद गांवों व शहरों दोनों में रेडियो सेटों की बिक्री बढ़ रही है। इसलिए ग्रामीण विकास में जनसंचार माध्यमों की भूमिका अधिक व्यापक, महत्वपूर्ण तथा जटिल हो गई है। निजी चैनलों से सामाजिक दायित्व निभाने की वैसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है जैसी जनता के धन से चलने वाले सरकारी जन–संचार माध्यमों से रहती है। इसके अलावा सरकारी माध्यम भी अब व्यावसायिक हितों पर ध्यान देने लगे हैं।

जन–संचार माध्यमों द्वारा उठाए जाने वाले गांवो से जुड़े मुद्दों को मुख्य रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहले वर्ग में वे समस्याएं हैं जिनके बारे में चर्चा करके गांवों के भौतिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। दूसरे विषय सामाजिक और सांस्कृतिक कहे जा सकते हैं जिनके माध्यम से लोगों में जागरूकता और चेतना आती है। यदि पहले वर्ग के विषयों की चर्चा करें तो इनमें गांवों में रोजगार के अवसर, बुनियादी ढांचे का विकास, कुटीर उद्योग, तकनीकी प्रशिक्षण

जैसे मामले शामिल हैं। ये सभी विषय ऐसे हैं जिनसे गांवों के शिक्षित-अशिक्षित स्त्री-पुरुष घर-गृहस्थी चलाने और बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सरकार द्वारा गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा अति निर्धन और अनुसूचित जातियों व जन-जातियों की विशेष मदद की बहुत सी योजनाएं बनाई जाती हैं। किंतु उनकी सही जानकारी न होने के कारण गांव के लोग इनका पुरा लाभ नहीं उठा पाते। उदाहरण के लिए हाल मे केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नाम का क्रांतिकारी रोजगार कार्यक्रम शुरू किया है। इससे गांवों में गरीबी की रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इससे पहले सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू की गई थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना जैसी योजनाएं भी समय-समय पर लागू की जाती रही हैं, जिनसे गांवों में बुनियादी ढाचें के विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे कार्यक्रमों के बारे में समाचार, लेख, वार्ताएं और विशेषज्ञों से इंटरव्यू आदि के माध्यम से मीडिया गांवों के लोगों को इनका लाभ उठाने के तरीकों तथा अन्य पहलुओं की जानकारी दे सकता है। कभी-कभी गैर-सरकारी संगठन भी ऐसे काम हाथ में लेते हैं जो ग्रामीण विकास में सहायक होते हैं। हाल में एक संस्था इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ एक करार किया है जिसके अंतर्गत लगभग 5 लाख इंजीनियर देशभर के गांवों में जाकर स्थानीय लोगों को भवन निर्माण तथा सड़क व शौचालय बनाने की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे। यदि हमारे जन-संचार माध्यम ऐसे जनोपयोगी प्रयासों की सम्यक जानकारी गांवों तक पहुंचाएंगे तो निश्चय ही ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाना आसान हो जाएगा।

यही बात कृषि पर लागू होती है। हम जानते हैं कि खेती-बाड़ी न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बल्कि समूचे देश की अर्थव्यवस्था का भी आधार है। पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी में कमी आई है, जिस पर सभी स्तरों पर चिंता प्रकट की जा रही है। हमारे जन-संचार माध्यमों खासकर टेलीविजन चैनलों पर कृषि पूरी तरह उपेक्षित रहती है। उनके पास गांवों में होने वाले अपराधों, अपहरण, बलात्कार और किसानों की आत्महत्याओं को उछालने के लिए तो समय है किंतु उन्हें ऋण लेने की शर्तों, नए बीजों, खेती की नई विधियों व उपकरणों तथा वैकल्पिक फसलों की जानकारी देने वाले कार्यक्रम दिखाने के लिए समय नहीं है। यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रथम हरित क्रांति को सफल बनान में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कृषि कार्यक्रमों ने अत्यंत उपयोगी भूमिका निभाई। राज्यों तथा केंद्र के अनेक कृषि विश्वविद्यालयों में नए-नए अनुसंधान होते रहते हैं जिनकी जानकारी हिंदी तथा भाषायी अखबार और क्षेत्रीय रेडियो व टेलीविजन चैनल किसानों तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह विदेशों में फल, सब्जी, अनाज आदि के उत्पादन में किए जा रहे प्रयोगों से भी देश के किसानों को अवगत कराया जाना चाहिए।

रोजगार ओर कृषि संबंधी गतिविधियों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, कानूनी अधिकार जैसे बहुत से मसले हैं जिनसे ग्रामीण जनता को जागरूक बनाकर उनका सशक्तिकरण किया जा सकता है। यह काम जनसंचार माध्यम बखूबी कर सकते हैं। हाल में सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किए जाने के बाद महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ने और उनकी भागीदारी से ग्राम विकास के कार्यों में तेजी आने के अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं। ऐसी प्रेरक घटनाओं का प्रचार-प्रसार करके जन-संचार माध्यम अन्य लागों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसी प्रकार जनसंख्या पर नियंत्रण के उपायों तथा लड़के और लड़की में भेद के फलस्वरूप लिंग परीक्षण व भ्रूण हत्या के बढ़ते चलन और उससे स्त्री-पुरुष अनुपात में असंतुलन जैसे मुद्दों को जनसंचार माध्यमों को जारदार ढंग से उठाना चाहिए। ऐसे विषयों को वे धारावाहिकों, नाटकों, स्किटों तथा अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों में भी शामिल कर सकते हैं। आजकल कई टीवी चैनल भ्रष्टाचार तथा सेक्स संबंधी घोटालों का पर्दाफाश करके अपनी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें उन डाक्टरों और क्लिनिको का भी पर्दाफाश करना चाहिए जो लिंग की अवैध ढंग से पहचान करके कन्या भ्रूणों की हत्या में भागीदार बन रहे हैं। गर्भस्थ शिशु के लिंग की पहचान की प्रवृत्ति अब गांवों तक फैल रही है और इसके बहुत भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं। 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 पुरुषों पर 934 स्त्रियां हैं। यह अनुपात शहरों से बेहतर है किंतु लिंग परीक्षण का चलन बढ़ता रहा तो हालत बदतर हो जाएगी। सभी जनसंचार माध्यमों का यह कर्त्तव्य है कि वे इस संभावित राष्ट्रीय त्रासदी से देश को बचाने के लिए गांवों में इस दुष्प्रवृत्ति के विरुद्ध वातावरण बनाने में सहयोग दें। लिंग जांच कानून को और कड़ा बनाने का फैसला किया गया है। इससे जुड़ी जानकारी हमारे अखबारों तथा रेडियो और टीवी चैनलों को ग्रामीण जनता तक पहुंचानी चाहिए।

सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जन-संचार माध्यमों को गांवों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। उन्हें गांवों की केवल नकारात्मक खबरें देने की प्रवृत्ति छोड़कर उनके रचनात्मक पहलुओं को उजागर करना चाहिए। उन्हें शहरों की ओर अपने झुकाव को कम करना होगा। मीडिया को यह नहीं भूलना चाहिए कि गांवों की समस्याओं और चिंताओं से जुड़े समाचार व कार्यक्रम प्रस्तुत करके ही वे ग्रामीण भारत में अपनी पैठ बढ़ा सकते हैं। सच तो यह है कि ग्रामीण विकास और जन-संचार माध्यमों एक दूसरे के पूरक हैं। जन-संचार माध्यमों गांवों से जुड़े रचनात्मक तथा सार्थक खबरों व कार्यक्रमों के प्रकाशन/प्रसारण से ग्रामीण विकास में मददगार हो सकते हैं तो गांवों के विकास की बदौलत अधिक से अधिक लोग इन माध्यमों के सम्पर्क में आएंगे जिससे इनकी अपनी लोकप्रियता बढ़ेगी। और इसी में देश की भलाई भी है। ❑

(लेखक आकाशवाणी में संयुक्त निदेशक हैं)

ग्रामीण समाज और संचार माध्यम

ध्रुव भूषण सिंह

संचार जीवन का आधारभूत सत्य है। यह व्यक्ति के लिए वायु और प्रकाश की तरह ही अपरिहार्य है। संचार मानव समुदाय की धुरी है, जिसके द्वारा मानव के सामाजिक जीवन की कल्पना करना सम्भव नहीं है। वस्तुतः संचार ही मानव समाज की संचालन प्रक्रिया को सम्भव बनाता है। यद्यपि संचार जब किसी माध्यम के द्वारा किया जाता है तब यह विस्तृत रूप में प्रभावी होता है। सूचना क्रान्ति के दौर में विभिन्न आधुनिक संचार माध्यमों ने मानवीय अन्तःक्रिया, समझ, ज्ञान, जिज्ञासा एवं इच्छा इत्यादि को निरन्तर व्यापकता प्रदान की है।

किसी भी समाज की प्रगति एवं विकास उस समाज में रह रहे लोगों के विकास एवं प्रगति पर निर्भर करता है। लोगों की व्यक्तिगत प्रगति से ही राष्ट्र की प्रगति होती है। इस प्रगति के कई कारक होते हैं। इनमें संचार माध्यमों का भी अपना योगदान होता है। वास्तव में यह किसी लोकतांत्रिक समाज के सन्दर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का चौथा स्तम्भ है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री **विल्वर स्क्राम** का यह मत है कि "संचार माध्यम समाज में गुणात्मक परिवर्तन की भूमिका निभाते हैं।

संचार माध्यमों में मुख्यतः रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, टेलीफोन, मोबाइल, समाचार पत्र–पत्रिकाएं, सिनेमा इत्यादि जिनमें मुख्यतः इलेक्ट्रानिक मीडिया ने तो जैसे पूरे विश्व को समेट दिया है। संचार माध्यमों के विस्तार ने **'वसुधैव कुटुम्बकम'** की संकल्पना को साकार कर दिया है। सम्पूर्ण विश्व एक ग्राम समुदाय के रूप में परिवर्तित हो चुका है जिसके फलस्वरूप समय एवं स्थान की दूरी निरन्तर कम होती जा रही है। आज कोई भी व्यक्ति विश्व के किसी भी स्थान से पूरी दुनिया के सम्पर्क में रह सकता है। इसी सन्दर्भ में **मार्शल मैकलुहन** के इस कथन कि *'21वीं सदी में दुनिया विशाल गांव में परिवर्तित हो जायेगी'* को पूर्णतः फलितार्थ करता है। संचार माध्यमों के विस्तार का प्रभाव भारतीय ग्रामीण समाज पर विभिन्न रूपों में स्पष्ट हो रहा है।

भारत में 74.3 प्रतिशत लोग आज भी गांवों में निवास करते हैं। देश की यह विशाल जनसंख्या आजादी के 57 वर्षों बाद भी राष्ट्र की मुख्य धारा से पूरी तरह नहीं जुड़ पायी है। अभी भी ग्रामीण समाज विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पीने का पानी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आवास, बिजली तथा सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की अपेक्षित पूर्ति सम्भव नहीं हो सकी है। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण जन को विभिन्न प्रकार से प्रेरित किये जाने की आश्यकता है जिससे वे अपने को अधिक से अधिक गतिशील बना सके। यह कार्य संचार माध्यामों ने एक सीमा तक किया है और निरन्तर कर रहे हैं। सूचना युक्त समाज लोगों को आर्थिक सम्पन्नता, प्रसन्नता इत्यादि प्रदान करता है। देश के 90 प्रतिशत क्षेत्र में करीब एक अरब लोगों तक रेडियो का प्रसारण होता है। टीवी की पहुंच 80.2 करोड़ परिवारों तक हो चुकी है। दुनिया में भारत में सर्वाधिक फिल्में बनती हैं। टेलीफोन का विस्तार तेजी से हुआ है। देश के 6 लाख गांवों में से 5 लाख से अधिक गांवों में टेलीफोन की सुविधा उवलब्ध हो गयी है। भारत में 31 अक्टूबर, 2004 तक 8 करोड़ 86 लाख (मोबाइल सहित) दूरसंचार के कनेक्शन से लोग जुड़ चुके हैं जिसमें 444.89 लाख मोबाइल धारक तथा 441.3 लाख बेसिक फोन धारक है। भारत में विविधता इसके मूल में है इस रूप में भाषायी विविधता को ध्यान में रखते हुए यहां विभिन्न भाषाओं में समाचारपत्र

तालिका : 1

भारत में भाषा के अनुसार प्रकाशित होने वाले दैनिक, साप्ताहिक और मासिक समाचार–पत्र और पत्रिकाएं

भाषा	दैनिक	साप्ताहिक	मासिक	योग (अन्य पत्र–पत्रिकाओं सहित)
अंग्रेजी	390	942	2868	7175
हिन्दी	2393	9910	3389	19685
असमी	16	77	62	220
बंगाली	99	618	710	2643
गुजराती	141	618	710	2643
कन्नड़	332	377	635	1668
कश्मीरी	0	1	1	7
कोंकणी	1	3	1	7
मलयालम	216	175	776	1431
मणिपुरी	14	6	10	45
मराठी	371	1295	542	2717
नेपाली	3	23	9	65
उड़िया	76	157	276	714
पंजाबी	107	362	250	879
संस्कृत	3	9	16	53
सिन्धी	11	38	36	106
तमिल	356	400	872	1965
तेलुगू	164	259	530	1200
उर्दू	525	1328	518	2838
द्विभाषी	74	638	1221	2844
बहुभाषी	17	108	228	542
अन्य	55	84	126	371
योग	5,364	17,428	13,786	49,818

एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। लगभग 100 भाषाओं में समाचारपत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। सबसे अधिक समाचारपत्र हिन्दी में प्रकाशित होते हैं। उसके बाद अंग्रेजी और उर्दू का स्थान आता है। (तालिका–1)

हमने अपने शोध अध्ययन "ग्रामीण समाज पर संचार माध्यमों का प्रभाव" के अन्तर्गत एक प्रश्न में यह जानना चाहा कि ग्रामीण लोग संचार माध्यमों से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। इससे यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि अधिकांशः ग्रामीण विभिन्न संचार माध्यमों से किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। यह तालिका–2 से स्पष्ट होता है।

संचार माध्यमों का सबसे बड़ा योगदान विकास की आवश्यकता के बारे में जनचेतना जागृत करने में है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा वे माध्यम साक्षरता के प्रसार, जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता, रोजगार के अवसर बढ़ाने, कृषि के नए व आधुनिक तरीकों के प्रयोग, बच्चों एवं महिलाओं की स्थिति में सुधार और समाज के प्रति उनकी अधिक सार्थक भूमिका के प्रति चेतना जगाने एवं पशु पालन आदि द्वारा गांवों की आर्थिक स्थिति को संवारने में भी अद्भुत भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही गांवों में स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना जगाने, बीमारियों की रोकथाम, किसानों को खाद्यान्नों के सही मूल्य की सूचना, पंचायत प्रणाली को मजबूत बनाने तथा रुढ़ियों एवं अंधविश्वासों को मिटाने का कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण जन को पर्यावरण की रक्षा करते हुए खुद अपनी पैरों पर खड़ा होने इत्यादि के लिए महत्त्वपूर्ण रूप से ज्ञान के श्रोत के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं।

शिक्षा ज्ञान का आईना होती है। शिक्षा ही वह पहलू है जो मानव को उसके अस्तित्व के ज्ञान एवं भूमिका से परिचित करवाती है। अच्छी शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्र एवं सभ्य समाज के लिए व्यक्ति का वास्तविक योगदान सम्भव हो पाता है। भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के सम्बन्ध में अन्तर चिन्तनीय है। शहर एवं गांव के मध्य साक्षरता दर में आज भी 22 प्रतिशत का अंतर बना हुआ है। दलित, वंचित एवं पिछड़े समुदाय के बहुत बड़े हिस्से तक शिक्षा नहीं पहुंच सकी है। 65 प्रतिशत आदिवासी और 54 प्रतिशत दलित अब भी निरक्षता के अंधकार में जीने के लिए अभिशप्त हैं। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रचार–प्रचार की आावश्यकता है क्योंकि वहां छोटे और मझोले किसान और खेतिहर मजदूर पढ़ाई को समय की बर्बादी मानते हैं। भारत में अभी भी चार करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। भारत में 11.92 प्रतिशत लड़कियों की शादी 10 से 14 वर्ष की आयु में हो जाती है और 42.11 प्रतिशत लड़कियों की शादी 15 से 19 वर्ष की आयु में हो जाती है। कम उम्र में लड़कियों की शादी होने से उसकी पढ़ाई जल्दी छूट जाती है। आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की 75 प्रतिशत बालिकाएं और अनुसूचित जनजाति की 60 प्रतिशत बालिकाएं बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। तीसरी दुनिया के देश संचार क्रान्ति में सहभागी हो रहे हैं। यह तकनीक अशिक्षा, बीमारी, गरीबी जैसी समस्याओं से निजात पाने में सहायक है। हमने अपने अध्ययन में एक प्रश्न के माध्यम से यह जानना चाहा कि क्या संचार माध्यम शैक्षिक जागरूकता बढ़ाने में सहायक हैं? जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश उत्तरदाता (87.66 प्रतिशत) यह स्वीकार करते हैं कि यह शैक्षिक जागरूकता बढ़ाने में सहायक हैं।

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ किया जाना है। यहां जन–जन को स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं से रुबरु कराने की आवश्यकता है। भारत अभी स्वास्थ्य सेवा पर प्रति व्यक्ति 6 अमेरिकी डालर प्रतिवर्ष खर्च कर रहा है जबकि 50 डालर से भी अधिक खर्च किये जाने की आवश्यकता है मानव विकास रिपोर्ट 2003 के अनुसार भारत में लगभग 50 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 57वें चक्र की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक 200 परिवारों में और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 1000 परिवारों में एक परिवार को भूखे रहना पड़ता है और साल के किसी महीने में पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता है। इलेक्ट्रानिक मीडिया गृहणियों के लिए कम उपयोगी नहीं है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकार बच्चों के लालन–पालन तक की सारी जानकारी घर बैठे मिल जाती है। सफाई से रहना, साफ बनाना एवं उसे ढककर रखना इत्यादि अनेक लाभों से अवगत कराया जाता है। मेरे अपने अध्ययन से भी एक प्रश्न में यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता (84.33 प्रतिशत) यह स्वीकार करते हैं कि संचार माध्यमों के प्रभावस्वरूप लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता में वृद्धि हुयी है।

तालिका : 2
विभिन्न संचार माध्यमों के प्रति रुझान

संचार माध्यमों के प्रति रूझान	संचार माध्यम				
	टीवी (प्रतिशत)	रेडियो (प्रतिशत)	टेलीफोन (प्रतिशत)	समाचारपत्र (प्रतिशत)	फिल्म (प्रतिशत)
प्रतिदिन	40.67	24.33	7.33	51.67	6.33
कभी–कभी	44.00	48.00	57.67	19.33	59.67
प्रायः	–	–	–	16.67	–
नहीं	15.33	27.67	35.00	12.33	34.00
योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

परिवार नियोजन को बढ़ावा देकर संचार माध्यमों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी लोगों को प्रेरित किया है। इन माध्यमों द्वारा लगातार प्रचार के फलस्वरूप परिवार नियोजन का संदेश देश के प्रत्येक कोने में पहुंचता है। इनके जरिये जनसंख्या नियंत्रण को व्यापक जन–आन्दोलन बनाना कठिन नहीं है। विशेषकर ग्रामीण अंचल के लोगों में यह संदेश बिठाना कठिन नहीं होगा कि असीमित परिवार उनकी आर्थिक, सामाजिक व स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ है। परिवार नियोजन के कृत्रिम साधनों का नाम लेने में लोग लज्जा का अनुभव करते थे अब मीडिया के माध्यम से परिवार नियोजन के सभी तरीके लोगों के घरों तक पहुंचने लगे हैं। मैंने अपने अध्ययन में यह जानना चाहा कि क्या संचार माध्यम परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता पैदा करने में सहायक हैं ? जिससे यह स्पष्ट हुआ कि प्रायः सभी उत्तरदाता (93.67 प्रतिशत) यह स्वीकार करते हैं कि संचार माध्यम परिवार नियोजन के प्रति जागरुकता पैदा करने में सहायक हैं।

राजनीतिक जागरुकता एवं संचार माध्यमों का गहरा सम्बन्ध है। इन माध्यमों ने विश्व में क्षण–प्रतिक्षण घट रही राजनीतिक गतिविधियों एवं सूचनाओं को सजीव प्रसारण के रूप में लोगों तक पहुंचाया है। ग्रामीण जन भी सम्पूर्ण गतिविधियों से भिज्ञ हो रहे हैं। जिससे इनमें राजनीति के प्रति रूझान में वृद्धि हो रही है। ये भी अपने अधिकार एवं क्षमता को पहचानने लगे हैं। इनमें नेतृत्व की ललक स्पष्ट हो रही है। परिणामस्वरूप राजनीतिक सहभागिता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। गौरतलब है कि पिछले एक दशक से गठबंधन की राजनीति अपरिहार्य

सी हो गयी है। यह ग्रामीणों की राजनीतिक जागरुकता को ही प्रतिबिम्बित करता है। राजनीतिक जीवन के सन्दर्भ में सूचना सम्प्रेषण के साधनों का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक घटनाओं और समस्याओं से अवगत मात्र ही नहीं होता बल्कि नवीन राजनीतिक मूल्यों और विचारधाराओं से उसका व्यवहार तथा जीवन दृष्टिकोण भी प्रभावित होता है। साथ ही संचार–साधन व्यक्ति की राजनीतिक सक्रियता और सहभागिता में वृद्धि भी करते हैं। संचार माध्यमों का राजनीतिक गतिविधियों पर प्रभाव के सम्बन्ध में मेरे अपने अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि प्रायः सभी उत्तरदाता (96.33 प्रतिशत) यह स्वीकार करते हैं कि संचार माध्यमों के प्रभाव के रूप में राजनैतिक गतिविधियां बढ़ी हैं।

संचार माध्यमों ने क्रान्तिकारी परिवर्तन के रूप में महिलाओं को उनके वास्तविक अस्तित्व से परिचित करवाया है। महिलाएं विशेषतः ग्रामीण महिलाएं जो चहारदीवारी के अन्दर ही अपनी भूमिका सम्पन्न कर अपने जीवन का उद्देश्य मान बैठी थीं। उन्हें उनकी क्षमता का एहसास कराया है। महिलायें दहलीज लांघकर विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे आ रही हैं। चाहे वह कृषि कार्य हो, उद्योग धंधा हो, कुटीर उद्योग हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो या फिर नेतृत्व में वे अपनी क्षमता एवं सहभागिता प्रदर्शित कर रही हैं।

मैंने अपने शोध अध्ययन के अन्तर्गत एक प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया कि क्या संचार माध्यम महिलाओं के व्यक्तित्व एवं सोच को प्रभावित कर रहे हैं? प्रायः सभी उत्तरदाता (91.67 प्रतिशत) यह स्वीकार करते हैं कि संचार माध्यमों ने महिलाओं के व्यक्तित्व एवं सोच को प्रभावित किया है। अतएव महिलायें अपनी क्षमता एवं प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। यद्यापि अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

इस प्रकार संचार माध्यमों ने ग्रामीण समाज को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित किया है। देश–विदेश की विविधताओं, संसाधनों, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं आवश्यकताओं की रूपरेखा तथा समझ से ग्रामीण जन रूबरू हो रहा है। वास्तव में इसका लाभ भी उन्हें मिला है। यह उनके जीवन के बहुयामी प्रक्रियाओं पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। परन्तु एक अहम् प्रश्न यह है कि ग्रामीण भारत विशिष्ट एवं विविध सांस्कृतिक पहचान के रूप में जाना जाता है। इन सांस्कृतिक विशिष्टताओं में स्थान विशेष की भाषा, रहन–सहन, खान–पान, तीज–त्यौहार एवं उससे सम्बन्धित आवयकताएं हैं। समाजशास्त्री मैकिम मैरिएट ने इसे स्थानीयकरण की संज्ञा दी है। ये इसी के अनुरूप अपने कार्यों एवं भूमिका का प्रतिपादन करते हैं। जबकि संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित विविध कार्यक्रम एवं सूचनाएं पश्चिमी एवं नगरीय संस्कृति की पोषक हैं। ऐसे में संचार माध्यमों द्वारा प्रभावी परिवर्तन सांस्कृतिक सामंजस्य एवं मूल्य का संकट उत्पन्न कर रहे हैं। ये बच्चों युवाओं एवं महिलाओं को द्वन्द्व की स्थिति भी दे रहे हैं। ये विकास का मार्ग तो दिखा रहे हैं लेकिन किस प्रकार और किन मूल्यों पर, यह संदेश नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों से प्राकृतिक बचपन छिन रहा है। महिलाओं की पारिवारिक निष्ठा कम हो रही है और युवा मूल्यों को तोड़ रहे हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों का प्रारूप ग्रामीण समाज की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक मूल्यों एवं परम्परा को केन्द्रित कर बनाये जाने चाहिए। कार्यक्रम तैयार करते समय भाषा, संस्कृति, सामाजिक–आर्थिक स्थिति और सुविधाओं आदि का ध्यान रखना होगा। क्षेत्रीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण शिक्षा एवं ग्रामीण समस्याओं के निदान सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारित किये जाने चाहिए संचार माध्यमों को पूरी तरह से बाजारवाद के जकड़ से बाहर आना होगा। एक लोकतांत्रिक देश के चौथे स्तम्भ के रूप में मीडिया को अपने वास्तविक महत्व को समझते हुए राष्ट्र हित में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। मैंने अपना शोध अध्ययन 'ग्रामीण समाज पर संचार माध्यमों का प्रभाव' में देखा कि संचार माध्यमों ने विविध सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित किये हैं। वास्तव में ग्रामीण जन कूपमंडूक की स्थिति से बाहर आकर अपनी महत्ता, आवश्यकता, सहभागिता और ऊर्जा को राष्ट्र एवं समाज के सन्दर्भ पहचाने लगे हैं। जबकि समस्या संस्कृति एवं मूल्यों के स्तर पर दिखायी पड़ती है। जिससे विविध नकारात्मक पहलू स्पष्ट होते हैं।

इस प्रकार पहलुओं एवं आयामों के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि यदि संचार माध्यम अपनी महत्ता एवं व्यापक प्रभावी प्रवृत्ति के अनुरूप समाज के सांस्कृतिक विरासत एवं मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों का निर्माण करें तो वे अपनी वास्तविक भूमिका का निर्वहन कर सकेगें। इस सन्दर्भ में कनाडा के संचार विशेषज्ञ मार्शल मैकलुहन का यह कथन है कि जो गलती हमने पश्चिम में उसे न करें। दृश्य–श्रव्य मीडिया का इस्तेमाल वैसे ने करें जैसे हमने किया। हमारे मीडिया ने हमें लगभग बरबाद सा कर दिया। आप इस तरह की योजनाएं बनायें जिससे मीडिया आपकी संस्कृति ताकि मूल्यों को बदलते हुए आधुनिक हालत में और सुदृढ़ करे न कि उसे खत्म करे। मीडिया ग्रामीण समाज के अज्ञानता, अभाव, समस्याओं एवं रुढ़ियों इत्यादि विसंगतियों को दूर करने का वास्तविक साधन बन सकता है। वस्तुतः मीडिया का सकारात्मक उपयोग भारतीय ग्रामीण समाज को एक नई दिशा दे सकता है। इस रूप में ये संचार माध्यम अपनी महत्ता का निरन्तर एहसास कराते रहेंगे। यही संचार माध्यमों का वास्तविक योगदान होगा। ❑

(स्वतंत्र पत्रकार)

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग

पूर्वी खंड-4, तल-7

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

विकास के कर्णधार : युवा

सौरभ पाण्डेय

युवा देश की रीढ़ हैं। युवा हमारे समाज के सबसे जागरूक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। बच्चे देश का भविष्य तो युवा वर्तमान हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास में युवकों की महती भूमिका होती है। भारत जैसे विकासशील देश के सन्दर्भ में इनका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या युवा हैं। इस मानवीय संसाधन का रचनात्मक प्रयोग विजन 2020 के लक्ष्य को नजदीक ला सकता है।

स्वामी विवेकानन्द ने युवकों को आह्वान करते हुए कहा था – "उतिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान्निबोधत" अर्थात उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। स्वामीजी के जन्मदिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन से युवा महोत्सव की शुरूआत होती है। इस महोत्सव में राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों से लगभग ढाई हजार युवा भाग लेते हैं।

युवा समाज का प्रमुख हिस्सा होता है, इसी बात को ध्यान में रखकर 1988 में राष्ट्रीय युवा नीति को अस्तित्व प्रदान किया गया। लगभग 17 वर्ष पुरानी इस नीति में युवाओं के लिए काफी कुछ था, लेकिन उन लक्ष्यों व उद्देश्यों के साथ आज के युवा समाज को वर्तमान की सामाजिक और आर्थिक दशाओं में सामंजस्य बिठाने में कठिनाई हो रही है। नई राष्ट्रीय युवा नीति में चार प्रमुख क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया गया है जिसमें युवाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना, स्त्री–पुरुष का भेदभाव किये बिना न्याय, अन्तरक्षेत्रीय दृष्टिकोण और सूचना व अनुसंधान तंत्र शामिल हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, रोजगार के साथ विकलांग युवकों के उन्नयन हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। भारत में युवाओं के अधिकार की बात तो की जाती है लेकिन विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्रसंघों के नकारात्मक व सकारात्मक पक्षों को सिर्फ नकारात्मकता के बाट से तौला जा रहा है। क्या इसे न्यायसंगत माना जा सकता है। युवाओं के विकास के लिए हालांकि सरकार की तरफ से कई क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं। जिनके बारे में जानना और बताना आवश्यक है।

युवाओं के लिए ब्रिटिश काल में विश्वविद्यालय के छात्रों को भावी फौजी अफसर बनाने हेतु युनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर (U.T.C.) की स्थापना की गयी। बाद में इसका नाम यूनिवर्सिटी आफिसर्स ट्रेनिंग कोर कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में पं. हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन हुआ। 1948 में स्वतन्त्रता के बाद इसको अधिनियम में परिवर्तित कर दिया गया। तब से लेकर अब तक इस संगठन ने कई कीर्तिमान स्थापित किये हैं। इसमें 'सी' सर्टिफिकेट 'बी' ग्रेड से प्राप्त करने वाले कैडेट को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा में लिखित परीक्षा से मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त तमाम सुविधाएं प्रदान की गयी हैं लेकिन फिर भी अभी कई क्षेत्र इससे अछूते हैं जहां पर इनकी भागीदारी जरूरी है। एकता व अनुशासन के अपने उद्देश्य के माध्यम से यह संस्था राष्ट्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। युवा मामले और खेल मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रूकावट और गाइड की संस्था ने राष्ट्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। युवाओं के विकास के साथ राष्ट्र विकास के उद्देश्य से 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरूआत की गयी। डिग्री स्तर पर शुरू हुई योजना को लोकप्रियता के आधार पर 10+2 स्तर पर लागू किया गया है।

युवाओं के विकास हेतु नेहरू युवा केन्द्र संगठन भी कार्यरत है। युवा व खेल विभाग का यह एक स्वायत्त संगठन है। ये संगठन दो लाख यूथ क्लबों के जरिये पंजीकृत 80 लाख से अधिक गैर–ग्रामीण युवाओं की जरूरतों को पूरा करता है। इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वरोजगार, उद्यम विकास, सहकारिता आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं को राष्ट्रीय सेवा में लगाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना लागू की गयी थी। इसमें युवाओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था थी। युवाओं की अक्षय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाने के उद्देश्य से 30 जून, 1999 को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण दल नामक योजना का शुभारम्भ किया गया। शुरूआत में इसे केन्द्रीय क्षेत्र में पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। बाद में इसका विस्तार किया गया। इसमें युवाओं को मानदेय की व्यवस्था थी।

भारतीय ग्रामीण परिदृश्य को दृष्टिगत करते हुए युवा क्लब व खेल क्लबों की स्थापना की गयी। युवाओं को पुरस्कार व क्लबों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। लेकिन फिर भी ये सभी क्लब अपनी सार्थकता को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण उद्यमिता विकास के लिए बनाये गये तमाम कार्यक्रम निरर्थक साबित हो रहे हैं। इनकी असफलता के कारणों को जानकर सफलता में बदलने का प्रयास करना चाहिए।

युवा विकास के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के नाम से स्थापित राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के नाम से कम ही लोग परिचित हैं। तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बदूर में स्थित यह संस्था शीर्ष स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर रही है।

भारत जैसे विकासशील देश में विकास की मंजिल चुनौतीपूर्ण है। मानवीय संसाधनों से युक्त एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले देश में युवाओं की भूमिका क्या हो सकती है, इस पर चिन्तन, मनन आवश्यक है। उचित दिशा–निर्देश तथा नीतियुक्त योजनाओं के उचित कार्यान्वयन से लक्ष्य पाना कठिन तो है लेकिन असम्भव नहीं है।

विकसित होने के लिए भारत की छटपटाहट निश्चित ही विकास के सूरज को इस धरती पर चमकायेगी। विकास को परिभाषित करते हुए स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि "एक राष्ट्र तभी विकसित कहलाता है जब उसकी जनता में विद्या और बुद्धिमत्ता का प्रसार अनुपात में बराबर हो।"

युवाओं की बात हो और बेरोजगारी की समस्या न उठे यह उचित नहीं। बेरोजगारी एक ऐसे अजगर के समान युवाओं को लील रही है जिसके लिए शैक्षिक नीतियों को श्वेत पत्र नहीं दिया जा सकता है। आज की संस्थाओं से डिग्री धारक बेरोजगारी पैदा हो रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या के पीछे एक प्रमुख कारण है शिक्षा से रोजगार का सम्बन्ध स्थापित न करना। यह सम्बन्ध शिक्षा पर बेरोजगारी का आरोप सा लगाता प्रतीत होता है। सबसे बड़ी समस्या है कि हर युवा जिसमें स्नातक या अन्य डिग्री ले ली है अपने को सरकारी पद पर सुशोभित होते देखना चाहता है। लोगों की इस मानसिकता ने इस समस्या को जटिल बना दिया है। बेरोजगारी के इस अजगर को नष्ट करने के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना धैर्य से करने की जरूरत है। यदि सरकारी नौकरी की मानसिकता बदल जाये तो युवाओं का अन्य क्षेत्रों में सहज ही आकर्षण होगा।

भारत में शिक्षा तो एक समस्या है ही लेकिन शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उससे बड़ी समस्या है। इसी दिशा में एक कदम ज्ञान आयोग के रूप में सरकार ने उठाया है। इस आयोग को अन्य कार्यों के अतिरिक्त शिक्षित बेरोजगारों की समस्या का समाधान करना है। बेरोजगारी के कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति कुछ यूं दिखाई देती है। पिछले 10 वर्ष में इनकी संख्या तीन गुना बढ़ी है। 1991 में इनकी संख्या 1.38 करोड़ थी जो 2001 में 4.45 करोड़ तथा 2003 में 18.6 करोड़ हो गई। अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार युवा बेरोजगारों की दर 14.4 प्रतिशत है। जबकि विश्व बेरोजगारों की दर 6.2 प्रतिशत है। भारत में स्नातक बेरोजगार 17.2 प्रतिशत है। कुल संख्या की दृष्टि से 85 लाख निरक्षर बेरोजगार थे जबकि साक्षर बेरोजगारों की संख्या 3.67 करोड़ थी। इसमें 48 लाख स्नातक थे। ग्लोबल अनएम्प्लायमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2004 शीर्षक की रिपोर्ट बताती है कि 15–64 वर्ष की कुल जनसंख्या में 25 प्रतिशत भाग 15–24 वर्ष के युवा हैं। बेरोजगारी को रोजगार में बदलने के कारणों को जानकर योजनाकारों को शिक्षा के जीर्णोद्धार की पहल करनी चाहिए। शिक्षा ऐसी बनानी होगी जो व्यवसायिक हो, व्यावहारिक हो व रोजगारोन्मुखी हो। बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक नई क्रान्ति की जरूरत है। विनोबा भावे के शब्दों में – "क्रान्ति तंत्र से मंत्र से होती है"। बेरोजगारी के अतिरिक्त अन्य कई समस्याएं है जिसने युवाओं को घेर रखा है। इसमें नशाखोरी बहुत बड़ी समस्या है। तात्कालिक आनन्द के लिए युवा जीवन पर्यन्त कष्टों में फंस रहे हैं। जल्दी अमीर बनने की ललक के चलते युवाओं का अपराध की ओर बढ़ना भी गम्भीर विषय है।

अन्त में, युवाओं से यही कहा जा सकता है कि समाज का सबसे सजग वर्ग होने के नाते, उनके कंधों पर स्वयं को अपने पैरों पर खड़ा करने के साथ–साथ इस राष्ट्र को विकसित करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करना होगा। युवाओं की अथाह तथा अक्षय ऊर्जा से ऐसी अपेक्षा निश्चित ही की जा सकती है। ❑

(स्वतंत्र पत्रकार)

एक करोड़ हेक्टयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के तहत लाया जाएगा

प्रधानमंत्री डां. मनमोहन सिंह ने कहा कि बड़ी, मझोली और लघु सिंचाई योजनाओं के विकास के साथ विभिन्न रणनीतियों के समन्वय से एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाएगा। इसके लिए जलाशयों और भूजल संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा की पूरी हो चुकी परियोजनाओं के विस्तार के द्वारा 20 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। प्रधानामंत्री ने 13वें राष्ट्रीय जल संसाधन सम्मेलन का उद्‌घाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने राज्यों से इस क्षेत्र के लिए ज्यादा धन आवंटन करने की अपील की और कहा कि केन्द्र भारत निर्माण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों की मदद करेगा। उन्होंने पिछले दशक के दौरान सिंचाई क्षेत्र की उपेक्षा पर चिन्ता जताई। उन्होंने कहा कि सिंचाई क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश पहली योजना के 23 प्रतिशत से घट कर दसवीं योजना में पांच प्रतिशत रह गया है। उन्होंने लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की अपील की और कहा कि केन्द्र ने तीव्र सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत आबंटन दुगना से ज्यादा कर दिया।

प्रधानमंत्री ने राज्यों के बीच जल के उचित हिस्सेदारी की चर्चा हुए कहा कि सरकार पूर्वोत्तर घाटी प्राधिकरण के गठन के समीप पहुंच चुकी है। यह प्राधिकरण संबंधित क्षेत्र में जल के समुचित उपयोग और जल विद्युत संभावनाओं का पता लगाएगा।

इस अवसर पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा. मोन्टेकसिंह अहलुवालिया ने कहा कि इस क्षेत्र में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने राज्यों से कहा कि एआईबीपी के तहत उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करें।

ई-प्रशासन से भ्रष्टाचार पर लगाम

राकेश शर्मा

भ्रष्टाचार का मुख्य कारण आम लोगों के पास सूचनाओं का अभाव है। ऐसे में ई–प्रशासन (ई–गवर्नमेंट) से कार्यालयी भ्रष्टाचार और टेबल–दर–टेबल व्याप्त अनियमितता काफी कम हो जाएगी और काम भी त्वरित गति से हो पाएगा। जब सूचनाएं ऑन लाइन होने लगेंगी तो कोई भी व्यक्ति जनता से सूचना, सूचनाएं छिपा नहीं सकेगा। इसमें ई–प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

नागरिक सेवा मुहैया कराने में राज्य की सफलता इस पैमाने पर आंकी जाती है कि सरकारी सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच कितनी आसान है। लेकिन सरकारों नहीं है कि उसके अधिकारी देश के हर नागरिक तक पहुंच कर उसकी समस्याएं जाने और उनका निवारण करें। इसलिए अपनी सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए दुनिया भर की सरकारें सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर रही हैं। यह नई प्रशासनिक व्यवस्था कहलाती है।

ई–प्रशासन व्यवस्था भ्रष्टाचार के रोग का कारगर इलाज हो सकती है क्योंकि यह भ्रष्टाचार के कारणों पर सीधा और अचूक असर करेगी। विश्व में कोरिया, चीन, अमेरिका, यूरोप के कई देशों में ई–प्रशासन व्यवस्था कायम की गई है। भारत में ई–प्रशासन का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की स्थापना और रेल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग से यहां इसकी शुरूआत हुई। केन्द्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ब्लॉक स्तर पर संचार नेटवर्क बनाने के लिए 3300 करोड़ रुपये व्यय करके **स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान)** का निर्माण किया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, असम, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने **एनआईसी** के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में ई–प्रशासन का सफल प्रयोग किया है।

ई–सरकार (ई–गवर्नमेंट) एक प्रकार की सुविधा है। इसके माध्यम से व्यक्ति घर बैठे कंप्यूटर के माध्यम से संबंधित अधिकारी से अपने कार्य के बारे में सूचना हासिल कर सकेंगे। सवाल पूछ सकेगा। ऐसे में जब कोई अधिकारी लोगों के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहेगा तो घूस मांगने की संभावना भी नहीं रहेगी। कार्य भी उसका अधिक दिनों तक टाला नहीं जा सकेगा क्योंकि सब कुछ रिकार्ड में रहेगा। अभी तक भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण यह है कि अधिकारी अक्सर लोगों के कार्यों को लटकाकर धन की उगाही कर लेते हैं। इसके माध्यम से शासकीय कार्य व्यवहार, सूचना, सेवा, सुविधा, व्यवसाय तक आम जनता की पहुंच सुलभ होती है। इस प्रणाली में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के इंटरनेट, मोबाइल फोन जैसे सभी साधनों का समावेश होता है।

ई–प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है। यह सूचना एवं संचार तकनीक का इस्तेमाल करके सरकार तथा उसके संगठनों, संस्थानों और समाज के बीच भागीदारी बढ़ाने का काम करता है। इसके माध्यम से सरकार तथा दूसरी राजनैतिक पार्टियां अपने सिद्धांत, कार्य, कार्यक्रम तथा मंत्रालयों से संबंधित जनोपयोगी समाचार और सूचनाएं मुहैया कराती हैं। यह सरकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यम है।

उपयोगिता – यह व्यवस्था शासकीय अथवा प्रशासनिक कार्यों को ऑन लाइन प्रणाली के माध्यम से सबसे पहले बिचौलियों और दलालों को खत्म करेगी। कार्य के प्रत्येक चरण की प्रक्रिया कंप्यूटर में दर्ज रहती है। इस कारण किसी भी स्तर पर की गई हेराफेरी का आसानी से पता चल जाता है। इस पारदर्शिता के कारण जागरूकता और भागीदारी बढ़ती है। मानवीय हस्तक्षेप और कागजी कार्रवाई न के बराबर होती है।

जमीन की मिल्कियत संबंधी कागजातों के कंप्यूटरीकरण और भू–राजस्व उगाही की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कर्नाटक सरकार ने **भूमि** नामक ऑन लाइन व्यवस्था के अंतर्गत राज्य भर की जमीन के कागजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप मं रखा गया है। कर्नाटक में नौ हजार गांवों के लगभग सात लाख किसानों की जमीन के 20 लाख अभिलेख भूमि प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजस्व विभाग ने ऑन लाइन करवा दिए हैं। अब उन्हें खसरा, खतौनी के लिए पटवारी तथा लेखपाल का चक्कर लगाने, तहसील–तालुका तक दौड़ने, महीनों इंतजार की आवश्यकता नहीं रहती। अब उन्हें अपनी जमीन का नक्शा, मालिकाना हक या अन्य कोई प्रमाणपत्र आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हर व्यक्ति को इस **भूमि** व्यवस्था तक पहुंच हो इसके लिए राज्य भर में सूचना केन्द्र बनाए गए हैं। इससे राजस्व विभाग में किसानों की रोज–रोज की दौड़ खत्म हुई है। इसी तरह गोवा का कोई निवासी कई तरह के लाइसेंस और परमिट के लिए बिना किसी सरकारी दफ्तर का चक्कर काटे आवेदन कर सकता है।

दिल्ली के लोग अधिक जागरूक हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों की वेबसाइटों का मास्टर पोर्टल delhigovt.nic.in एक ऐसी खिड़की है जिससे लगभग पूरी दिल्ली देखी जा सकती है। यह पोर्टल न सिर्फ सूचनाएं मुहैया कराता है बल्कि विभिन्न विभागों तक लोगों की पहुंच भी सुनिश्चित करता है। जन्म, मृत्यु, विवाह, आय और जाति प्रमाणपत्रों के लिए ऑन लाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है।

प्रशासनिक तंत्र में सुधार के लिए पंजाब सरकार ने **सिंगल यूजर विंडो डिस्पोजल हेल्पलाइन फॉर एप्लीकेंट्स (सुविधा)**

परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत विभिन्न तरह के लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड और पेंशन जैसी 24 सरकारी सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा एक ही छत के नीचे सभी 18 जिलों में सुविधा केन्द्र खोले गए है, जो पूरी तरह ऑन लाइन हैं।

कंप्यूटीकरण से कितनी मदद मिल सकती है इसका उदाहरण न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्णतः कंप्यूटरीकरण से लंबित मामलों की संख्या में काफी गिरावट आई है। 1996 में कंप्यूटरीकरण से पहले सर्वोच्च न्यायालय में जहां 1,52,000 मुकदमे लंबित थे, वहीं अब लंबित मामलों की संख्या घटकार 29,000 के करीब रह गई है।

सुझाव – ई–गवर्नमेंट प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाए, इसके लिए इसे व्यापक स्तर पर लागू करना होगा। प्रचार और जन जागरूकता के अभाव में 80 प्रतिशत इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं में से मात्र 8 प्रतिशत ही इन सुविधाओं का उपयोग करते हैं। ई–प्रशासन व्यवस्था की सेवाओं का उपयोग करने के लिए नागरिकों को भी इसके योग्य बनाना होगा। इसके लिए शिक्षा देने के पारंपरिकों को भी इस्तेमाल करके नागरिकों को ई–प्रशासन के लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना होगा। सूचना की मांग करने का अधिकार लोगों को सूचना की मांग करने का अधिकार देता है तो ई–प्रशासन सरकार को सूचना की आपूर्ति करने का साधन उपलब्ध कराता है। ❑

विद्युतीकृत गांवों की परिभाषा

पहले की परिभाषा, जो अक्टूबर, 1997 से प्रचलन में थी, पर उचित विचार–विमर्श करने के बाद ग्रामीण विद्युतीकरण की वर्तमान परिभाषा 1 अप्रैल, 2004 से लागू की गयी है। नई परिभाषा अधिक व्यापक है, क्योंकि यह लक्ष्य विशिष्ट से जुड़ी है जबकि पूर्व परिभाषा ऐसा न होकर असंतोषजनक थी।

पहले की परिभाषा के अनुसार "किसी गांव को विद्युतीकृत माना जाएगा अगर उसकी राजस्व सीमा के अंदर आबादी वाले इलाके में किसी भी काम के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा हो।" नई परिभाषा के अनुसार "किसी गांव को विद्युतीकृत माना जाएगा यदिः

- दलित बस्तियों/पुरवों, जहां ये स्थित हैं, के साथ–साथ आबादी वाले इलाके में वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनों जैसी मूल सुविधाएं दी जा चुकी हों। (गैर–पंरपरागत ऊर्जा स्रोत के जरिए विद्युतीकरण हेतु वितरण ट्रांसफार्मर आवश्यक नहीं है)
- स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, डिस्पेंसरियों, सामुदायिक केंद्रों इत्यादि जैसे सार्वजनिक स्थानों में बिजली पहुंचा दी गई हो, और
- गांव में कुल आवासों के कम से कम 10 प्रतिशत आवास विद्युतीकृत हों।"
- गांव का विद्युतीकरण हो जाने पर, विद्युतीकरण के बारे में पंचायत को प्रमाणित करना चाहिए।

ई-गवर्नेंस कॉमन सर्विस सेन्टर

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 2007 तक पूरे देश के प्रधानतया ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थित 10,000 सामान्य सेवा (सीएससी) स्थापित करने की स्थापित करने की एक योजना तैयार कर रही है। इन सामान्य सेवा केन्द्रों का संवर्धन केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समर्थित एक दीर्घकालीन उद्यमकर्ता आधारित मॉडल पर किया जाएगा। इस प्रयोजन से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ढांचे का एक मसौदा तैयार किया है जिसमें पूरे देश में सामान्य सेवा केन्द्रों के तीव्र विस्तार के लिए नीति, कार्यनीति तथा वित्तीय सहायता के विवरण दिए गए हैं। इस ढांचे के अनुसार, सीएससी योजना के ब्यौरे तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर सेवा एजेंसी (एनएलएसए) का चयन किया गया है।

ये सामान्य सेवा केन्द्र स्थानीय समुदाय के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की सेवाएं (स्थानीय सेवा सरकारी तथा गैर–सरकारी सेवाएं) उपलब्ध कराएंगे।

नए परिवेश की परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और इस कारण कर्मचारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा लाभान्वित आबादी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत से अब तक करीब 22000 बसावटों को सड़कों से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य 10वीं योजना अवधि के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों की 500 की आबादी से अधिक जनसंख्या वाली (पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, रेगिस्तान क्षेत्रों और जनजातीय (अनुसूची–2) क्षेत्रों के मामले में 250 की आबादी वाले) सम्पर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक का उद्देश्य वर्ष 2009 तक 1000 की आबादी वाले सभी गांवों (पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 500 की आबादी) को सड़कों से जोड़ना है।

सफरनामा बधाई पत्रों का

कैलाश जैन

जब आदमी ने सभ्यता की सीढ़ी पर पहला कदम रखा होगा, उसी दिन से उसने स्नेह और शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति का महत्व समझा होगा। शुभकामना या बधाई के आदान–प्रदान के तौर पर ग्रीटिंग कार्ड या बधाई पत्रों की जो परम्परा आज हम देख रहे हैं, वह वस्तुतः कई पड़ावों और मुकामों से गुजरती हुई यहां तक पहुंची है।

प्राचीन मिस्र में बधाईयों के पारस्परिक आदान–प्रदान के लिए इत्र की खूबसूरत बोतलों का इस्तेमाल होता था, जिन पर 'सभी सौभाग्य को प्राप्त हों' जैसी इबारतें लिखी जाती थीं। इस बात के भी पर्याप्त सबूत मिलते हैं कि आज से सैकड़ों साल पहले रामवासियों में शुभकामना संदेश भेजने की परम्परा प्रचलित थी। भारत और चीन सरीखे एशियाई मुल्कों में रूमालों और हाथ से बनी चित्र कृतियों के माध्यम से बधाई संदेश भेजने का चलन काफी पहले से था।

हालांकि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि बधाई–पत्रों का आविष्कार किसने और कब किया, किन्तु 'एनसाईक्लोपीडिया आफ अमेरिका' के मुताबिक ग्रीटिंग कार्ड ईसा के जन्म से पूर्व छठी शताब्दी में ही अस्तित्व में आ चुके थे।

कुछ लोगों की मान्यता है कि ज्ञात इतिहास में सबसे पहले ग्रीटिंग कार्ड सन् 1842 में इंग्लैण्ड के एक सोलह वर्षीय किशोर विलियम एले ने तैयार किया। यह कार्ड पांच इंच लम्बा और साढ़े तीन इंच चौड़ा था। इस कार्ड को विलियम ने 'नव वर्ष की शुभकामनाएं' लिखकर अपने मित्र को भेजा था। कार्ड के ऊपरी फोल्ड पर चार छोटे–छोटे खूबसूरत चित्र बने हुए थे और अन्दर 'हैप्पी क्रिसमस टू यू' और 'हैप्पी न्यू इयर टू यू' – शब्द लिखे हुए थे। दुनिया का यह पहला बधाई पत्र आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में सहेज कर रखा हुआ है।

इसके पश्चात् सन् 1843 में विक्टोरिया युग के प्रख्यात समाज–सुधारक और शिक्षा शास्त्री हैनेरी कोल को अपनी मित्र जान काट हैसिले द्वारा खुद डिजाइन कर मुद्रित किया गया बधाई पत्र प्राप्त हुआ। हैसिले इंग्लैंड की शाही अकादमी के सदस्य और दक्ष चित्रकार थे। हैनेरी काल को यह नववर्ष ग्रीटिंग कार्ड इतना पसंद आया कि उन्होंने इस कार्ड की एक हजार प्रतियां मुद्रित करवाई और एक शिलिंग प्रति कार्ड की दर से उन्हें बेचा। यह कार्ड साढ़े पांच इंच लम्बा और सवा तीन इंच चौड़ा था तथा लाल व काले रंग में छपे इस कार्ड पर कार्निवल–उत्सव मनाते व मद्यपान करते स्त्री–पुरुषों के चित्र अंकित थे। पुरातनपंथियों ने इसकी कटु आलोचना की और कहा कि इससे मद्यपान को प्रोत्साहन मिलेगा।

अमेरिका में ग्रीटिंग कार्ड बनाने की शुरूआत सबसे पहले सन् 1875 में बोस्टन लुइस प्राग नामक व्यक्ति द्वारा की गई। इससे पहले अमेरिका में न्यू ईयर और क्रिसमस के ग्रीटिंग कार्ड इंग्लैंड और जर्मनी से मंगवाए जाते थे। लुइस प्राग ने बधाई पत्रों की कला में बेहद सुधार

किया। वह खुद एक कुशल लीथोग्राफर था। उसके द्वारा बनाए गए कार्ड आकर्षक, आधुनिक व स्तरीय थे। इस कला को प्राग ने बहुत विकसित किया। विभिन्न रंगों में मुद्रित ये कार्ड देश–विदेश में काफी लोकप्रिय व चर्चित हुए। इन कार्डों पर विभिन्न डिजाइनों में ईसा मसीह के जन्म व अन्य धार्मिक प्रसंगों का चित्रण होता था। बोस्टन लुइस ने इस कार्य को एक उद्योग के तौर पर विकसित किया और प्रति वर्ष पांच लाख से अधिक ग्रीटिंग कार्ड्स छापे जाने लगे। लुइस ने बधाई पत्रों की डिजाइन तैयार करने के वास्ते राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की। बोस्टन लुइस को अमेरिकी ग्रीटिंग कार्ड उद्योग का पितामह माना जाता है। आज अमेरिका में हजारों लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। वहां प्रतिवर्ष छः अरब से भी अधिक बधाई पत्र भेजे जाते हैं। पारम्परिक ग्रीटिंग कार्डों के व्यवसाय में अमेरिका में डालमार्क नामक कम्पनी काफी मशहूर है, जो सन् 1915 में स्थापित हुई थी। यह कम्पनी तेरह हजार से भी अधिक विभिन्न डिजाइनों के ग्रीटिंग कार्ड तैयार करती है। आधुनिक ग्रीटिंग कार्डों के निर्माण में कैम्डन ग्राफिक्स कम्पनी का नाम भी उल्लेखनीय है।

आम लोगों में ग्रीटिंग कार्ड का प्रचलन उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में लोकप्रिय हुआ। तब तक अलग–अलग प्रकाशकों ने विभिन्न डिजाइन के ग्रीटिंग कार्ड छापना और बेचना शुरू किया। ब्रिटिश शाही परिवार द्वारा ग्रीटिंग कार्ड अपनाएं जाने से परम्परा प्रिय ब्रिटिश जनता ने बधाई पत्रों को सिर आंखों पर लिया।

भारत में बधाई पत्रों की शुरूआत अंग्रेजों के शासन काल के दौरान हुई। वैसे इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि सन् 1881 में सवाई माधोसिंह के राज्याभिषेक के मौके पर लार्ड रिपन ने भी उन्हें बधाई संदेश प्रेषित किया था। ऐसे ही महारानी विक्टोरिया के भारत आगमन पर सवाई माधोसिंह ने उन्हें बधाई पत्र भेजकर अपने सौजन्य का परिचय दिया। भारत में लोग क्रिसमस, दीपावली, होली व अन्य अवसरों पर बधाई पत्रों का आदान–प्रदान करते हैं। आज भारत में ग्रीटिंग कार्ड का धन्धा अत्यन्त विकसित हो चुका है। आज से तीन दशक पहले तक शिवकाशी और मुम्बई ही देश के प्रमुख ग्रीटिंग कार्ड के निर्माण केन्द्र थे किन्तु आज इस क्षेत्र में दिल्ली अपना प्रमुख स्थान बना चुका है। भारत में ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाली प्रमुख कम्पनियां हैं – वकील, आर्चीज, पेपर रोज, सत्यम, विंटेज आदि। इनके अतिरिक्त सैंकड़ों अन्य छोटी–बड़ी कम्पनियां भी इस व्यवसाय में संलग्न हैं।

बाल कल्याण के लिए धन एकत्रित करने के उद्देश्य से यूनिसेफ ने ग्रीटिंग कार्ड की योजना सन् 1950 से शुरू की है। यूनिसेफ के ये ग्रीटिंग कार्ड हालांकि अपेक्षाकृत कुछ महंगे होते हैं, किन्तु ये आकर्षक और कलात्मक होने के कारण खासे लोकप्रिय हो रहे हैं और सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण बात यह है कि इनसे होने वाली आय की समस्त राशि बालकोष में दे दी जाती है और उसको बाल–विकास सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रीय योजनाओं पर ही व्यय किया जाता है।

आइए, अब कुछ दिलचस्प जानकारी बधाई पत्रों के बारे में दें। दुनिया का सबसे छोटा बधाई पत्र सन् 1920 में लंदन की एक टेलीफोन कम्पनी के मालिक द्वारा प्रिंस आफ वेल्स को भेजा गया। इस ग्रीटिंग कार्ड पर भारतीय स्याही से बाईस शब्दों का एक शुभकामना संदेश लिखा गया था। इसके विपरीत दुनिया के सबसे लम्बे और बड़े ग्रीटिंग कार्ड की लम्बाई सात किलोमीटर थी। यह एक लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर से युक्त कार्ड था जो वियतनाम में युद्धरत अमेरिकी सैनिकों को 10 दिसम्बर, 1967 को भेजा गया। इस अनोखे ग्रीटिंग–कार्ड में अमेरिका के कई गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संदेश भी चिपके हुए थे। इस कार्ड का वजन था सिर्फ दो टन!

दुनिया का सबसे मूल्यवान बधाई कार्ड एक जर्मन नागरिक हालिंजर ने अपने एक मित्र को भेजा था। यह कार्ड बेचेलहम स्टेवल की एक दुर्लभ अनुकृति के रूप में था। मित्र को जब यह कार्ड मिला तो उसने विशेषज्ञों को बताया, तब पता चला कि यह चित्र महान् चित्रकार रेम्ब्रां की दुर्लभ कृति था, जिसकी कीमत लाखों डालर आंकी गई। जब हाजिंलर को वस्तुस्थिति का पता चला तो उसने अपना कार्ड वापस करने की मांग की। किन्तु उसके मित्र द्वारा इन्कार किये जाने पर हाजिंलर ने उसके विरूद्ध मुकद्दमा दायर कर दिया। लेकिन हाजिंलर मुकद्दमा हार गया।

सन् 1966 में इंग्लैण्ड के रोटेरी क्लब के सदस्यों को आईसलैंड के रोटरी क्लब द्वारा एक विचित्र बधाई कार्ड भेजा गया, जो हिरण की खाल का बना हुआ था और इस पर कलात्मक अक्षरों में क्रिसमस की शुभकामनाएं अंकित थीं। खाल के पीछे सभी क्लब–मेम्बरों के दस्तखत थे।

सचमुच बधाई पत्रों की दुनिया बहुत दिलचस्प और रंगीन है। पारस्परिक सम्बन्धों की मधुरता और प्रगाढ़ता को जाहिर करने का जरिया बधाई पत्र आज हमारे सुख–दुख के क्षणों की अभिव्यक्ति का शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। निश्चय ही बधाई पत्रों का यह सफर अभी बहुत दूर तक जाएगा, शायद मानव–सभ्यता के आखरी मुकाम तक। ❑

(लेखक पेशे से एडवोकेट हैं)

नारियल पर बिखरा सौंदर्य

रवि भारती

दोनों टांगों से बेबस केरल के शिल्पी जी शिव कुमारन अपने दोनों हाथों का अद्‌भुत इस्तेमाल करते हैं। इन हाथों से नारियल की खोपड़ी पर गांधी, नेहरू, आजाद के जो चित्र वे बनाते हैं, वे न केवल सुंदर हैं बल्कि कला के नायाब नमूने भी है। उनकी जादुई उगंलियां नारियल खोपड़ी पर किसी भी का चित्र बनाने में क्षमता रखती हैं। उनके चित्रों की देश–विदेश में मांग है।

यह वही नारियल है जिसका हर भाग अत्यंत उपयोगी होता है। इसका धड़ मकानों की धरन, फर्नीचर बनाने के काम में आता है, पत्तों से पंखे, ब्रश, थैले, टोकरियां–चटाईयां बनती हैं, इसकी खोपड़ी से तेल रखने के पात्र–हुक्के बनते हैं। और इसी में कोट में इस्तेमाल होने वाले सुंदर बटन जिसका यूरोप में बाजार है। इससे कंक्रीट–कोयला भी बनता है, खोपड़ी के पाउडर का प्लास्टिक उद्योग में इन दिनों इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका औषधीय गुण भी कम नहीं है। इसकी सूखी गिरी मांसपेशियों के मजबूत और मूत्रनली को साफ करता है। यह गठिया और दांतों के रोगों में भी लाभकारी है। इसका पानी जिसे डाब कहते है, न केवल वीर्यवर्द्धक बल्कि बच्चों के दिमाग व शरीर के लिए खूब फायदेमंद होता है। इतने बहुउपयोगी नारियल और इसकी खोपड़ी का उपयोग कर यह कलाकार मनुष्याआकृतियां, पशु–पक्षी और घरेलू चीजों को बनाने में करता है। प्रायः अपनी वस्तुओं को केंद्र–राज्य द्वारा आयोजित कला प्रदर्शिनियों/मेलों में ही बेचता है। ऐसी ही एक प्रर्दशनी में यह शिल्पी दिल्ली हाट में आया हुआ था। उसने बताया कि बारह साल पहले नारियल के पेड़ से उतरते वक्त उसके पैर फिसल गए थे जिससे उसकी दोनों टांगे लाचार हो गई। ऐसे कठिन समय में केंद्र की ग्रामीण एवं रोजगार योजना के तहत उसे पंद्रह हजार रुपए का ऋण मिला, जिससे उसने कच्चे माल में दो हजार नारियल खोपड़ियां और जरूरी औजार खरीदे। ऋण के बाद उसका समूचा जीवन बदल गया। उसके घर खुशहाली लौट आई। बच्चे स्कूल जाने लगे। वह और उसकी पत्नी लीला आत्मविश्वास से भर गए। दोनों ने मिलकर सपने बुने जिसमें अपना मकान और अपने काम को फैलाने की योजना शामिल है।

उल्लेखनीय है कि गोवा और गुजरात के नारियल शिल्पी भी नारियल की खोपड़ी पर कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं। उन्हें भी सरकार की ओर से कच्चा माल, कार्यशाला और जरूरी औजार खरीदने के लिए ऋण मिले हैं। गोवा में यह काम मुख्यतः पंजिम जिले के दीवाड़े इलाके के नाइक जनजाति करती है। इस गांव की कुल आबादी पंद्रह हजार है। यह राज्य की सबसे पिछड़ी गरीब जनजातियों में से एक है। पिछले कुछ सालों से गोवा सरकार साबुत नारियल पर कलाकृतियां बनाने वाले ग्रामीण कलाकारों को बढ़ावा दे रही है जिसमें कच्चेमाल के लिए मदद और उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाना शामिल है। सभी राज्यों के कलाकारों में कुछ समानता देखने को मिलती है। मसलन सभी नारियल शिल्पी खोपड़ी पर सौन्दर्य उभारने के लिए रंग– बिरंगे सितारे, टिकुली, कांच के टुकड़े, कंचे और कौड़ियां इस्तेमाल करते हैं। इनके औजार पारंपरिक और खुद के डिजाइन किए हुए होते हैं।

बहरहाल, विनम्र स्वभाव का कलाकार कुमारन अपने काम को लेकर गंभीर है। नारियल कलाकृतियों पर पंद्रह दिनों की प्रर्दशनी और कार्यशाला बीते साल वह सिंगापुर में आयोजित कर चुका है। वहां के कलाप्रेमियों के उत्साह से वह भी उत्साहित है। उसे पूरा यकीन है कि अगर लगातार मंच मुहैया कराए जाएं तो वह इस कला को निखारते हुए इसे नई ऊंचाई देगा। ❑

(स्वतंत्र पत्रकार)

The RAU'S IAS experience...

...incisive, intensive & innovative.

It translates learning into winning performance.

THE VISION

Rau's IAS Study Circle was established as a top ranking institute nearly 50 years ago, solely with the aim of helping serious students achieve success in Civil Services Exam by providing the highest quality coaching. The method, content & teaching standards established by the Study Circle have become synonymous with success in the minds of civil service students.

Be Sure, we have no branches or associates any where in India. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of centres across India, but it can never be equalled.

THE PERFORMANCE

Our 2004 Exam Results: Seven positions secured by our students in first 20 and 41 in first 100 with overall 181 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS, PCS & Judicial Services Coaching.

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO for Rs.50/- favouring Rau's IAS Study Circle.

THE PROGRAMMES

Civil Services/PCS Exam, 2006 &
Judicial Services Exam, 2006

- Personal Guidance (English Medium) is available for - **General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.**
- पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) - सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं भूगोल में उपलब्ध।
- Postal Guidance in English Medium available for - **General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.**
- पोस्टल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) - केवल सामान्य अध्ययन एवं भारतीय इतिहास में उपलब्ध।
- Hostel facility arranged.

Admission Open, Apply Now

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001. Phone : 23318135-36, 23738906-07, 55391202, 39448880-81, Fax: 23317153.
Visit : www.rauias.com

The Original Rau's / Rao's - Since 1953

KH 1/1/01

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. 12057/2003-05
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.) -55/2003-5

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL 12057/2003-05
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2003-05
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

2006

प्रो. उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रकः अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : संपादक : स्नेह राय